# नागरिक सुरक्षा योजना

# 2026

# प्रतापगढ़ जिला

**शुभम चौधरी,I.A.S**
**जिला कलक्टर एवं पदेन नियंत्रक**
**नागरिक सुरक्षा, प्रतापगढ़ (राज.)**

# कार्यालय नियंत्रक (कलक्टर) नागरिक सुरक्षा प्रतापगढ़

क्रमांक :  दिनांक :

## :: प्रमाण–पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम **(Revised Edition 2011)** के **Chepter VI** के बिन्दु सं. **6.5** के तहत जिला प्रतापगढ़ में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा जनशक्ति व संसाधनों की उपलब्धता एवं जिले में आपदा/विपदा व हवाई हतले की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों स्थानों( **Vital Areas/Vital Point)** के आधार पर जिला नागरिक सुरक्षा योजना का मार्च–2026 तक अद्यतन कर लिया गया हैं।

नियत्रंक (जिला कलक्टर)
नागरिक सुरक्षा प्रतापगढ़

# अनुक्रमणिका


| क्र.सं. | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 01 | जिला नागरिक सुरक्षा योजना | 01 |
| | **भाग– I** | |
| 02 | नागरिक सुरक्षा परिचय व संगठन | 02 – 05 |
| | **भाग– II** | |
| 03 | प्रतापगढ़ जिले की रुपरेखा व जिला प्रशासन | 06 – 21 |
| | **भाग– III** | |
| 04 | नागरिक सुरक्षा सेवायें, उनकी अधिकृत नफरी व सेवा प्रभारी अधिकारी | 22 – 23 |
| 05 | मुख्यालय (Headquarter Service) | 22 – |
| 06 | संचार सेवा (Communication Service) | 29 |
| 07 | वार्डन सेवा (Warden Service) | 31 |
| 08 | अग्निशमन सेवा (Fire Service) | 33 |
| 09 | प्रशिक्षण सेवा (Training Service) | 33 |
| 10 | हताहत सेवा (Casualty Service) | 34 |
| 11 | बचाव सेवा (Rescue Service) | 35 |
| 12 | निस्तारण सेवा (Salvage Service) | 36 |
| 13 | पूर्ति सेवा (Supply Service) | 36 |
| 14 | डिपो व परिवहन सेवा (Depot & Transport Service) | 37 |
| 15 | शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service) | 38 |
| 16 | कल्याण सेवा (Welfare Service) | 39 |
| | **भाग–IV** | |
| 17 | निष्क्रमण (Evacuation) | 43 |
| 18 | रिपेयर एवं डेमोलेशन | 44 |
| 19 | आवश्यक सेवायें व पशुओं की देखभाल | 45 |
| 20 | हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश प्रबन्धन | 46 |
| | **भाग–V** | |
| 21 | रासायनिक युद्ध | 48 |
| 22 | जैविक युद्ध | 50 |
| 23 | आणविक युद्ध | 51 |
| | **भाग–VI** | |
| 24 | जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची | 58 |
| 25 | जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची | 60 |
| 26 | जिले में उपलब्ध खोज व बचाव उपकरणों एव अन्य संसाधनों की सूची | 62 |

# जिला नागरिक सुरक्षा योजना

यह विचित्र किन्तु वास्तविक है कि विश्व में सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ–साथ बढ़ती प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के कारणजन–धन हानि में अपार वृद्वि हुई है। प्रतापगढ़ जिला प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं की सभावनाओं से अछूता नहीं है। आपदाओं से निपटने में नागरिक सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों एवं कार्य योजना के अभाव में कई बार प्रशासन भी कर्तव्य विमूढ़, असहाय एवं दिशा भ्रमित सा हो जाता है। अतः आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यतः मानव जनित आपदा जैसे–युद्व के समय होने वाला हवाई हमला, बम विस्फोट, परमाणु, रसायन व जैविक युद्व, ओद्योगिक दुर्घटना यें इत्यादि जिससे होने वाली जन–धन की हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा एवं प्रशासन के सहायोग से अपने ही नागरिकों की होने वाली क्षतिको कम से कम करने, उनका मनोबल बनाए रखने, आर्थिक उत्पादन जारी रखने इत्यादि एवं समस्त संभावित आपदाओं का आंकलन एवं सूचनाओं को संकलित कर एक संगठित नागरिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य योजना तैयार की गईहै। प्रतापगढ़ जिले की जनसंख्या की गणना 2011 के अनुसार 08.67 लाख है।

अतः तैयार की गई योजना में जनता को पूर्ण जानकारी देने के लिए अथवा घटनाओं के समय जनता के ही सहयोग से एकजुट कार्य करने हेतु एक प्रशिक्षित स्वयं सेवी संगठन जोकि प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के समय कार्य के संचालन एवं सम्पादन में पूर्ण सहयोग करेगा, का निर्माण किया गया है। योजना तैयार करते समय व्यवहारिकता एवं क्रियात्मकता का ध्यान रखा गया है तथा प्रयास किया गया है किस भी स्थानीय समस्याओं को इस योजना में समायोजित कर लिया जावे। फिर भी समय–समय पर आने वाली नयी समस्याओं से निपटने के उपायों को इस योजना मे सम्माहित कर लिया जावेगा।

भारत व राज्य सरकार द्वारा जिला प्रतापगढ़ कैटेगरी III घोषित है।

*दिनांक : 11.05.2026*

**(शुभम चौधरी)**
**जिला कलक्टर पदेन नियंत्रक**
**नागरिक सुरक्षा,**

# भाग – I

## 1.1 नागरिक सुरक्षा : परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) के दौरान देश के मुख्य बन्दरगाह (मुम्बई व कोलकता) में हवाई हमले तथा अक्टूबर 1962 में भारत–चीन युद्ध के दौरान देश के शहरों पर हुए हवाई हमलों में आगजनी व भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण हुए जान–माल का भारी नुकसान हुआ। इसे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1962 में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसकी पालना में राजस्थान सरकार द्वारा 13 नवम्बर 1962 को अधिसूचना जारी कर राज्य के सीमावर्ती जिलों में बाहरी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य में 12 नागरिक सुरक्षा नगरों की अधिसूचना जारी कर, वहां नागरिक सुरक्षा इकाईयां स्थापित की गयी।

नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1965 एवं 1971 के भारत–पाक युद्धों के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, जान व माल के नुकसान को कम करने में सराहनीय सहयोग दिया गया। 2001 में गुजरात भूकम्प, 2004 में सुनामी व प्राकृतिक/मानवीकृत आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम लाया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों का हवाई हमले के साथ ही आपदा/विपदाओं के दौरान सदुपयोग किये जाने हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक बदलाव करते हुए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) 2009 जारी किया गया, जिससे इस विभाग की हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में भी अहम भूमिका हो गयी है।

## 1.2 नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य

देश/राष्ट्र पर आने वाली संकटकालीन स्थिति में हो रहे जान–माल की क्षति को कम करने, खोज बचाव कार्य प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखने एवं आर्थिक उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता/संस्था/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया स्वैच्छिक प्रयास ही नागरिक सुरक्षा है। अर्थात नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य ''**नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा**'' करना है। इस उद्वेश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक महिला व पुरूषों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर नियंत्रक (जिला कलक्टर) के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक मनोनीत किया जाता है। नागरिक सुरक्षा विभाग आपदा/विपदा एवं दुश्मन देश द्वारा आक्रमण किये जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों को उनके माध्यम से ही (नागरिक सुरक्षा के स्थानीय स्वयंसेवक) किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने का कार्य करता है।

## 1.3 राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के उपरान्त, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के आपदा प्रबन्धन में उपयोग लिए जाने को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक संशोधन कर ''नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009 संशोधन'' किया गया है। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसकी प्राथमिक भूमिका ''बाहरी आक्रमण/हवाई हमला'' के साथ–साथ द्वितीय भूमिका आपदा प्रबन्धन में दी गयी है। इससे नागरिक सुरक्षा विभाग की आपदा प्रबन्धन में अहम भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना के तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अधीन कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2017 को अधिसूचना जारी कर राज्य के समस्त जिलों को ''नागरिक सुरक्षा जिले'' घोषित कर दिया गया।

## 1.4 नियन्त्रण:

(क)**निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर**– नागरिक सुरक्षा विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन है। वर्तमान में आयुक्त (विभागाध्यक्ष) नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पास है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, उप निदेशक, सीनियर स्टाफ आफिसर एवं अन्य अधिकारी/कार्मिक स्वीकृत हैं।

(ख)**नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर**–नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन है। वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर के पास निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।

(ग)**नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालय**– जिले में जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा के नियंत्रक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के सहयोग हेतु जिले में उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत है।

(घ)**नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा**– वर्तमान में राज्य के स्वीकृत 12 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा का है, जिसमें प्रतापगढ़ जिला भी सम्मिलित है।

## 1.5 नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण :–

(क) नागरिक सुरक्षा, विभाग (राज्यस्तरीय संगठन)

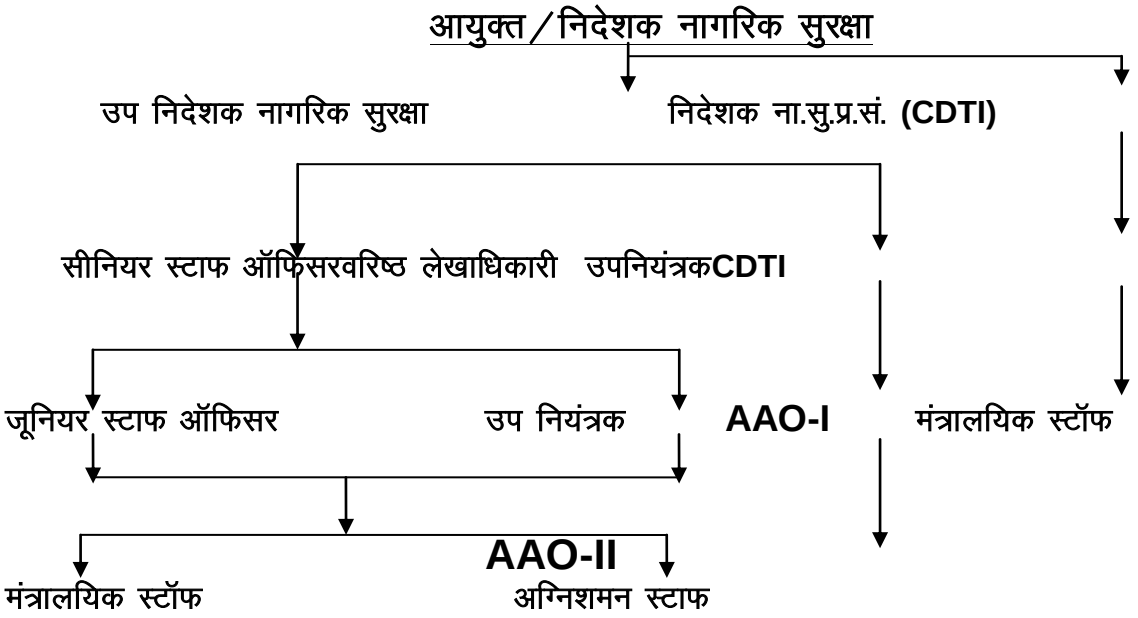


(ख)नागरिक सुरक्षा (जिला स्तर)

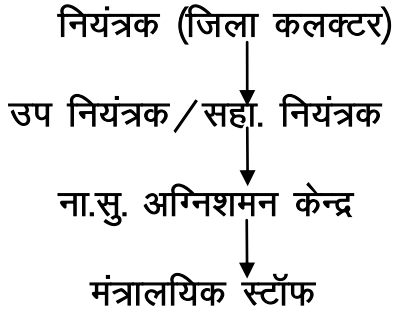

## 1.6 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 (संख्या 27)

भारत सरकार द्वारा 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संख्या 27) के तहत देश में दुश्मन देश द्वारा बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से होने वाले नुकसान एवं स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करने तथा बचाव कार्यों के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के गठन किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा नियम 1968 एवं नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 भी बनाये गये।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाये जाने के पश्चात, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में उपयोग को देखते हुए, वर्ष 2009 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में संशोधन करते हुए ''नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2009'' जारी किया गया। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसके प्राइमरी रोल ''बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से सुरक्षा'' के साथ ही सैकेण्डरी रोल ''आपदा प्रबन्धन'' भी कर दिया गया।

# भाग – ।।

# प्रतापगढ़ जिले की रूपरेखा

## 2.1 प्रतापगढ़ जिले का नक्सा

**2.2ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि**–25 जनवरी, 2008 को राजस्थान के मानचित्र पर 33 वें जिले का गौरव अर्जित करने वाला यह जिला पूर्व के उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में समाहित क्षेत्रों से निर्मित हुआ है। नवसृजित प्रतापगढ़ जिले के तहत चित्तौड़गढ़ जिले की अरनोद, प्रतापगढ़ एवं छोटीसादड़ी, उदयपुर जिले की धरियावद एवं बांसवाड़ा जिले की पीपलखूंट तहसील क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। प्राकृतिक सौन्दर्य से आच्छादित वागड़, मेवाड़ एवं मालवा की जीवन शैली का यह संगम प्रदेश कांठल के नाम से लोकप्रिय है। जनजाति बाहुल्य इस जिले की अपनी समृद्ध गंगा–जमना संस्कृति हैं। ऐतिहासिक दृश्टि से यहॉ मेवाड़ राजवंश के राजाओं का आधिपत्य रहा है जो इतिहास में देवलिया राज्य के नाम से सुविख्यात रहा है जिसकी राजधानी प्रतापगढ़ से पश्चिम की ओर 10 किमी दूर अवस्थित देवलिया कस्बा रही है। जिले की उपतहसील देवगढ़ में प्राचीन किला अवस्थित है जिसकी छत पर सूर्य की रोशनी से समय दर्शाने वाली घड़ी विद्यमान है। इस किले में प्राचीन राजघराने के ऐतिहासिक अवशेष अब भी उपलब्ध हैं। स्वतंत्र राजस्थान में देवगढ़ के तत्कालीन शासक महारावल प्रतापसिंह ने अपने नाम से 'प्रतापगढ़'' नगर की स्थापना की जिसके चहुं ओर परकोटा निर्मित है। परकोटे के अन्दर अवस्थित प्रतापगढ़ नगर में 56 गलियाँ व 6 प्रमुख नगर द्वार हैं जो इसकी भव्यता एवं नागरिक जीवन शैली का परिचायक है। स्वतंत्रता के तुरन्त पश्चात् भी 1948 से 1952 तक प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय रहा परन्तु राज्यों के पुनर्गठन, प्रशासनिक एवं राजनैतिक कारणों से मुख्यालय परिवर्तित कर दिया गया। अब 25 जनवरी 2008 को पुनः इसे जिले का गौरव मिला है जिससे इस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। प्रतापगढ़ की थेवा कला का विश्व में सानी नहीं है। थेवा कला में कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है जिसमें विविध रंग यथा हरा, लाल, पीला, नीला आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। यहां काष्ठ व  कांच के अद्भुत एवं सजीव खिलौने बनाने वाले कारीगर हैं परन्तु यह कला संरक्षण के अभाव में विलुप्त होने के कगार पर है। प्रतापगढ़ की हींग, आम के पापड़, आम का अचार, जीरालूण एवं गरम मसाले देशभर में प्रचलित हैं। जिले में जाखम बांध सबसे वृहद बांध है जिसकी जल भराव क्षमता 5015 एमसीएफटी है। इसकी ऊचाई 81 मीटर है। प्रतापगढ़ जिले में पवन चक्कियाँ तथा सौर उर्जा सयंत्र भी स्थापित किये गये हैं जिनसे विद्युत उत्पादन किया जाता है । सांस्कृतिक विरासत में यहाँ हिन्दू एवं जैन मतावलम्बियों के प्राचीन मन्दिरों का बाहुल्य है। साम्प्रदायिक सौहार्द की प्रतीक काका साहब की दरगाह बोहरा समाज की आस्था का केन्द्र ही नहीं अपितु सर्वसमाज की श्रद्धा का केन्द्र है। प्रतापगढ़ से मात्र 4 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित अम्बामाता प्रमुख भाक्तिपीठ है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृश्टि से क्षेत्र में गौतमेश्वर तीर्थस्थल जन आस्था का प्रमुख केन्द्र है। इसके साथ नीलकण्ठ महादेव, सालमगढ़ का शिव मन्दिर, प्रौगेतिहासिक कमलेश्वर महादेव, अवलेश्वर ग्राम जहां कनिश्क कालीन शिलालेख पाये गये हैं। घोटारसी का सूर्य मन्दिर,जूनागढ़ का पुरातन किला, सीतामाता अभ्यारण्य में उडन गिलहरी, छोटीसादड़ी का भंवरमाता शक्तिपीठ भी इस क्षेत्र के पुरातन दर्शनीय स्थल हैं।

25 जनवरी, 2008 को राजस्थान के मानचित्र पर 33 वें जिले का गौरव अर्जित करने वाला यह जिला पूर्व के उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में समाहित क्षेत्रों से निर्मित हुआ है। नवसृजित प्रतापगढ़ जिले के तहत चित्तौड़गढ़ जिले की अरनोद, प्रतापगढ़ एवं छोटीसादड़ी, उदयपुर जिले की धरियावद एवं बांसवाड़ा जिले की पीपलखूंट तहसील क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। प्राकृतिक सौन्दर्य से आच्छादित वागड़, मेवाड़ एवं मालवा की जीवन शैली का यह संगम प्रदेश कांठल के नाम से लोकप्रिय है। जनजाति बाहुल्य इस जिले की अपनी समृद्ध गंगा–जमना संस्कृति हैं। ऐतिहासिक दृश्टि से यहॉ मेवाड़ राजवंश के राजाओं का आधिपत्य रहा है जो इतिहास में देवलिया राज्य के नाम से सुविख्यात रहा है जिसकी राजधानी प्रतापगढ़ से पश्चिम की ओर 10 किमी दूर अवस्थित देवलिया कस्बा रही है। जिले की उपतहसील देवगढ़ में प्राचीन किला अवस्थित है जिसकी छत पर सूर्य की रोशनी से समय दर्शाने वाली घड़ी विद्यमान है। इस किले में प्राचीन राजघराने के ऐतिहासिक अवशेष अब भी उपलब्ध हैं। स्वतंत्र राजस्थान में देवगढ़ के तत्कालीन शासक महारावल प्रतापसिंह ने अपने नाम से 'त्रतापगढ़'' नगर की स्थापना की जिसके चहुं ओर परकोटा निर्मित है। परकोटे के अन्दर अवस्थित प्रतापगढ़ नगर में 56 गलियॉं व 6 प्रमुख नगर द्वार हैं जो इसकी भव्यता एवं नागरिक जीवन शैली का परिचायक है। स्वतंत्रता के तुरन्त पश्चात् भी 1948 से 1952 तक प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय रहा परन्तु राज्यों के पुनर्गठन, प्रशासनिक एवं राजनैतिक कारणों से मुख्यालय परिवर्तित कर दिया गया। अब 25 जनवरी 2008 को पुनः इसे जिले का गौरव मिला है जिससे इस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी।

प्रतापगढ़ की थेवा कला का विश्व में सानी नहीं है। थेवा कला में कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है जिसमें विविध रंग यथा हरा, लाल, पीला, नीला आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। यहां काष्ठ व कांच के अद्भुत एवं सजीव खिलौने बनाने वाले कारीगर हैं परन्तु यह कला संरक्षण के अभाव में विलुप्त होने के कगार पर है। प्रतापगढ़ की हींग, आम के पापड़, आम का अचार, जीरालूण एवं गरम मसाले देशभर में प्रचलित हैं।

जिले में जाखम बांध सबसे वृहद बांध है जिसकी जल भराव क्षमता 5015 एमसीएफटी है। इसकी ऊचाई 81 मीटर है। प्रतापगढ़ जिले में पवन चक्कियॉं तथा सौर उर्जा सयंत्र भी स्थापित किये गये हैं जिनसे विद्युत उत्पादन किया जाता है ।सांस्कृतिक विरासत में यहॉं हिन्दू एवं जैन मतावलम्बियों के प्राचीन मन्दिरों का बाहुल्य है। साम्प्रदायिक सौहार्द की प्रतीक काका साहब की दरगाह बोहरा समाज की आस्था का केन्द्र ही नहीं अपितु सर्वसमाज की श्रद्धा का केन्द्र है। प्रतापगढ़ से मात्र 4 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित अम्बामाता प्रमुख भाक्तिपीठ है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृश्टि से क्षेत्र में गौतमेश्वर तीर्थस्थल जन आस्था का प्रमुख केन्द्र है। इसके साथ नीलकण्ठ महादेव, सालमगढ़ का शिव मन्दिर, प्रौगेतिहासिक कमलेश्वर महादेव, अवलेश्वर ग्राम जहां कनिश्क कालीन शिलालेख पाये गये हैं। घोटारसी का सूर्य मन्दिर,जूनागढ़ का पुरातन

किला, सीतामाता अभ्यारण्य में उडन गिलहरी छोटीसादडी का भंवरमाता शक्तिपीठ भी इस क्षेत्र के पुरातन दर्शनीय स्थल है।

**2.3 भौगोलिक स्थिति**–प्रतापगढ जिला राजस्थान के दक्षिणी भाग में 23 $^{o}$ 40′ तथा 24 $^{o}$ 50′ उतरी अंक्षास एवं 74 $^{o}$ 19′ तथा 74 $^{o}$ 94′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह उत्तर में चितौड तथा पश्चिम में उदयपुरए एवं दक्षिण में बांसवाडा जिला है। प्रतापगढ़ जिला सीमान्त जिला है जो राजस्थान व मध्यप्रदेश की सीमा पर स्थित है। जिले के पूर्व में मध्यप्रदेश का मन्दसौर, उतर पूर्व में नीमच तथा दक्षिण पूर्व में रतलाम जिले की सीमा लगती है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4117.36 वर्ग किलोमीटर है। प्रतापगढ़ जिले का अरनोद व प्रतापगढ़ तहसील मुख्यतः मालवा पठार का हिस्सा है। जहां अच्छी गुणवत्ता की काली मिट्टी है। जिले का पीपलखूंट तहसील व धरियावद तहसील आदिवासी घने जगंलों का क्षेत्र है। इसका उतरी भाग पहाडी व मैदानी मिश्रित है। जिले का दक्षिणी व पश्चिमी भाग पहाडी एवं हरे–भरे जंगलों का है जहां सीमित कृषि कार्य होता है।

जिले में सभी नदियां मौसमी है जो केवल वर्षा के मौसम में ही बहती है। जिले में मुख्य नदी जांखम व माही है जो पूर्णतया बरसाती नदी है। जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ जिले के जाखमिया गांव है जबकि माही नदी का उद्गम बांसवाडा जिले व प्रतापगढ़ जिले का सीमान्त क्षेत्र है। जांखम नदी पर प्रतापगढ़ का प्रसिद्व जांखम बांध बना हुआ है। माही नदी पर बांसवाडा जिले के प्रसिद्व माही बांध बना हुआ है। माही नदी का जल अरब सागर में गिरता है। इसके अलावा अरनोद तहसील व प्रतापगढ़ तहसील की सीमा के आस–पास के क्षेत्र से एक बडा नदीनुमा नाला प्रतापगढ़ शहर से होता हुआ पीपलखूंट की तरफ बहकर अन्त में माही नदी मे मिल जाता है।

**2.4 <u>सामान्य जानकारी</u>:—**जिले में उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति/नगर निकाय/ ग्राम पंचायत वार विवरण निम्नानुसार है:—

| क्र.सं. | उपखण्ड का नाम | तहसील का नाम | पंचायत समिति का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | | नगर निकाय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 1 | बसाड़ | नगर परिषद प्रतापगढ़ |
| | | | | 2 | कुलथाना | |
| | | | | 3 | घोटारसी | |
| | | | | 4 | खेरोट | |
| | | | | 5 | झांसडी | |
| | | | | 6 | सिद्धपुरा | |
| | | | | 7 | बोरी | |
| | | | | 8 | अमलावद (पुनर्गठित) | |
| | | | | 9 | पानमोड (पुनर्गठित) | |
| | | | | 10 | गादोला (पुनर्गठित) | |
| | | | | 11 | बड़ीलॉक (पुनर्गठित) | |
| | | | | 12 | अचलपुर (पुनर्गठित) | |
| | | | | 13 | वरमंडल (पुनर्गठित) | |
| | | | | 14 | अवलेश्वर (पुनर्गठित) | |
| | | | | 15 | कुणी (पुनर्गठित) | |
| | | | | 16 | असावता (पुनर्गठित) | |
| | | | | 17 | बरोठा (पुनर्गठित) | |
| | | | | 18 | बसेरा (पुनर्गठित) | |
| | | | | 19 | केरवास (पुनर्गठित) | |
| | | | | 20 | मनोहरगढ़ (पुनर्गठित) | |
| | | | | 21 | गंधेर (पुनर्गठित) | |
| | | | | 22 | लोहारिया (पुनर्गठित) | |
| | | | | 23 | पीलु (पुनर्गठित) | |
| | | | | 24 | डाबडा (पुनर्गठित) | |
| | | | | 25 | कल्याणपुरा (पुनर्गठित) | |
| | | | | 26 | ओडवाडा(पुनर्गठित) | |
| | | | | 27 | मचलाना(पुनर्गठित) | |
| | | | | 28 | बजरंगगढ़ (नवसृजित) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | 29 | आमलीखेडा (नवसृजित) | |
| | | | | 30 | अक्षयपुर (नवसृजित) | |
| | | | | 31 | करमदीखेडा (नवसृजित) | |
| | | | | 32 | मगरोड़ा (नवसृजित) | |
| | | | | 33 | सामलीपठार (नवसृजित) | |
| | | | | 34 | बमोतर (नवसृजित) | |
| | | | | 35 | सेमलोपुर (नवसृजित) | |
| | | | धमोत्तर | 1 | देवपुरा | |
| | | | | 2 | ग्यासपुर | |
| | | | | 3 | सरीपीपली | |
| | | | | 4 | मधुरातालाब | |
| | | | | 5 | देवगढ़ | |
| | | | | 6 | चिकलाड | |
| | | | | 7 | जोलर | |
| | | | | 8 | नकोर | |
| | | | | 9 | बारावरदा | |
| | | | | 10 | पाल | |
| | | | | 11 | मेरियाखेड़ी | |
| | | | | 12 | खोरिया | |
| | | | | 13 | बरडिया | |
| | | | | 14 | रठाजना | |
| | | | | 15 | थडा | |
| | | | | 16 | नारायणखेडा | |
| | | | | 17 | कुलमीपुरा | |
| | | | | 18 | धमोतर | |
| | | | | 19 | खुंटगढ़ (नवसृजित) | |
| | | | | 20 | मगरी (नवसृजित) | |
| | | | | 21 | टीला (नवसृजित) | |
| | | | | 22 | बिहारा (नवसृजित) | |
| | | | | 23 | खेडानाहरसिंहमाता (नवसृजित) | |
| | | | | 24 | मांडकला (नवसृजित) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 25 | ढ़ीकनिया (नवसृजित) | |
| | | | | 26 | केसरपुरा (नवसृजित) | |
| | | | | 27 | बम्बोरी (नवसृजित) | |
| | | | | 28 | काजलीखेडा (नवसृजित) | |
| | | | | 29 | बरखेडा रामप्रद (नवसृजित) | |
| | | | | 30 | बावडीखेडा (नवसृजित) | |
| 2 | अरनोद | अरनोद | अरनोद | 1 | अरनोद | नगर पालिका अरनोद (नवसृजित) |
| | | | | 2 | लालगढ़ | |
| | | | | 3 | मोवाई | |
| | | | | 4 | मोहेड़ा | |
| | | | | 5 | कोटड़ी | |
| | | | | 6 | अचलावदा | |
| | | | | 7 | विरावली | |
| | | | | 8 | जाजली | |
| | | | | 9 | साखथलीखुर्द | |
| | | | | 10 | चूपना | |
| | | | | 11 | नौगावां | |
| | | | | 12 | हिंगलाट | |
| | | | | 13 | अचनारा | |
| | | | | 14 | फतेहगढ़ | |
| | | | | 15 | बेड़मा | |
| | | | | 16 | मण्डावरा (नवसृजित) | |
| | | | | 17 | कोदिनेरा (नवसृजित) | |
| | | | | 18 | लुपड़ी (नवसृजित) | |
| | | | | 19 | प्रतापपुरा (नवसृजित) | |
| | | | | 20 | बड़वास कला (नवसृजित) | |
| | | | | 21 | नागदी (नवसृजित) | |
| | | दलोट | दलोट | 1 | बोरदिया | |
| | | | | 2 | भाटभमरिया | |
| | | | | 3 | बोरी अ | |
| | | | | 4 | सालमगढ़ | |
| | | | | 5 | भचुण्डला | |
| | | | | 6 | दलोट | |
| | | | | 7 | रायपुर | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8 | सेवना | |
| | | | | 9 | रायपुरजंगल | |
| | | | | 10 | निनोर | |
| | | | | 11 | चकुण्डा | |
| | | | | 12 | कानगढ़ | |
| | | | | 13 | आम्बीरामा | |
| | | | | 14 | बड़ीसाखथली | |
| | | | | 15 | उंठेल | |
| | | | | 16 | लिलिया (नवसृजित) | |
| | | | | 17 | लापरियारुण्डी (नवसृजित) | |
| | | | | 18 | जीरावता (नवसृजित) | |
| | | | | 19 | चन्देरा (नवसृजित) | |
| | | | | 20 | सातमहुड़ी (नवसृजित) | |
| | | | | 21 | कुम्हारियों का पठार (नवसृजित) | |
| | | | | 22 | चौखलीपिपली (नवसृजित) | |
| | | | | 23 | बांसलाई (नवसृजित) | |
| | | | | 24 | लुहार खाली (नवसृजित) | |
| 3 | छोटीसादडी | छोटीसादडी | छोटीसादडी | 1 | सूबी | नगर पालिका छोटीसादड़ी |
| | | | | 2 | केसुन्दा | |
| | | | | 3 | पीलीखेडा | |
| | | | | 4 | गोमाना | |
| | | | | 5 | नाराणी | |
| | | | | 6 | पीथलवडीकलां | |
| | | | | 7 | गणेशपुरा | |
| | | | | 8 | सेमरथली | |
| | | | | 9 | चांदोली | |
| | | | | 10 | गागरोल | |
| | | | | 11 | कारुंडा | |
| | | | | 12 | जलोदाजागीर | |
| | | | | 13 | बम्बोरी | |
| | | | | 14 | करजू | |
| | | | | 15 | साटोला | |
| | | | | 16 | मानपुराजागीर | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17 | बसेडा | |
| | | | | 18 | धोलापानी | |
| | | | | 19 | सियाखेडी | |
| | | | | 20 | कालाकोट | |
| | | | | 21 | स्वरूपगंज | |
| | | | | 22 | अम्बावली | |
| | | | | 23 | रम्भावली | |
| | | | | 24 | जलोदियाकेलुखेडा | |
| | | | | 25 | बसेडीकुण्डाल(नवसृजित) | |
| | | | | 26 | अचलपुरा(नवसृजित) | |
| | | | | 27 | सेमरडा(नवसृजित) | |
| | | | | 28 | हडमतियाजागीर(नवसृजित) | |
| | | | | 29 | करणपुरकलां (नवसृजित) | |
| | | | | 30 | हरिपुरा(नवसृजित) | |
| | | | | 31 | ईटोका तालाब (नवसृजित) | |
| | | | | 32 | भाटखेडी(नवसृजित) | |
| | | | | 33 | बरखेडा(नवसृजित) | |
| | | | | 34 | ढावटा(नवसृजित) | |
| 4. | धरियावद | धरियावद | धरियावद | 1 | गोठडा | नगरपालिका धरियावद**(नवसृजित(** |
| | | | | 2 | हजारीगुडा | |
| | | | | 3 | नाड़ | |
| | | | | 4 | आड | |
| | | | | 5 | पारसोला | |
| | | | | 6 | चरपोटिया | |
| | | | | 7 | पिपलिया | |
| | | | | 8 | भाण्डला | |
| | | | | 9 | झडोली | |
| | | | | 10 | लोहागढ | |
| | | | | 11 | चित्तौडीया | |
| | | | | 12 | धरियावद | |
| | | | | 13 | खुता | |
| | | | | 14 | माण्डवी | |
| | | | | 15 | पारेल | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16 | सिंहाड | |
| | | | | 17 | पहाडा | |
| | | | | 18 | शकरकन्द | |
| | | | | 19 | गदवास | |
| | | | | 20 | नया बोरिया | |
| | | | | 21 | अणत | |
| | | | | 22 | लोदिया | |
| | | | | 23 | भरकुण्डी | |
| | | | | 24 | देवला | |
| | | | | 25 | मानपुर | |
| | | | | 26 | गोपालपुरा | |
| | | | | 27 | लोडी माण्डवी | |
| | | | | 28 | नलवा | |
| | | | | 29 | केसरियावाद | |
| | | | | 30 | गाडरियावास | |
| | | | | 31 | चारणिया | |
| | | | | 32 | चरी | |
| | | | | 33 | दांतलीया | |
| | | | | 34 | बिलडिया | |
| | | | | 35 | भोजपुर | |
| | | | | 36 | वजपूरा | |
| | | | | 37 | जवाहर नगर | |
| | | | | 38 | मुंगाणा | |
| | | | | 39 | वगतपूरा (नवसृजित) | |
| | | | | 40 | वालीसीमा (नवसृजित) | |
| | | | | 41 | शिवपुरी (नवसृजित) | |
| | | | | 42 | केसरपुरा (नवसृजित) | |
| | | | | 43 | गरडा (नवसृजित) | |
| | | | | 44 | परवारिया साग (नवसृजित) | |
| | | | | 45 | अम्बाव (नवसृजित) | |
| | | | | 46 | मूणीया (नवसृजित) | |
| | | | | 47 | जुनाबोरिया (नवसृजित) | |
| 5 | पीपलखूंट | पीपलखूंट | पीपलखूंट | 1 | नालपाडा | |
| | | | | 2 | बोरी पी | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | बक्तोड़ | |
| | | | | 4 | घंटाली | |
| | | | | 5 | जेथलिया | |
| | | | | 6 | सोबनिया | |
| | | | | 7 | कालीघाटी | |
| | | | | 8 | पीपलखूंट | |
| | | | | 9 | मोरवानिया | |
| | | | | 10 | रोहनिया | |
| | | | | 11 | टामटिया | |
| | | | | 12 | ठेचला | |
| | | | | 13 | डुंगलावानी | |
| | | | | 14 | परथीपूरा | |
| | | | | 15 | नायन | |
| | | | | 16 | केलामेला | |
| | | | | 17 | कूपडा | |
| | | | | 18 | जामली | |
| | | | | 19 | महुवाल (नवसृजित) | |
| | | | | 20 | पीपल्दा (नवसृजित) | |
| | | | | 21 | बावड़ी (नवसृजित) | |
| | | | | 22 | सागबारी (नवसृजित) | |
| | | | | 23 | काकरवापाडा (नवसृजित) | |
| 6 | सुहागपुरा | सुहागपुरा | सुहागपुरा | 1 | कचोटीया | |
| | | | | 2 | सेमलिया | |
| | | | | 3 | सोडलपुर | |
| | | | | 4 | केसरपुरा | |
| | | | | 5 | वीरपुर | |
| | | | | 6 | सुहागपुरा | |
| | | | | 7 | पंडावा | |
| | | | | 8 | मोटाधामनिया | |
| | | | | 9 | रतनपुरिया | |
| | | | | 10 | मोटीखेडी | |
| | | | | 11 | रामपुरिया | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12 | छरी | |
| | | | | 13 | पाडलिया (नवसृजित) | |
| | | | | 14 | बानघाटी (नवसृजित) | |
| | | | | 15 | पटेलिया (नवसृजित) | |
| | | | | 16 | दतियार (नवसृजित) | |
| | | | | 17 | धारियाखेडी (नवसृजित) | |
| | | | | 18 | लाम्बाडाबडा (नवसृजित) | |
| | | | | 19 | कुशलपुरा(नवसृजित) | |
| | | | | 20 | मोटामायंगा(नवसृजित) | |
| | | | | 21 | तलाया(नवसृजित) | |

## 2.5 नदियां व बांध –प्रतापगढ़ क्षैत्र से गुजरने वाली मुख्य नदियों का विवरण एवं उन परस्थित बाँध

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जाखम नदी | जाखम बाँध वृहद सिंचाई परियोजना, नागलिया पिक अप वियर एवं हाण्डाखेडा पिक अप वियर |
| 2. | करमोई नदी | करमोई पिक अप वियर |
| 3. | सुकली नदी | ---------- |

## नदियों पर स्थित रीवर–गेज स्टेशन का विवरण

| क्र.स. | रीवरगेजस्टेशन | गेजस्थल का नाम | रीवर–गेज मीटर में (HFL) | रीवर–गेजस्टेशन के प्रभारी मय दूरभाष/मोबाईल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जाखम नदी | Old Road Dhariyawad to Pratapgarh | 9.50 mtr<br>Dt 07.09.1973<br>4660.00 Cumecs | श्री उमंग मीणा<br>कनिष्ठ अभियन्ता<br>9828246499 |
| 2 | करमोई नदी | Karmoi Pick up weir | 4.30 mtr<br>Dt 31.08.1973<br>1888.94 Cumes | |
| 3 | जाखम नदी | Nagliya Pick up weir | 5.50 mtr<br>Dt 07.09.1973<br>4195.61 Cumecs | |

## 2.6 प्रतापगढ़ जिले के बॉधों का विवरण

| क्र. सं. | बांधों का नाम | तहसील | कुलभराव क्षमता (एम.सी.एफ.टी.) | फ्लडलिफ्ट (मीटर मे) | अधिकतम फ्लडडिस्चार्ज (क्यूमेक्स) | गेज एफ. टी. एल. पर (मीटर मे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | गादोला | प्रतापगढ़ | 179.16 | 1.00 | 183.00 | 5.49 |
| 2 | मचलाना | प्रतापगढ़ | 148.30 | 1.80 | 332.75 | 10.00 |
| 3 | बजरंगगढ़ | प्रतापगढ़ | 71.00 | 0.90 | 286.89 | 4.60 |
| 4 | बरडीया | प्रतापगढ़ | 70.12 | 1.20 | 195.95 | 6.70 |
| 5 | हमजा खेड़ी | अरनोद | 193.68 | 2.00 | 426.38 | 7.00 |
| 6 | चाचाखेड़ी | अरनोद | 58.60 | 0.85 | 172.08 | 4.00 |
| 7 | बसेड़ालोवर | छोटीसादड़ी | 57.56 | 0.60 | 96.22 | 3.66 |
| 8 | बागदरी | छोटीसादड़ी | 31.46 | 1.10 | 93.20 | 3.80 |
| 9 | जाखम | धरियावद | 5015.00 | 12.15 | 11944.00 | 31.00 |
| 10 | गागरी | धरियावद | 226.38 | 1.67 | 708.00 | 7.92 |
| 11 | वाजना | धरियावद | 141.34 | 1.50 | 436.70 | 10.00 |
| 12 | बोरिया | पीपलखूँट | 156.37 | 1.30 | 318.37 | 9.20 |
| 13 | मेल | पीपलखूँट | 164.00 | 2.00 | 407.82 | 10.50 |
| 14 | वोरीवानगढ़ी | पीपलखूँट | 96.89 | 1.30 | 250.75 | 11.00 |
| 15 | बख्तोड़ | पीपलखूँट | 50.75 | 0.65 | 119.42 | 9.60 |
| 16 | काली घाटी | पीपलखूँट | 28.20 | 1.00 | 89.83 | 7.75 |

## 2.7 परिवहनः–

- **वायुमार्ग**–आपातकाल के लिए जिला मुख्यालय से 7 कि. मी. की दुरी पर हवाई पटटी उपलब्ध है। इसके साथ ही उदयपुर हवाई अडडा भी जिला मुख्यालय से लगभग 145 किलोमीटर दूर है।
- **रेलमार्ग**–प्रतापगढ़ से रेल सुविधा नहीं है।
- **सड़कमार्ग–**राष्ट्रीय राजमार्ग–113 निम्बाहेडा से दाहोद पर अवस्थित प्रतापगढ़ सडक मार्ग से राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश से जुडा हुआ है । 12–अ यहां की अन्तराज्यीय मुख्य जिला सड़क है । राजस्थान परिवहन निगम की और प्राइवेट बसें प्रतिदिन सभी प्रमुख गांवो के अलावा कई शहरो जैसे–मंदसोर 32 किमी, निम्बाहेडा 82 किमी, बांसवाडा 85 किमी, चित्तौडगढ़ 110 किमी, उदयपुर 160 किमी, राजसमन्द 133 किमी, अजमेर 300 किमी डूंगरपुर 95 किमी, जयपुर 420 किमी, जोधपुर 435 किमी, धौलपुर 585 किमी, सूरत 512 किमी और दिल्ली 705 किमी हैं। जिले में 2362.35 किमी पक्की सड़के जो निम्नानुसार है–

ब

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | दूरी |
|---|---|---|---|
| 1 च च | नेशनल हाईवे (नं.–113) | किमी | 101 |
| 2 ल | स्टेट हाईवे | किमी | 197 |
| 3 त | एम.डी.आर | किमी | 45 |
| 4 ी | ओ.डी.आर. | किमी | 12 |
| 5 ह ै | विलेजरोड़ | किमी | 1865.15 |
| 6 | कृषिमण्डीरोड़ | किमी | 142.20 |
| | कुल योग | किमी | 2362.35 |

## 2.8 जिला प्रशासन की सूची

| जिला प्रशासन | कोड नम्बर | ऑफिस | निवास |
|---|---|---|---|
| जिला कलेक्टर प्रतापगढ | 01478 | 222266<br>222262 | 222277 |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद प्रतापगढ | 01478 | 220007 | 220008 |
| अति. जिला कलेक्टर प्रतापगढ | 01478 | 222333 | 222344 |
| उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ | 01478 | 222026 | 222726 |
| उपखण्ड अधिकारी, अरनोद | 01479 | 242830 | 242831 |
| उपखण्ड अधिकारी, धरियावद | 02950 | 270781 | 270890 |
| उपखण्डअधिकारी, छोटीसादडी | 01473 | 262669 | 263009 |
| उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट | 02961 | | |
| तहसीलदार प्रतापगढ | 01478 | 222029 | 222029 |
| तहसीलदार अरनोद | 01479 | 242430 | 242430 |
| तहसीलदार छोटीसादडी | 01473 | 262433 | 262433 |
| तहसीलदार धरियावद | 02950 | 270031 | 270031 |
| तहसीलदार पीपलखूंट | 02961 | 233514 | 233514 |
| विकास अधिकारी, प्रतापगढ | 01478 | 01478222039 | 222039 |
| विकास अधिकारी, अरनोद | 01479 | 01479242228 | 242228 |
| विकास अधिकारी, छोटीसादडी | 01473 | 01473262428 | 262428 |
| विकास अधिकारी, धरियावद | 02950 | 02950270022 | 270022 |
| विकास अधिकारी, पीपलखूंट | 02961 | 02961233308 | 233308 |
| अधीक्षण अभियंता, प्रतापगढ | 01478 | 222083 | |
| अधिशाषी अभियंता, प्रथम प्रतापगढ | 01478 | 222083 | 220683 |
| अधिशाषी अभियंता, द्वितीय प्रतापगढ | 01478 | 222083 | |
| अधिशाषी अभियंता, एन.एच. प्रतापगढ | 01478 | 222083 | |
| अधिशाषी अभियंता, जाखम परियोजना | 02950 | 270021 | 280237 |
| सहायक अभियंता प्रतापगढ | 01478 | 222683 | 222683 |
| अधिशाषी अभियंता प्रतापगढ | 01478 | 222162 | 223759 |
| सहायक अभियंता प्रतापगढ | 01478 | 222040 | 222006 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| अधिशाषी अभियंता, प्रतापगढ | 01478 | 222862 | 222863 |
| अधिशाषी अधिकारी, प्रतापगढ | 0178 | 222043 | 220159 |
| अधिशाषी अधिकारी, छोटीसादडी | 01473 | 262422 | |
| मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ | 01478 | 222564 | 222756 |
| प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ | 01478 | 222939 | 222949 |
| उपवन संरक्षक प्रतापगढ | 01478 | 222004 | 222114 |
| सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ | 01478 | 222004 | 222114 |
| पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ | 01478 | 222283<br>223156 | 222284 |
| अति. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ | 01478 | 223156 | 222156 |
| उप पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ | 01478 | 223756 | 222056 |
| सहायक निदेशक, प्रतापगढ | 01478 | 222382 | |
| सचिव, कृषि उपज मण्डी, प्रतापगढ | 01478 | 222097 | 222018 |
| जिला परिवहन अधिकारी, | 01478 | 220699 | |
| परिवहन निरीक्षक, प्रतापगढ | 01478 | 220699 | |

# भाग– III

**3.1 नागरिक सुरक्षा सेवायें**–नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत हवाइ हमले नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (Revised Edition 2011) एवं नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त (Revised Edition 2003) के तहत हवाई हमला एवं अन्य आपदाओं के दौरान जान व माल की सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु, नागरिक सुरक्षा कार्यों को निम्नानुसार 12 सेवाओं में विभक्त किया गया है :–

| क्र. सं. | सेवा का नाम | नगरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की अधिकृत नफरी | वर्तमान में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक |
|---|---|---|---|
| 1. | मुख्यालय | – | – |
| 2. | संचारसेवा | 285 | 24 |
| 3. | वार्डनसेवा | 1458 | 20 |
| 4. | अग्निशमनसेवा | 10868 | 12 |
| 5. | प्रशिक्षणसेवा | 14350 | 24 |
| 6. | हताहतसेवा | 625 | 20 |
| 7. | बचाव | 416 | 32 |
| 8. | साल्वेजसेवा | 117 | 20 |
| 9. | पूर्तिसेवा | 90 | 10 |
| 10. | डिपो व परिवहनसेवा | 70 | 10 |
| 11. | कल्याणसेवा | 728 | 12 |
| 12. | शवनिपटानसेवा | 78 | 12 |
| | योग | 29085 | 176 |

नॉट :–रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी 2009 के तहत नागरिक सुरक्षा की आपदा प्रबन्धन में अतिरिक्त भूमिका दिये जाने के उपरान्त, भारत सरकार द्वारा गठित कमेठी द्वारा उक्त 12 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के स्थान पर निम्नानुसार 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के गठन की सिफारिश की गयी है :–

1. मुख्यालय व संचार सेवा
2. वार्डन सेवा
3. हताहत सेवा
4. प्रशिक्षण सेवा
5. अग्निशमन सेवा
6. बचाव व साल्वेज सेवा
7. कल्याण सेवा

(इसके साथही उक्त 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अतिरिक्तजन–जागरुकता कार्यक्रम (Public Awarness) एवं सामुदायिक क्षमता वर्द्धन (Community Capacity Building) जैसे अतिरिक्त कार्य भी नागरिक सुरक्षा के माध्यम से संचालित किये जा सकेंगे।)

**3.2 नागरिक सुरक्षा सेवा के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों का मनोनयन**–नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 5(I) में प्रदत्त शक्तियों नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा सेवाओं के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मनोनीत किये गये हैं :–

| क्र.सं. | नाम सेवा | पद | दूरभाषनंबर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आफिस | घर |
| 1. | मुख्यालय सेवा | नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिकसुरक्षा प्रतापगढ़ | 222266<br>222262 | 222277 |
| 2. | संचार सेवा | दूरसंचार जिला प्रबन्धक प्रतापगढ़ | 220400 | 222333 |
| 3. | वार्डन सेवा | उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ | 222026 | 222726 |
| 4. | अग्निशमन सेवा | आयुक्त, नगर परिषद्, प्रतापगढ़ | | |
| 5. | प्रशिक्षण सेवा | उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, प्रतापगढ़ | 222333 | 222344 |
| 6. | हताहत सेवा | मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, प्रतापगढ़ | 222564 | 222756 |
| 7. | बचाव सेवा | अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़। | 222083 | – |
| 8. | साल्वेज सेवा | तहसीलदार, प्रतापगढ़ | 222029 | 222029 |
| 9. | पूर्ति सेवा | जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ | | |
| 10. | डिपो व परिवहन सेवा | जिला परिवहन अधिकारी, प्रतापगढ़ | 220699 | – |
| 11. | कल्याण सेवा | सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग प्रतापगढ़ | | |
| 12. | शवनिपटान सेवा | सेन्ट्री निरीक्षक, नगरपरिषद्, प्रतापगढ़ | | |

**1. मुख्यालय सेवा(Headquarter Service)**– मुख्यालय व संचारसेवा के अन्तर्गत नियत्रंक (जिला कलक्टर) द्वारानागरिकसुरक्षा अधिनियम 1968 के तहतप्रदत शक्तियों, अधिकारों व नियमों के आधारपरनागरिकसुरक्षा की विभिन्नसेवाओं के लिए सम्बधितसरकारीतन्त्र कोआवश्यक दिशा–निर्देशदियेजाकरआमजनता के मनोबल/जानमाल की क्षतिको कम से कम करने के लिए कार्यविकेन्द्रितकरनियन्त्रित कियाजाताहै।

1.1**नियंत्रक (Controller)**–राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम (27) 1968 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को जिले में नागरिक सुरक्षा का ''नियंत्रक'' नियुक्त किया गया है। नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के कार्य निम्नानुसार हैं:-

- जिले की नागरिक सुरक्षा की योजना और उसके कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखना।
- नागरिक सुरक्षा कार्यों के तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक की भूमिका निभाना।
- विभिन्न उप–नियंत्रण केन्द्रों के बीच या निकटवर्ती क्षेत्रों से पारस्परिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- स्थिति की पर नियंत्रण हेतु समस्त सेवा प्रभारियों व संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देनें एवं इसकी जानकारी उच्च–अधिकारियों कोभेजने का कार्य।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंधन का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।
- बाहरी आक्रमण की स्थिति में हवाई हमले से होने वाले संभावित खतरे एवं उससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 के तहत हवाई हमले से पहले, दौरान व बाद में किये जाने वाले उपाय/कार्य।

**1.2 मुख्यालय सेवा के कर्तव्यः–**नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (पृष्ठ 97 से 111 तक) के अनुसार मुख्यालय सेवा के कर्तव्यों को निम्नानुसार तीन भागो मे बॉटा गया हैः–

**(क) शान्तिकाल में कर्तव्यः–**

- नागरिक सुरक्षा संबंधी योजना पूर्ण रूप से तैयार करना।

- नागरिक सुरक्षा सेवाओ ंके सभी उपकरण प्राप्त करना, सही रखना तथा उचित भण्डारण करना।
- नागरिक सुरक्षा की योजना के अनुसार नागरिको को प्रशिक्षित करना, सेवाओं को तैयार करना, उनका कार्य क्षैत्र निर्धारित करना।
- आवश्यक सेवाओं की आपातकालीन योजना बनाना।
- वाहनों की संख्या का आंकलन कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वाहनों के ढांचे मे परिवर्तन आवश्यकतानुसार चाहिए तो उसका प्रबन्ध करना।
- आपातकालीन समय मे डीजल, पैट्रोल ,ऑयल ग्रीस तथा स्पेयर पार्टस की मॉग बढ जाती है। उनकी आपूर्ति हेतु योजना बनाना एवं नियन्त्रण में रखना।
- रोशनी पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश की आवश्यकता होने पर प्रकाश प्रतिबन्ध आदेश G.P.C.D. के पृष्ठ सं. 174 से 184 तक निर्दिष्ट है, को लागू कराना एवं उसका कड़ाई से पालन करना।
- हवाई हमलों के दौरान स्थानीय आर्मी के एक प्रतिनिधि को नियन्त्रण कक्ष मे बैठाने की व्यवस्था कराना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करना G.P.C.D..में निर्दिष्टानुसार सेवा प्रभारियों को कार्य बॉटकर योजना बनाने मे मदद लेना।

**(ख) <u>चेतावनी से पूर्व (प्रिकॉशनरी स्टेज) के कर्तव्य</u>:–**

- नागरिक सुरक्षा उपायो का पूर्वालोकन करना।
- जनसाधारण को नागरिक सुरक्षा प्रबन्धो के संबधं मे विस्तार से जानकरी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- जनता को अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित करना।
- नागरिक सुरक्षा जन आवश्यकता हेतु निर्धारित मकानो के अधिग्रहण करने की सूचना देकर कार्यवाही करना।
- एडवाइजरी कमेटी (को–ओर्डीनेशन कमेटी)/नागरिक सुरक्षा सेवा प्रभारी अधिकारियों से विचार विमर्श कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा आवश्यक सेवाओं वाले भवनों/कार्यालयों को सुरक्षित करवाना।
- टेलीफोन विभाग को नागरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टेलीफोन की मांग देना।
- शान्तिकाल मे किए गए सभी प्रयासो को मूर्त रूप मे तैयार रखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ के लिए स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं से आवश्यक सहयोग हेतु बैठक करना।
- नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखवाना।

- आवश्यकता पड़ने पर पास वाले नागरिक सुरक्षा नगर से सहायता लेने की योजना बनाना।
- निष्क्रमण योजना की पूर्ण तैयारी करना।
- नागरिक सुरक्षा भण्डार की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से उचित बजट प्राप्त करना।
- समयानुसार रिपोर्ट भिजवाना।

**(क) <u>युद्व काल में कर्तव्य</u>:–**

- समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयासों को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाना।
- सभी वांछित वाहन, मकान आदि का अधिग्रहण करना, सभी नागरिक सुरक्षा सेवाओं के आपसी तालमेल को देखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ को वांछित सामान उपलब्ध कराते रहना एवं उनका भण्डारण करना।
- पशु पक्षी आदि की सुरक्षा व्यवस्था निश्चित कराना।
- सभी नागरिक सुरक्षा उपायो का समय–समय पर निरीक्षण करते रहना।
- डीजल पैट्रोल ऑयल वाहन के पुर्जे आदि का भण्डारण सुरक्षित रखना।
- प्रकाश व्यवस्था की जनता में जानकारी देते हुए उसकी समय व्यवस्था को कडाई से लागे कराना।
- जन कार्यो हेतु वांछित भवन, कार्यालयो की समुचित सुरक्षा कराना।
- शैडो कन्ट्रोल रूम में आवश्यक साधनो की उचित व्यवस्था करना।
- समय–समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना एवं राज्य सरकार को भेजना।

## 2. संचार सेवा (Communication Service)

**2.1** **चेतावनी प्रणाली** :–नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया गया है।

2.2 **नियत्रण कक्ष**– नागरिकसुरक्षा की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्लापों का नियंत्रण करने के लिए, नागरिक सुरक्षा सेवाओं का आपसी सांमजस्य बनाये रखने के लिए तथा युद्व संबंधी सूचनाऐं एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को सूचित करने के लिए, नियन्त्रक (जिला कलक्टर) एवं अन्य नागरिक सुरक्षा सेवाओं के ऑफिसर कमान्डिंग के साथ बैठ कर युद्व/आपदा की स्थिति की समीक्षा और उनको कार्य रूप देने के लिए इत्यादि हेतु चिन्हित स्थान में ''**नियंत्रण कक्ष**'' स्थापित किया जाता है, जहां से समस्त नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम के आधार पर जिले में नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रण केन्द्रों की स्थापन की जाती है।

**2.3** **नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली के साधन**:–समय–समय पर भारत सरकार की संचार नीति राज्य सरकार को प्रेषित कर नागरिक सुरक्षा में संचार साधन उपलब्ध कराये जाते है। राज्य सरकार नीति अनुरूप संचार साधनों हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड में उपलब्ध नवीन तकनीक के साधनों की जानकारी एवं साधनों की उपलब्धता तथा उन पर होने वाले व्यय को मध्य नजर रखते हुए, अपने नागरिक सुरक्षा नगरों मे विभिन्न साधन उपलब्ध कराती है, जो निम्नानुसार है:–

**टेलीफोन** :–

- बाहरी संचार व्यवस्था के तहत वायुसेना नियंत्रण कक्ष को रीजनल सिंविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर तक एक टेलीफोन नॉन एक्सचैन्ज लाईन से जोडा जाता है।
- आर.सी.डी.सी.सी से टी.सी.डी.सी.सी. तक व आगे एस.सी.डी.सी.सी. तक चेतावनी देने हेतु टेलीफोन की एन.ई. लाईन द्वारा विशेष सुविधा 'कान्फ्रेस कॉल फेसेलिटि' प्रदत की जाती है।
- टेलीफोन द्वारा ही शहर में विशेष अधिकारियों/वार्डन पोस्टों, कार्यालयों को एक साथ चेतावनी सूचना देने की सुविधा ''साइमलटेनियस ब्रॉडकास्ट फैसेलिटी'' द्वारा प्रदत कराई जाती है।

**वायरलैस**:–नागरि कसुरक्षा संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने राज्यों में नागरिक सुरक्षा नेट पर वायर लैस उपलब्ध कराये हैं ताकि टेलीफोन लाईन में खराबी आने पर वायरलैस से सूचना दी जा सके और निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण हो, सुनिश्चित किया जा सके।

**मोटरसाईकिल** :–आउटडोर संदेश स्थानीय स्तर पर भिजवाने हेतु उपरोक्त दोनो व्यवस्थायें ठप्पहोने की स्थिति में नियंत्रण कक्ष से मोटरसाईकिल द्वारा संदेश भेजे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपात समय में परिवहन विभाग से आवश्यकतानुसार वाहन की मांग की जाती है।

2.4 **चेतावनी प्रणाली के संदेश**—नागरिक सुरक्षा में समय की बचत के लिए एवं सदेश की एक रूपता बनाये रखने के लिए संचार साधनो पर सीमित शब्दो के संदेश प्रसारित किये जाते हैं। ये निम्नानुसार है :—

| हवाई हमला चेतावनी संदेश | कार्यवाही | किसके लिए होगा |
|---|---|---|
| ''पीला'' | तैयारी संदेश | क्वेल संबधित अधिकारियों को दिया जाना है। |
| ''लाल'' | खतरे का संदेश | आमजन एवं सभी अधिकारियों को |
| ''हरा'' | खतरा टलने का संदेश | आमजन एवं सभी अधिकारियों को |
| ''सफेद'' | हवाई हमला चेतावनी संदेशों को निरस्त करना | जिन्हें पीला संदेश की सूचना दी गयी उनको दी जानी है |

## 3. वार्डन सेवा(Warden Service)

**3.1** **वार्डन सेवा संगठन**—वार्डन सेवा नागरिक सुरक्षा की रीढ की हड्डी का कार्य करती है। जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों में से योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर उसी क्षेत्र के निवासी जो शारीरिक व मानसिक रुप से फिट/स्वस्थ हो व जिनके विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामले दर्ज/विचाराधीन नहीं हों, को संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रावधानानुसार वार्डनों (अवैतनिक ऑनरेरी पदाधिकारी) का चयन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन में उपलब्ध स्वयं सेवकों में से ही वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर वार्डनों का चयन प्रथम 03 वर्ष या उसकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता पूर्ण होने (जो भी पहले हो) तक संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाता है। उक्त वार्डनों के कार्यमूल्यांकन के आधार पर, यदि नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा उचित समझे तो उनकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता का अगले 03 वर्ष के लिए नवीनीकरण करते हुए, उसे पुनः नागरिक सुरक्षा वार्डन नियुक्त कर सकता है। युद्ध/आपदा की स्थिति में नुकसान को कम से कम करने, स्थानीय लोगों को नागरिक सुरक्षा व आपदा प्रबन्धन कार्यों में जागरुक करने व उन्हें नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक बनने के लिए प्रेरित करने, उनका मनोबल बनाये रखने एवं क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कार्यो को प्रभावी बनाये रखने इत्यादि को देखते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम एवं रिवेंपिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी के तहत भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार वार्डनों को मनोनयन किया जाता है :—

| क्र.सं. | वार्डनपदनाम | जनसंख्या/अन्य आधार | |
|---|---|---|---|
| | | नगरीय क्षेत्र | ग्रामीण क्षेत्र |
| 1. | मुख्य वार्डन | जिला स्तर पर 01 | |
| 2. | अतिरिक्त मुख्य वार्डन | | |
| 3. | उप मुख्य वार्डन | जिला स्तर पर 02 (01 उप मुख्य वार्डन शहरी क्षेत्र व 01 उप मुख्य वार्डन ग्रामीण क्षेत्र) | |
| 4. | डिवीजनल वार्डन | 02 लाख जनसंख्या पर 01 | उपखण्ड स्तर पर 01 |
| 5. | डिप्टी डिवीजनल वार्डन | 02 लाख जनसंख्या पर 01 | उपखण्ड स्तर पर 01 |
| 6. | पोस्ट वार्डन | 20000 जनसंख्या पर 01 | 05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01 |
| 7. | डिप्टी पोस्ट वार्डन | 20000 जनसंख्या पर 01 | 05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01 |
| 8. | सेक्टर वार्डन | 4000 जनसंख्या पर 02 | प्रति ग्रामपंचायत 02 |
| **उक्त वार्डनों में से आवश्यकतानुसार प्रति 50000 की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध वार्डनों में से ही 01 घटना अधिकारी मनोनीत किया जा सकेगा।** | | | |

3.2 **<u>वार्डन के कर्तव्य</u>**—वार्डन अपने क्षैत्र का परिचित, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वार्डन के कर्तव्य व कार्यो के मध्येनजर सोच समझकर प्रभावशाली व्यक्ति का चयन वार्डन के लिए किया जाता है। वार्डन अपने व्यक्तिगत के प्रभाव से स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करता है। वार्डन का कार्य क्षेत्र नियमानुसार है :—

| हवाई हमले/आपदा से पहले कार्य | हवाई हमले/आपदा के दौरान के कार्य | हवाई हमले/आपदा के बाद कार्य |
|---|---|---|
| वार्डन अपने क्षेत्र की दिन के समय के लिए एवं रात्रि के समय के लिए सम्पूर्ण जानकरी रखता है।<br>वार्डन अपने क्षेत्र के सभी परिवार जन की सम्पूर्ण जानकारी रखता है तथा एक हाउस होल्ड, रजिस्टर तैयार करता है।<br>वार्डन आपदा के समय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा उपायो के लिए विभिन्न स्थानो की जानकारी रखते हुए उनको वार्डन डायरी में लिखकर रिकॉर्ड तैयार रखता है।<br>वार्डन अपने क्षेत्र के लिए नागरिक सुरक्षा सेवाओ में स्वयं सेवक प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र के लोगो को प्ररित करता है।<br>वार्डन अपने अधीन गृह अग्निशमन दल | वार्डन नियन्त्रण कक्ष से सूचना पर अपने क्षेत्र मे स्थित वार्डन पोस्ट पर अपनी उपस्थिति देता है।<br>वार्डन अपने साज सामान से लैस होकर नागरिको को अपने क्षेत्र में सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह सहायको की मदद से देता है।<br>वार्डन अपने क्षेत्र में सायरन नही सुनाई दिये जाने की स्थिति में अन्य साधनो से तदनुसार जानकारी देने का काम करता है।<br>घटना स्थल पर नियन्त्रण के | वार्डन हवाई हमले के तुरन्त बाद क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत जानकरी लेता हैं।<br>वार्डन अपने क्षेत्र में उपलब्ध/कार्यरत नागरिक सुरक्षा की राहत सेवाओं/अन्य बचाव दलों की जानकारी लेता है।<br>वार्डन घटना के बाद आमजन में फैले आंतक को रोकने व स्थानीय लोगों में आश्वासन व धैर्य बनाये रखता है।<br>वार्डन अपने क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं में आई रूकावटों को यथा संभव शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही करता है। |

| | | |
|---|---|---|
| के लिए स्वयं सेवको का चयन कर उनको नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षिण लेने के लिए प्रेरित करता है, नामों की सूची बनाकर प्रशिक्षिण अधिकारी को देता हैं।<br>वार्डन आमजन को किसी भी आपदा से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा उपायो की जानकारी विस्तृत से समय–समय पर देता है।<br>वार्डन अपने क्षेत्र में प्रशासन की सहायता पहुंचने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने हेतु ''सैल्फ हैल्प पार्टी'' तैयार करता हैं। | दौरान कार्य कर रहे विभिन्न दलों को कार्य क्षेत्र की जानकारी देने का कार्य, अधिकारियों व आमजन के मध्य सभी उचित सम्पर्क रखने का कार्य करते हैं। | वार्डन निंरतर नियन्त्रण कक्ष के सम्पर्क में रहता है। |

**4. <u>अग्निशमन सेवा (Fire Service)</u>**–हवाई हमलों के दौरान अग्नि दुघर्टनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटनें के लिए निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का गठन किया गया है।

**4.1 गृह अग्निशमन दल (House Fire Party) –**आग लगने की स्थिति में आग को प्रारंभिक स्थिति में ही नियंत्रण किये जाने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए नागरिक सुरक्षा गृह अग्निशमन दलों का गठन किये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रति 1000 जनसंख्या पर एक 04 सदस्यीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के गृह अग्निशमन दल का गठन किया जावेगा, जो आग को बढ़ने से रोकने में सहायक होगा। ये दल उस क्षेत्र के नागरिक सुरक्षा वार्डन के अधीन कार्य करेंगे। इसके लिए उनको आवश्यकतानुसार अग्निशामक उपकरण उपलब्ध करवाये जावेंगे।

4.2 **<u>ट्रेलर पंप पार्टी</u>**–छोटी जगह पर अग्निशमन कार्य हेतु नागरिक सुरक्षा में प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर एक 09 सदस्यीय ट्रेलर पम्प पार्टी का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा के 09 स्वयंसेवक सदस्य होते हैं – लीडर – 01, फायरमैन – 06, वाहन चालक – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि।

7.3 नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा –बडी आग पर नियन्त्रण के लिए जिले में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के साथ ही नगरीय निकाय की फायर–बिग्रेड कार्यरत हैं।

**5. <u>प्रशिक्षण सेवा (Training Service)</u>**–किसी भी प्रकार के कार्य योजना की सफलता क्रियात्मक रूप तभी ले सकती है जब उन योजनाओ पर कार्य करने वाले व्यक्ति विधिवत प्रशिक्षित/जानकारी प्राप्त किये हुए हों। नागरिक सुरक्षा कार्यो में कुछ कार्य तकनीकी आधार पर सम्पादित किये जाते हैं, जैसे अग्निशमन, बचाव कार्य, घटना स्थल पर सर्वेक्षण दल का कार्य, प्राथमिक चिकित्सा दल का कार्य, संचार इत्यादि। नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत जनता के हित में जनता के द्वारा होने वाले कार्य में आपसी समन्वय, अनुशासन एवं राष्ट्रीय

भावना की आवश्यकता होती है। नागरिक सुरक्षा में संबंधित क्षेत्र इच्छुक सेवा भावी एवं कुछ तकनीकी जानकार व्यक्तियों का चयन कर उन्हें नागरिक सुरक्षा का बुनियादी व सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है।

## 5.1 नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्धेश्य

- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए आम जन मे सही सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना।
- चयनित आम जन को शान्तिकाल एवं युद्व के समय नागरिक सुरक्षा कार्यो का विस्तृत प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक चिन्हित करना।
- स्वयंसेवको को उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों की जानकारी देना।
- स्वयंसेवकों द्वारा आम जनता मे अपेक्षित अनुशासन, संगठन की भावना उत्तपन्न कराना ताकि नागरिक, नागरिक–सुरक्षा के लिए सदस्य के रूप मे सामंजस्य से काम कर सकें।
- प्रशिक्षण कार्यो को शान्ति काल में उपयोगी बनाना ताकि आमजन अच्छे नागरिक के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी बन सके।
- स्वयंसेवकों को कर्तव्य निभाने के लिए अभ्यास कराना, तकनीकी जानकारी देना एवं नागरिक सुरक्षा की प्रक्रिया समझाना।
- स्वयंसेवकों की सहायता से नागरिकों में जन–जन तक स्वयं की सुरक्षा की जानकारी फैलाना।

## 5.2 प्रशिक्षण की नीति

| जिला/नागरिक सुरक्षा ईकाइ स्तर पर | राज्य स्तर पर | राष्ट्रीय स्तर पर |
|---|---|---|
| बुनियादी प्रशिक्षण<br>सेवा प्रशिक्षण<br>सयुक्त प्रशिक्षण | • नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राज. जयपुर<br>• हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, राज. जयपुर | • राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय/राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर<br>• केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, बैंगलोर<br>• राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM), दिल्ली |
| नॉट :–इसके साथ ही पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रतिपादित होना आवश्यक है ताकि नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक पहले प्राप्त प्रशिक्षण को भूले नहीं व नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन संबंधित कार्यों का अपडेशन हो सके। | | |

**6. <u>हताहत (चिकित्सा) सेवा(Casualty Service)</u>**–हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में जनता का मनोबल बनाये रखने के लिए हताहतों को तुरन्त चिकित्सा सहायता के तहत प्राथमिक उपचार देना, उन्हें नजदीकी अस्पताल भिजवाना, उनके परिवार को जानकारी देना व हताहतों का मनोबल बनाये रखना अतिआवश्यक है। इसके नागरिक सुरक्षा संगठन में चिकित्सा सेवा (हताहत सेवा) का गठन किया गया है। नागरिक सुरक्षा हताहत सेवा निम्नानुसार कार्य करती है :–

6.1 **<u>स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट</u>–** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रथम दो लाख के लिए 20,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से व दो लाख से अधिक आबादी की स्थिति में प्रति 40,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट बनायी जावेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :–डॉक्टर– 01, नर्स– 01, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की 04 सदस्यीय प्राथमिक उपचार दल– 03, लिपिक– 01, सफाईकर्मी– 01 एवं संदेश वाहक– 01 इत्यादि होगा।

6.2 **<u>प्राथमिक चिकित्सा दल (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक)</u>–** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार तीन दल प्रतिस्थाई फस्ट एड पोस्ट के आधार पर (एक दल प्रति शिफ्ट हेतु) गठन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा प्राथमिक उपचार दल के सदस्य –लीडर– 01, प्राथमिक उपचारकर्ता– 03, वाहन चालक– 01 मय एम्बूलेंस के गठित किया जावेगा।

6.3 **<u>मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट</u> :–**नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 06 लाख की जनसंख्या के आधार/आवश्यकतानुसार 01 मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट गठित की जा सकेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसा रहोगा :– डॉक्टर– 01, नर्स– 01, प्राथमिक उपचारकर्ता– 01, वाहन चालक– 01 एवं सफाईकर्मी– 01 इत्यादि होगा।

6.4 **<u>अस्पताल सेवायें</u>**:– आपातकाल में घायलों को सही समय पर उच्च स्तरीय इलाज देना आवश्यक हो जाता है। नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 750 नागरिक सुरक्षा व्यक्ति के लिए एक बिस्तर के अनुसार योजना बनायी जावेगी।

**7. <u>बचाव सेवा(Rescue Service)</u>**–मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं व हवाई हमलों की स्थिति में क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुए भवनों में फंसे/मलबे में दबे हताहतों को खोज व बचाव के तरीकों से बाहर निकालनें तथा उनमें से कीमती सामान को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर रखने इत्यादि कार्य किया जाता हैं।

7.1 **बचाव कार्य**–हवाई हमले एवं अन्य आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव कार्य उक्त भवनों तकनीकि (भवनों की बनावट से सम्बधित) पर निर्भर है। उक्त भवनों से बचाव कार्यों के

दौरान राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास निर्माण से संबंधित इंजीनियर, लेबर एवं भारी मशीनरी की सेवायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः नागरिक सुरक्षा बचाव सेवा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिले में उपलब्ध अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियंताको इस सेवाको प्रभारी बनाया जाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा बचाव दल के स्वयं सेवक सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में प्रभावी बचाव कार्यों को करने में सक्षम हैं।

7.2 **बचावदल का गठन–**जिले में बाहरी बचाव दलों के घटनास्थल पर पंहुचने से पूर्व स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले खोज व बचाव कार्यों के लिए,**प्र**ति **5**0,000 की जनसख्या के आधार पर आपदा व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के एक 08 सदस्यीय बचाव दल का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे– लीडर–01, बचाव कर्ता–06, वाहन चालक–01 मय वाहनइत्यादि।

**8. <u>निस्तारण सेवा (Salvage Service)</u>**–नागरिक सुरक्षा का उद्वेश्य जानमाल के नुकसान को कम से कम होने देना है। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब दुर्घटना के बाद लावारि ससामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित रख लिया जावे।

हवाई हमले/आपदा की स्थिति में, सूचना के बाद कई परिवार अपने घरों को बन्द कर अन्यत्र चले जाते हैं। हवाई हमले/आपदाओं की स्थिति में से कई मकान ध्वस्त हो जाते हैं व मकानों में रहने वाले घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिये जाते हैं। कई मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना क्षेत्र के परिवारों के रिश्तेदार समय की नाजुकता के कारण दुर्घटना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। ऐस में मकान बन्द व सूने रहते हैं। उन्हे बिना सुरक्षा के छोडने से असामाजिक तत्वों को अपना कार्य करने का मौका मिल सकता है। नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा आपदा के समय इस समस्या से निपटने के लिए पूर्व में ही प्रबन्धन करने के लिए, निस्तारण सेवा का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य नामांकित सदस्यों की सहायता से लावारिस सामान को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना है।

8.1 **<u>निस्तारणसेवा के कर्तव्य</u>** :–हवाई हमले तथा आपदा/विपदा एवं घटना/दुर्घटना की स्थिति में क्षतिग्रस्त भवनों में दबे/लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जावेगा। निस्तारण सेवा के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :–

- सूने, ध्वस्त, क्षतिग्रस्त मकान जिनके मालिक मौजूद नहीं हैं, उन मकानों में से कीमती, उपयोगी वस्तुओं को सुरक्षित निकालना।
- अभिरक्षित वस्तुओं का उचित सुरक्षित भण्डारण करना।
- प्राप्त की गईवस्तुओं का स्पष्ट लेखा जोखा रखना।

- मालिक/वारिस की उचित पहचान के बाद नियमानुसार वापिस सामान को सुपुर्द करना।

**नोट :– घटनास्थल से प्राप्त कीमती सामान को जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कोष या अन्यत्र अभिरक्षा में रखे जाने की समुचित व्यवस्था की जावेगी।**

9. **पूर्तिसेवा (Supply Service)** –नागरिक सुरक्षा संगठन की क्रियाऐं, प्रक्रियाऐं आपातकालीन समय मे कई दिशाओ में भिन्न–भिन्न कार्यो के लिए होती है, जैसे–आगजनी, मलबे मे फंसे व्यक्तियों को निकालना, घायलों का प्राथमिक उपचार करना, हवाई हमले की सूचनाऐं देना, बेघर लोगों को राहत प्रदान करना आदि। इन कार्यो के लिए विभिन्न तकनीकि/साधारण सामान आदि की आवश्यकता होती है, जिनके प्रबन्धन की योजना पहले से ही तैयार करना आवश्यक है। इसके साथही बेघर लोगों के लिए स्थापित आश्रय स्थलों पर खाने–पीने के सामान की भी पूर्ति करना होता है। इसके लिए जिले में जिला रसद अधिकारी को नागरिक सुरक्षा पूर्तिसेवा का प्रभारी बनाया जाना उचित होगा।

## 10. डिपो एवं परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)

10.1 **डिपोसेवा**–हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में घटना स्थल पर नियंत्रण व तत्काल नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को भेजे जाने के लिए उक्त सेवाओं को मय आवश्यक उपकरण व वाहनों के किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित रखना, जहां से नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार घटना स्थलों पर भिजवाना होता है, इसके लिए प्रति 06 लाख की जनसंख्या/प्रति उपखण्ड स्तर पर 01 नागरिक सुरक्षा डिपो बनाया जावेगा। डिपो में नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवक तीन पारियों में उपलब्ध रहते है, जहां उन्हें आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वयंसेवकों के लिए सेवावार उपकरण रखने की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाती है। स्वयंसेवकों के मनोरजंन के लिए कुछ साधनों की व्यवस्था कराई जाती है। साथही स्वयंसेवकों को घटना स्थल तक लाने ने जाने के लिए समुचित वाहन डिपो में रहते हैं। डिपो के स्थान का चयन करते समय यह ध्यान मे रखा जाता है कि दुश्मन राष्ट्र के हमले के लिए टारगेट, आपदा से प्रभावित क्षेत्र, महत्वपूर्ण संस्थाओं के आस–पास डिपो स्थापित नहीं किया जावे।

**10.2 डिपो मे उपलब्ध सेवायें**– घटना पर तुरन्त नियन्त्रण करने हेतु विभिन्न कार्यो के दक्ष स्वयंसेवक सेवावार डिपो में तीन पारी में उपलब्ध रहते है। डिपो में रहने वाली सेवाऐ निम्नानुसार है।

- प्राथमिक चिकित्सा दल मय वाहन
- बचाव दल मय वाहन
- अग्निशमन सेवा
- मोबाइल कैन्टीन सेवा
- मृतक निवारण दल मय वाहन
- साल्वेज टीम मय वाहन

- मोबाइल फर्स्ट एडपोस्ट मय वाहन
- स्थाई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के वाहन मय वाहन चालक
- घटना नियन्त्रण अधिकारी
- डिपो स्टॉफ
- यातायात सेवा का स्टॉफ
- सभी सेवाओं के लिए मैसिंग स्टॉफ

**10.3 <u>ट्रान्सपोर्ट सेवा</u>**–नागरिक सुरक्षा सेवाओं की कार्य कुशलता एवं गति युद्व/आपदा के दौरान स्वयं सेवको को तुरन्त घटना स्थल पर जनता की सहायता के लिए पहुंचने पर निर्भर करती है। यह कार्य उचित यातायात साधनों से संभव है। नागरिक सुरक्षा में ट्रान्सपोर्ट सेवा का गठन नागरिक सुरक्षा सेवाओं को समय पर वांछित भरोसेमन्द वाहन उपलब्ध कराने हेत किया गया है। ट्रान्सपोर्ट सेवा के मुख्य कार्य :–

- नागरिक सुरक्षा के कार्यो हेतु विभिन्न प्रकार के वांछित वाहन उपलब्ध कराना।
- सभी उपलब्ध वाहनों को दुरूस्त रखना।
- सभी वाहनों में ऑयल, डीजल की नियन्त्रित व्यवस्था रखना।
- सभी वाहनों का नियमानुसार बीमा करवाना।
- वाहनों की मरम्मत का कार्यसही समय पर करवाना।
- वाहनों के आवगमन का रिकॉर्ड रखना।
- सेवाओं की आवश्यकतानुसार यदि वांछित वाहन उपलब्ध नही है तो नियमानुसार ढॉचे में अस्थाई परिवर्तन करना।
- इस प्रकार के वाहन प्राप्त करना जिनके मालिक अधिक से अधिक राष्ट्र सेवा हेतु योगदान देने को तत्पर है।

**11. <u>मृतक निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)</u>**– हवाई हमलों/आपदाओं में कभी–कभी दुर्घटना स्थल पर अधिक संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। घटना के समय व्यक्ति अपने बचाव के लिए चिन्तित रहते हैं व मृतकों को छोड़ अन्यत्र चले जाते हैं। जिला प्रशासन व नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सामने मृतकों के मिलने के दो कारण होते हैं–

- सीधे दुर्घटना की चपेट मे सम्पूर्ण क्षेत्र का आजाना।
- घटना के बाद व्यक्तियों का अपने बचाव के लिए दुर्घटनास्थल से सब कुछ छोड़कर चले जाना। इससे दुर्घटनास्थल के आसपास बच्चे, अपाहिज व्यक्ति, अशक्त वृद्व रह जाते हैं। ऐसी स्थिति मे जनता का मनोबल कम होने की पूर्ण संभावनायें रहती हैं और महामारी फैलने का अन्देशा रहता है।

मृतकों की पहचान एक बड़ी समस्या है, जिसके मुख्य कारण शरीर का विकृत होना, शरीर जल जाना, कुचल जाना, मलवे में दबा होना, बन्द मकान में अधिक समय तक रह जाना, मृतक का अन्य क्षेत्र से आकर वहां रहना आदि। ऐसे में सभी मृतकों की पहचान न होने के बाद भी अपने प्रयासों से धर्म निर्धारण कर धर्मानुसार अन्तिम संस्कार करना इस सेवा का मुख्य कार्य है। उक्त स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन में घटनास्थल पर मृतकों के निवारण हेतु ''मृतक निवारण सेवा'' गठित की गईहै। इस सेवा के कर्तव्य निम्नानुसार है :–

- घटनास्थल पर पूछताछ कर मृतकों की तत्काल पहचान करने का प्रयास करना।
- मृतकों का पंचनामा तैयार करवाना।

- प्रत्येक मृतक शरीर से मूल्यवान/पहचान के लिए आवश्यक वस्तु निकाल कर उनका रिकॉर्ड रखते हुए संभाल कर रखना।
- प्रत्येक मृतक जिनके वारिस नहीं मिले की फोटो रिकॉर्ड मे रखना।
- मृतक की पहचान के लिए निम्नानुसार बिन्दुसार रिपोर्ट रखना :–

(अ) शव किसस्थान से प्राप्त हुआ।
(ब) शव के वस्त्र का विवरण।
(स) मृतक के लिंग, आयु, शारीरिक पहचान के चिन्ह, मृतक का रंग, आंखे का रंग, ऊंचाई आदि का विवरण।
(य) मृतक की ऊगलियों की छाप का रिकॉर्ड रखना।
(र) जिन मृतकों की पहचान नहीं की जा सकती है, के धर्म निर्धारण का विवरण।

**12. <u>कल्याण सेवा (Welfare Service)</u>** – आपदा/विपदाओं एवं हवाई हमले की स्थिति में प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता समय पर नहीं पंहुचने की स्थिति में आमजन अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगता है और जनता के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। लोग बेघर हो जाते हैं व उनका अपना सब कुछ नष्ट हो जाता है। परिवार के सदस्य बिछुड़ जातेहैं। इस प्रकार की महाविपतियों में पूरे समुदाय के जीवन को सामान्य बनाना ही प्रमुख कार्य रहता हैं ताकि आमजनता का मनोबल बना रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन में इन कार्यो हेतु कल्याण सेवा का गठन किया गया है जिसके निम्नानुसार मुख्य कार्य है :–

- **सूचनाऐं एकत्रित करना**–प्रभावितलोगों की सहीसूचना उनके संबंधियोंदेनाअथवाआमजनमेंउपलब्ध कराईगईप्रशासनिकव्यवस्था की सूचनादेनाइत्यादिकार्यजिससेआमजन का मनोबलबनारहे।
- **बेघरलोगो का प्रबन्ध** –आश्रय स्थलों की स्थापनाकरबेघरलोगों के रहने की व्यवस्था, उनके भोजनवस्त्रादि की व्यवस्थाकरना।
- **निष्क्रमण की स्थिति**–ऐसीस्थितिमेंजहां खतरे की दृष्टि से अधिकअसुरक्षा है उस क्षेत्र के लोगोंकोसुरक्षितस्थानपरव्यवस्थिततरीके से लेजाने के लिए तथामार्गमेंगन्तव्य तकभोजन, पानी, औषधी, वस्त्र आदितथाआवाजाही की सहायताप्रदानकरना।

## 12.1 <u>कल्याण सेवा के कार्य</u>

**(अ) सूचना एवं प्रसार** :–सूचना केन्द्र को पूर्ण रूप से सूचित बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस विभाग, थाने, चौकियों, अस्तपताल, वार्डन पोस्ट, फर्स्ट एड पोस्ट को निर्देश जारी कर संबधित क्षेत्र की पूर्ण जानकारी सुचना केन्द्र में उपलब्ध रखी जावेगी। सभी सूचना केन्द्र अपनी सूचनाऐं मुख्य सूचना केन्द्र को देंगे।

- हवाई हमले से पहले व बाद में नागरिक सुरक्षा द्वारा किये गये सभी प्रकार के कार्यो की व्यवस्था की जानकारी जनता में देना ।
- हवाई हमले के बाद की सही स्थिति से जनता को अवगत कराना, घायल व मृतकों की जानकारी प्राप्त की सूची उपलब्ध रखना तथा जनता को जानकारी देते रहना।
- विभिन्न शिविरों तथा केन्द्रों की सूचना प्रसारित करना।

**(ब) प्रसारण वाहन** –आपातकाल में सूचनार्थ लेने–देने के कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु प्रत्येक सूचना केन्द्र पर प्रसार वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

**(स) आश्रय स्थल** –आपातकाल में बेघर लोगों के अस्थाई निवास हेतु शहर की शालाओं, धर्मशालाओं को नागरिक सुरक्षा कार्यो हेतु अधिग्रहित किया जाकर जनता के लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब बडे पैमाने पर लोग घर छोड़कर जाने लगते हैं तो आश्रय स्थल की व्यवस्था करनी पड़ती है।

**(द) आपातकाल भोजन केन्द्र** –प्रत्येक केन्द्र पर इसके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था बनाये रखने के लिए दुकानों/संस्थानों को चिन्हित किया गया है ताकि दुर्घटना स्थल पर भोजन सामग्री की काला बाजरी मुनाफाखोरी रोकी जा सके। इसके अतिरिक्त आश्रय स्थल पर भोजन बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

**(य) मोबाइल कैन्टीन** –दुर्घटना स्थल पर नागरिक सुरक्षा कार्य कर्ताओं व पीड़ित आमजन के लिए अस्थाई नाश्ते/भोजन के लिए मोबाइल कैन्टीन की व्यवस्था कराई जावेगी। मोबाइल कैन्टीन एक लाख जनसंख्या पर एक के हिसाब से उपलब्ध कराई जावेगी। इसके लिए निम्न स्टॉफ स्वयं सेवक उपलब्ध कराये जावेगे :–

| | | |
|---|---|---|
| सुपरवाइजर | – | 1 प्रति कैन्टीन |
| सहायक | – | 3 प्रति कैन्टीन |
| वाहन चालक | – | 1 प्रति वाहन |

**(र) हाउसिंग एवं बिलेटिंग :–** हाउसिंग एवं बिलेटिग एक लाख जनसंख्या पर 01 से गणना कर संधारित किये जाते हैं।

| | |
|---|---|
| ओवरसीयर (हाउसिंग ऑफिसर) | 1 प्रति सैन्टर |
| लिपिक | 1 प्रति सैन्टर |
| सन्देश वाहक | 1 प्रति सैन्टर |

**(ल) आपातकालीन वस्त्रादि व्यवस्था** –बेघर लोगों की शरण स्थल में मौसम के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु पहनने, ओढ़ने के लिए वस्त्रादि उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। अतः इस हेतु अभियान चलाया जाकर पर्याप्त वस्त्रादि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। साथ ही शान्तिकाल में स्वयंसेवी संस्थाऐं जो वस्त्रादि एकत्रित कर वितरण का कार्य करती है, का सहयोग पूर्णरूपेण लिया जावेगा।

# भाग–IV

**13. निष्क्रमण(Evacuation)**–नागरिक सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रमण Evacuation है, जो कि अपने आपमें एक सम्पूर्ण योजना है। निष्क्रमण की कार्यवाही अति आवश्यक होने पर ही की जानी चाहिए। आमजनता खतरे के स्थान से सुरक्षित स्थान की ओर मय कीमती सामान, पशु, वाहनों तथा परिवारजनों के साथ पहुंचना अथवा सरकार द्वारा सुव्यवस्थित तरीकों से पहुंचाना निष्क्रमण है। निष्क्रमण के प्रकार :–संकट से पहले व संकट से बाद।

**13.1** **संकट से पहले**–संकट से पहले निष्क्रमण की सूचना शहर के जिन–जिनभागों से निष्क्रमण कराया जाना है जिला प्रशासन द्वारा इसकी सूचना वहां के निवासियों अवश्य दी जायेगी। प्रशासन द्वारा उस भाग में यह आदेश प्रसारित कराने होंगे कि किस भाग से, किस प्रकार, किस भाग के लिए निष्क्रमण किया जावेगा, वहॉ क्या–क्या सुविधाऐं उपलब्ध रहेंगी।

**13.2** **संकट के बाद**– घटना घटित होने के बाद दुर्घटना की स्थिति अनुसार सम्बन्धित स्थान की निष्क्रमण योजना तत्काल बनाई जाकर प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

**13.3** नियन्त्रक (कलक्टर) स्थिति को मध्ये नजर रखते हुए निर्णय करेंगे कि अमुक–अमुक स्थान से जन जीवन को अल्पावधि के लिए कैम्प में ले जाना होगा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा से संबधित धाराओं का प्रयोग करते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 6 के अंतर्गत निष्क्रमण के आदेश प्रसारित करेगें तभी कैम्प की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। कैम्प स्थल पर सामाजिक संस्थाऐं नियन्त्रक (जिला कलक्टर) की लिखित सहमति प्राप्त करने पर ही कार्यकरने के लिए सक्षम होंगी। निष्क्रमण के समय आने वाली समस्याऐं निम्नानुसार हैं :–

- जनता को पता नहीं होता है कि पलायान किस ओर करना है।
- जनता घबराहट में भगदड़ मचाकर गलत, खतरनाक व बिना सुविधा वाले रास्तों पर जा सकती है, साथ ही आवश्यक सेवाओं के आने–जाने में अवरोधक बन सकती है।
- वे आमजन जो स्वयं के वाहनों से घरबार छोड़कर निकल जाते हैं जानकारी के अभाव में सही गन्तव्य तक नहीं पहुच सकते, भगदड से पुलिस प्रशासन की दुविधा बढती है। यातायात धीमी गति, अधिक भीड व तेज गति से चलने वाले वाहन व पशुओ द्वारा बाधक हो सकता है।
- असामाजिक तत्व बढ सकते है।
- सामाजिक परिवार जन आपस में बिछुड सकते है, विशेषतः बच्चो का गुम हो जाना।
- मूलभूत सुविधाओं की कमी होना व उसकी व्यवस्था करना।

13.4 **रास्ता**–निष्क्रमण कराने के लिए आमजन में पी.आर.ओ द्वारा माइक पर कैम्प स्थलों पर एकत्रित होने की सूचना दी जावेगी, ताकि आमजन को निष्क्रमण हेतु एक स्थान पर एकत्रित कर साधनों द्वारा गन्तव्य तक पहुचाया जा सके। इसके लिए हवा के विपरीत दिशा वाला रास्ता अपनाया जाना चाहिये।

13.5 **चैक पॉइन्ट कार्य**–स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्क्रमण की सूचनाऐं एकत्रित करने, सरकार को सूचनाऐं देने जिसमें वाहन मय जनता के अपने निर्दिष्ट की ओर बढ रहें है व किसी प्रकार की समस्या है/नहीं है आदि सूचना एकत्रित करने के लिए चेक पॉइन्ट बनाये जावेंगे। सभी चैक पाइन्टों पर साधारण जल पान की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। मेडिकल सहायता प्रदान कराई जावेगी दवा की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। इसके लिए स्वास्थ अधिकारियों को सूचित किया जावेगा।

**13.6** **प्रभारीगण**–कैम्प में एकत्रित स्थान से आमजन को प्रभारी निष्क्रमण वाहनों द्वारा/रेल द्वारा रवाना करेगें। प्रभारीगण कैम्प स्थल का सम्पूर्ण लेखा जोखा रखेगें। सूचना के लिए माइक बैटरी सहित, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, टैण्ट आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन/स्वयंसेवी संस्थाओ से सहयोग प्राप्त कर करेंगे। कैम्प की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी की होगी। उपरोक्त कैम्प अधिकारियों के कार्यक्रमवार निम्नाकित है :–

- **कैम्प कमान्डैन्ट** :–कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था कैम्प कमान्डैट करेंगे। वित व्यवस्था की जिम्मेदारी, उच्चाधिकरियों से तालमेल रखना।
- **डिप्टी कैम्प कमान्डैन्ट** :–कैम्प कमान्डैन्ट के आदेशों की पालना में कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था योजना बानाना। कैम्प में जनता के रहने, सोने, खाने इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने वालों की नामावली तैयार कर रिकार्ड संधारित करना, कैम्प के वाहनों की लॉगबुक का संधारण करना, उच्चाधिकारियों को सूचित रखना। इसके लिए दो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिन्हें लिपिकीय कार्य आता हो, उपलब्ध रहेंगे । लिपिक कैम्प के सम्पूर्ण लिपिकीय कार्य करेंगे।
- **लेखाधिकारी** :–कैम्प के मद में होने वाले आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा रखना एवं समय–समय पर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- **वैलफेयर व सप्लाई अधिकारी** :–कैम्प में रहने वालों की भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, सूचना व्यवस्था, वस्त्र/बिस्तर व्यवस्था, कैम्प आवास के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था मय अल्टरनेट व्यवस्था आदि कार्यो की जिम्मेदारी होगी। इनके कार्य क्षेत्र में कैम्प से संबधित सामान की आवक व्यवस्था रखने, कैम्प में सभी को आवंटित होने के लिए भोजन के कार्ड एवं राशन प्राप्त करना आदि होगे।

- **चिकित्सासहायता** :–सी.एम.एच.ओ. द्वारा कैम्प स्थल के लिए एक फिजीशियन, एक कम्पान्डर व एक सहायक नर्स निरन्तर उपलब्ध कराए जायेंगे। कैम्प में प्राथमिक चिकित्सा दवाएं सदैव उपलब्ध रहेंगी।

13.7 **विधुतकार्य**–कैम्प स्थल पर विधुत से संबधित कार्य विधुत विभाग को आंवटित होगे। संबंधित विभाग के सहायक अभियन्ता कैम्प स्थल के विधुत प्रभारी रहेगे। कैम्प स्थल के लिए एक जनरेटर प्रशासनिक/जनसहयोग से प्राप्त कर उपलब्ध रखा जावेगा।

13.8 **जलदाय**–कैम्प स्थल पर पीने एवं नहाने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जलदाय विभाग को दी जाकर पूरी कराई जावेगी। किसी भी आपातकाल स्थिति में जन जीवन के आक्रोश से बचने के लिए राष्ट्रीय हित में आवश्यकता को देखते हुए अधिक लोगों को शहर से बाहर ले जाना/भेजना/पलायन करना पड सकता है ऐसी स्थिति में कैम्प कमाडैन्ट को कैम्प लगाने के लिए नियन्त्रक (जिला कलक्टर) द्वारा आदेश प्राप्त होंगे।

**14. रिपेयर्स एण्ड डिमोलेशन्स**–किसी भी स्थान पर हवाई हमलों अथवा अन्य मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक संख्या में भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार के क्षतिग्रस्त भवन अथवा क्षतिग्रस्त हिस्से यदि तुरन्त ठीक नहीं कराये जायें और उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये, तो उनसे कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जो निम्नानुसार है :–

- अधूरे ढ़हे हुए मकान अथवा उनके हिस्से भी ढ़ह सकते हैं, इससे आस–पास में जानमाल का अधिकनुकसान हो सकता है।
- क्षतिग्रस्त मकान जो मरम्मत से ठीक हो सकते हैं, यदि उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये तो, अधिक समय बाद वे मरम्मत के योग्य नहीं रहेंगे।
- क्षतिग्रस्त मकान रेलवे लाइनों, व्यवस्त सड़कों अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं के भवनों के आसपास हैं, तो उनके अचानक गिरने से यातायात व आवश्यक सेवायें बाधित होंगी और दुर्घटना हो सकती है।
- क्षतिग्रस्त मकान मरम्मत के अभाव में वैसे ही रहने दिया जाये, तो जनमानस में घटना की भयानकता का अहसास निरन्तर बना रहता है एवं उनके मनोबल पर विपरीत असर होता है। जनमानस अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगते है तथा शत्रु की महता स्वीकार कर सकते हैं।

17.1 **रिपेयरदल का गठन**–उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए, सड़कों की मरम्मत, मलबा हटाने के लिए एवं क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार है कि वे अपने स्तर पर उपरोक्त कार्यो हेतु एक दल गठित कर उनके लिए आवश्यक साजोसमान निर्धारण कर अपनी योजना नियन्त्रण (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा को भेजेंगे। इस दल में नागरिक सुरक्षा के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इस दल को

निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य प्रारम्भ करने होंगे ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से शीघ्र सम्पन्न हो सके :–

(क) क्षतिग्रस्त मकान (निजी/सरकारी/व्यावसायिक स्थान) की मरम्मत शीघ्रता शीघ्र कराना चाहिये। निजी मकान वाले अपने स्वयं के प्रयासों से मरम्मत करना चाहें और उन्हें रिपेयर मैटैरियल की आवश्यकता होवे तो उनकी मांग पर उन्हें सामान देना पड़ सकता है। सरकारी भवनों की मरम्मत हेतु अधिक मात्रा में सामान रिजर्व रखना होता है।

(ख) रिपेयर दल केवल आवश्यक मरम्मत करेंगे, मकान में भीतरी सजावट अथवा कोई अतिरिक्त सुविधा नही बनायेगें, यह बात विशेष ध्यान मे रखी जानी चाहिए।

(ग) मरम्मत तभी की जावेगी यदि :–

- क्षतिग्रस्त मकान का वास्तव मे आवासीय उपयोग हेतु काम मे लिया जाना है।
- क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के बाद उसमे परिवारजन आवास हेतु आने वाले हैं।
- क्षतिग्रस्त मकान कम मरम्मत में रहने योग्य बन सके।
- क्षतिग्रस्त मकान के रहवासी मरम्मत भार नही उठा सकते हों तो मरम्मत की सहायता की जावेगी।
- निजी एवं व्यवसायिक मकानों की मरम्मत उनके मालिकों द्वारा शान्तिकालीन व्यवस्था मे जैसे करवाते हैं वैसे ही कारवाई जावेगी।
- उनके गिरने से अन्य भवन, यातायात/रेल्वे/अस्पताल प्रभावित होते है।

17.2 **सड़कों की मरम्मत तथा मलबा हटाना**– घटना स्थल के आस पास सड़क पुलिया, रेलवे पुल, रेलवे लाईन आदि क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन स्थानों को पुनः आवागमन योग्य बनाने हेतु एक दल का गठन किया जावेगा। साथही सड़क/रास्तों पर एवं पुलियाओं/मकानों के गिरने से फैला हुआ मलबा भी हटाने का कार्य करेगा।

17.3 **मकानोंकोगिराना**– क्षतिग्रस्त मकान जो किसी भी प्रकार की मरम्मत के योग्य नहीं है व कभी भी अपने आप साथ वाले भवन/सड़क/रेल लाइन पर अचानक गिरकर अधिक हानि कर सकते हैं। इस प्रकार के मकानों से दुर्घटना के अन्य कारण भी बन सकते हैं। अतः इन्हें गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एक दल बनाकर कार्य सम्पादित करया जावेगा।

15. **आवश्यक सेवाओं का रख रखाव**–निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं के विभागाधिकारियों द्वारा प्रत्येक के लिए मरम्मत दल नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष के लिए नामांकित कर आपातकाल में उपलब्ध कराये जायेंगे।

- दूरसंचार विभाग के बाहरी लाइन मैन।
- जलदाय विभाग के पाइप लाइन पर कार्य करने वाले।
- विधुत विभाग के लाइन मरम्मत करने वाले।
- नगर निकाय द्वारा सफाई कर्मी।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गठित रिपेयर दल।

**16. पशुओं की देखभाल**–आम दिनों में भी पशु आवारा घुमते रहते हैं तो हवाई हमला व अन्य आपदाओं की स्थिति मे पशुओं की देखभाल पर अधिक ध्यान रखना होगा। आपदा/विपदा के बाद पशु घायल अवस्था/मृत अवस्था मे मिल सकते हैं, पालतू पशु अपने बाड़े से निकल कर भागने लगते हैं, यहा तक कि आवारा पशु एवं जगली जानवर ज्यादा डरावनी आवाजें निकाल कर, अपने बचाव के लिए बेतहाशा भागते हैं। इससे मनुष्यों के अधिक घायल होने का अन्देशा रहता है। पशु अपने बचाव के लिए हमला बोल सकते हैं। अतः नागरिक सुरक्षा योजना में पशुपालन विभाग द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार योजना बनाकर कार्य कराया जाना आवश्यक है :–

- आपातकाल में पशु नियंत्रण, दाना चारा नियन्त्रण व्यवस्था जिला पशु पालन विभाग की होगी।
- पशु पालन विभाग द्वारा शहर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थान निश्चित कर दुधारू पशुओं के मालिकों को उन पशुओं को निश्चित स्थानों पर रखने की व्यवस्था के लिए आदेश प्रदान करेंगे।
- गम्भीर घायल जानवरों के इलाज की व्यवस्था करेंगे।
- मृत पशुओं का निपटान उचित विधि से करवायेंगे, ताकि महामारी नहीं फैल सके।
- आपातकाल में दवाओं की व्यवस्था, स्टोर रखने की व्यवस्था, कार्य के लिए आवश्यक सामान व उनकी भण्डारण की व्यवस्था, कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा कर उनको निर्देशित करने की व्यवस्था इत्यादि जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा शान्तिकाल में योजना तैयार की जावेगी।
- पशुओं की देखभाल योजना बनाने मे आपातकालीन समय मे उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रियान्वयन करने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा अपने स्तर पर दलों का गठन करेगा। जिससे घायल जानवरों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी व साथही मृतक पशुओं को हटाकर महामारी से बचाव किया जा सकेगा। इस हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग जिला पशु पालन विभाग से योजना प्राप्त कर अपने पास रखेगा।

**17. <u>प्रकाश नियन्त्रण</u>**–इतिहास मे पिछले युद्धों में देखने में आया है कि शत्रु द्वारा हवाई हमला ज्यादातर रात्रि में ही किये गये हैं। इसके मुख्य दो कारण है–पहला ''रात्रि के अन्धकार मे शत्रु के विमानों पर मार करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है, इससे शत्रु को उद्वेश्य पूर्ति के लिए समय मिल जाता है''। दूसरा ''सांयकाल/रात्रिकाल में जन जीवन के भोजन/सोने का समय होताहै। अतः दुश्मन राष्ट्र को अपने उद्वेश्य की पूर्ति के लिए जनजीवन को अधिक से अधिक अस्त–व्यस्त करने का अवसर मिल जाता है''। शत्रु राष्ट्र के विमानों को हमले करने से रोकने के लिए वायुसेना ने अपने अत्याधुनिक हथियार तैयार कर तैनात किये होते हैं फिर भी शत्रु अपने उद्वेश्य की पूर्ति के लिए शहरी सीमा की ओर बढते हुए बम वर्षा करने में सफल हो सकते हैं। शत्रु के विमानों को शहर की विधुत व्यवस्था उॅचाई से उसके उद्वेश्य बिन्दु (टारगेट) तक जाने में अधिक सहायक होती है। उपरोक्त कारणों के आधार पर एक राष्ट्र प्रकाश नियन्त्रण की व्यवस्था से दुश्मन राष्ट्र के उद्वेश्यो की पूर्ति मे बाधक बन सकताहै। प्रकाश नियत्रणं व्यवस्था को निम्नानुसार दो भागो में विभाजित किया गया है।

- सम्पूर्ण ब्लेक आउॅट करना जिसमें ऊॅचाई से व नजदीक से बाहर किसी प्रकार की प्रकाश की प्रकाश किरणें दिखाई नहीं दें।
- प्रकाश की मात्रा वोल्टेज के नियत्रण से उसके फैलाव एवं चमक की रेट को कम किया जाना।

### 20.1 <u>भवन की प्रकाश व्यवस्था</u>

- भवन/घर की प्रकाश व्यवस्था घर से बाहर दिखाई नही देनी चाहिए।
- प्रकाश व्यवस्था के लिए खिड़कियों/दरवाजों पर जो कॉच के होते है गहरे भूरे रंगे के कागज लगाने चाहिए गत्ते/अखबारों से भी ढक सकते हैं।
- भवन/घरों के बाहर छत पर बल्ब नही लगायें, की व्यवस्था होनी चाहिए।
- भवन/घरों मे संध्या समय के बाद कम दर की विधुत व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भवनों/घरों में कार्य अधिक से अधिक संध्या पूर्व निपटा लेना चाहिए ताकि कम प्रकाश व्यवस्था माकूल बनी रहे।

### 20.2 <u>सड़क पर प्रकाश व्यवस्था</u>

- सड़क पर लगी लाइटों को कम बोल्टेज मे फैलाने की व्यवस्था।
- सड़क पर लगी ट्यूब लाइट आदि को कम संख्या में लगा कर व्यवस्था बनाये रखना।
- खम्भों पर लगे बल्ब/ट्यूबलाइट पर शैड का प्रयोग किया जाना चाहिए।

## 20.3 वाहनों की प्रकाश व्यवस्था

- चोपहिया वाहन :–किसी भी वाहन की सीधी रोशनी वाली लाइट के गिलास को दो भागों में उपर नीचे करते हुए निचले आधे हिस्से पर एक परत पतले भूरे पेपर की लगाना और उपरी आधे भाग पर दो पेपर भूरे लगाने चाहिए।
- रेलगाड़ी–रेल की हैडलाइट का एक तिहाई भाग भूरे पेपर से ढक कर कम दर की विधुत का इस्तेमाल करना चाहिए। यात्रियो के डिब्बो मे विधुत व्यवस्था के लिए कम वोल्टेज के बल्ब प्रकाशित होने चाहिए। खिडकी के कॉच गहरे भूरे कागज/रंग से अपारदर्शी किये जाने चाहिए।
- दुपहिया/तिपहिया वाहनों की हैडलाइट एक तिहाई काले रंग की होनी चाहिए। बाजार में साइन बोर्ड की प्रकाश व्यवस्था को नियत्रंण मे रखना अवाश्यक है, इस हेतु स्थिति अनुसार नियत्रंक (कलक्टर) व्यवस्था बनाये रखेगे।

# भाग–V

**18. <u>रासायनिक युद्व (Chemical Warfare)</u>**–रासायनिक युद्व उत्प्रेरक रासायन के द्वारा फैलाया जाता है, जिसका सीधा हानिकारक प्रभाव मानव पेड–पौधे जीव जन्तुओं पर पड़ता है। इसमें उच्च रासायनिक गैसों जैसे टैबुनसरीन, मस्टर्ड चौकिन, बायो बैन्जिल साइनाइट एवं अन्य विषैंली गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों के द्वारा शत्रु राष्ट्र का मुख्य उद्वेश्य जनता का मनोबल गिराना, कामदारों को अस्थाई रूप से विकलांग बनाना, पेड़ पौधों एवं जीवजन्तुओं को दूषित कर खाद्यान्न संकट पैदा करना आदि होता है।

**21.1 <u>रासायनिक गैसों का वर्गीकरण</u> :**–रासायनिक युद्ध में प्रयोग में लाई जाने वाली गैसों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं

| क्र. सं. | गैस | पहचान करने का तरीका | मानव शरीर पर पडने वाले प्रभाव |
|---|---|---|---|
| 1. | **तांत्रिक**<br>• टैबुन : सायनो फास्फोरिक अम्ल की संजात होती है रंगहीन अस्तिर द्रव के रूप में होती है।<br><br>• सरीन : फ्लोओरों फॉस्फोरिक अम्ल की संजात होती है। रंगहीन, अस्थिर द्रव के रूप में होती है। | अत्यधिक मन्द फल जैसी गंध/सामान्यत गंध द्वारा पहचान नही होती पर रासायनिक परीक्षणों से पहचान हो जाती है।<br><br>गंधहीन होती है, विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पहचान की जाती है। | देखने में परेशानी होती है। गला और छाती भारी हो जाती है। फेफडे का शोफ होना (लंग ईडीमा), नीलापन पसीना आना, अतिसार, मृत्यु होना। |
| 2. | **व्रणगैस (बिलस्टर ग्रुप)**<br>• मस्टर्ड गैस, तेलिय द्रव के रूप में होती है। गहरे भूरे से लेकर हलके पीले रंग की होती है रबर, चमडे, कपउे लकडी में छेद कर देती है, चिरस्थायी होती है। क्लोरिन (अर्थात् –विरंजक चूर्ण) (ब्लिचिंग पाउडर) द्वारा आसानी से निष्प्रभावित हो जाती है।<br><br>• लेविसाइट (आर्सेनिक योग) : शुद्ध रूप में होने पर रंगहीन द्रव की तरह होती है पर अशुद्ध रूप में होने पर भूरे रंग की होती है। एक अदृश्य गैस छोडती है। अत्यधिक प्रभावशाली और चिरस्थायी होती है पर पानी और अम्लों द्वारा आसानी से समाप्त हो जाती है। | लहसून प्याज या मूली या सरसों की गंध के समान गंध होती है।<br><br>जिरेनियम (फूलों) की गंध की तरह गंध होतीहै। | वाष्पन, प्रभाव, आंखे जलने लगती है और सूज जाती है त्वचा लाल हो जाती है और उस पर फफोले पड जाते है खॉसी उठती है आवाज नही निकलती और बाद में श्वसनी शोध (ब्रॉन्काइटिस) या न्यूमोनिया हो जाता है द्रव प्रभाव आंखों पर तत्काल किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता पर कुछ घण्टों में अति गंभीर लक्षण दिखाई पडने लगते है त्वचा दो घण्टे में लाल हो जाती है और फफोले 12 से 24 घण्टों में पडते है।<br>**वाष्पन** : नाक, आंखों और फैफड़ों में क्षोभ उत्पन्न होता है। मस्टर गैस की तुलना में त्वचा को कम प्रभावित करती है।<br>**द्रव** : आंखों पर तत्काल और |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | गंभीर प्रभाव डालती है। मस्टर्ड गैस की तुलना में इससे त्वचा पर अधिक तेजी से फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। |
| 3. | **श्वास रोधी गैसे**<br>● फॉस्जीन : प्राय : अदृश्य गैस होती है, धातुओं को संक्षारित करती है। चिरस्थायी नही होती।<br>● डाइफॉसजोन : रंगहीन द्रव्य के रूप में होती है। अर्द्ध स्थायी होती है।<br>● युक्सोरीन : हरे रंग की गैस होती है, धातु को संक्षारित करती है, चिरस्थायी नही होती।<br>● क्लोरोपिक्रिन : रंगहीन होती है, वाष्शील द्रव के रूप में होती है, अर्द्ध स्थायी रूप में होती है। | गीली घांस के सडने की गंध की तरह गंध होतीहै। धूम्रपान अरूचिकर हो जाता है।<br>फॉस्जीन की तरह इसकी पहचान की जाती है।<br>विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) की गंध की तरह गंध होतीहै।<br>तीखी गंध होती है। | जीवन के लिए अत्याधिक हानिकारक होती है। पहले प्रभावों में खॉसी उठती है, ऑसू निकलते रहते है, छाती में दर्द होता है, वसन में कठिनाई होती है। बाद में फुफ्फुस शोफ (पल्मोनरीईडीमा) हो जाता है। इसके प्रभाव 24 घण्टे में दिखाई पडने लगते है।<br>फॉस्जीन की तरह प्रभावित करती है।<br>इसके प्रभावभी फॉस्जीन की तरह होते है पर अधिक होते है पर अधिक क्षोभ उत्पत्र करते है और कम जहरीलें होते है।<br>इसके प्रभाव क्लोरीन की तरह होते है अधिक हानिकारक होते है। |
| 4. | **अश्रु गैस**<br>● के.एस.के : गहरे भूरे द्रव के रूपम मे होती है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है। चिरस्थायी होती है।<br>● बी.बी.सी.(ब्रोमो बेन्जिल सायनाइड) : पीले भूरे क्रिस्टलो मे शुद्व रूप मे होती है। लेकिन सामान्यतः भेरे द्रव मे चिरस्थायी रूप से प्रयोग मे लायी जाती है।<br>● सी.ए.पी (क्लोरिन फेनॉन ) इसके रगंहीन क्रिस्टल होते है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है, चिरस्थायी नही होती ।<br>● नासिका को प्रभावित करने वाली :डाइ फेनाइ लक्लोर साइन (डी.ए)(डी.ए) (डी. एम.और डी.सी) सामान गैसे होती है। रगंहीन या चमकदार पीले क्रिस्टल होते है। गर्म किए जाने पर गंधहीन धुआ निकलता है। अदृश्य है, पास के स्थान को छोडकर, चिरस्थायी नही होती। | प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। फल जैसी गंध होती है<br>प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। तीखी चुभने वाली गंध होती है।<br>प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है<br>केवल प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है | सी.ए.पी.(नीचे उल्लेख कियागया है) की तरह प्रभावित करती है पर त्वचा पर इसका प्रभाव नही होता।<br>इसके प्रभाव उपर्युक्त के.एस.के.की तरह होते हैं (जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता)।<br>आंखो मे जलन होती है, त्वचा पर काफी मात्रा मे तत्काल और गहरा क्षोभ होता है।<br>छीके आती है, जलन होती है और छाती, गले, नाक और मसूड़ों मे दर्द होता है। बाद मे मानसिक दबाव<br>होता है। लेकिन 5 मिनट में ही इसके प्रभाव होते है। |

**19. <u>जैविक युद्ध (Biological Warfare)</u>**–जैविक युद्ध में किसी शत्रु के लोगों को उसके पालतू और अन्य पशुओं को मारने, उन्हें विकलांग बनाने या उन्हें क्षति पंहुचाने के लिए या फसलों को नष्ट करने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवित रोगाणु या उनसे उत्पन्न होने वाले रोगाणु का सप्रयोजन प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु स्वतः ही कम समय मे अधिकाधिक संख्या मे उत्पन्न होते रहते हैं तथा महामारी का रूप ले लेते हैं।

22.1 **<u>जैव युद्ध का उद्धेश्य</u>** :–

- मनोबल गिराने और आंतक फैलाने के लिए।
- चुने हुए लोगों जैसे औद्योगिक कामगारों आदि को विकलांग बनाने के लिए।
- लोगों पर किए जाने वाले सामान्य आक्रमण के एक भाग के रुप में।
- फसलों और पशुओं पर आक्रमण करके खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न करने के लिए।

22.2 **<u>नागरिक सुरक्षा मे जैव युद्ध से बचाव</u>**–किसी भी राष्ट्र मे युद्ध के हमलों को रोकने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है फिर भी तोड़फोड़ जैव युद्व की आशंका के बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना आवश्यक है। नागरिक सरक्षा द्वारा प्रशासन की सहायता से रोग फैलने के तरीकों एवं उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी का कड़ाई से पालन नागरिक सुरक्षा कार्यो के माध्यम से कराई जावेगी। प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग की सहायता से पानी खाद्य पदार्थो की जांच का कार्य समय–समय पर किया जाते हुए पुलिस और सेना की सहायता से साथही आमजन के सहयोग से पानी और खाद्य पदार्थो का रोगाणुओ से बचाव कराया जावेगा। पानी का जीवाणविक विश्लेषण बचाव में सहायक हो सकता है, साथही पानी का समुचित क्लोरीनीकरण भी कराना आवश्यक है।

22.3 जैविक युद्ध से सामान्य बचाव

- रोग का पता शीघ्रता से प्रारंभिक चरण में लगाना।
- आमजन को एक दूसरे के सम्पर्क में आने से रोकना।
- दूषित खाद्य पदार्थ, पानी के नमूनो की जॉच हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराना।
- सम्बधित रोग के टीकों की समुचित व्यवस्था करवाना तथा सूचना विभाग द्वारा टीके के प्रति सक्रियता जागृत करना।
- संक्रमणित फसलों व पशुओं को नष्ट करना।
- अस्पताल/प्राइवेट क्लिनिकों में रोगाणुओं को निष्प्रभावित करने हेतु पर्याप्त औषधियों का भण्डारण करवाना
- रोगाणु श्वॉस द्वारा त्वचा के सम्पर्क में आने पर एवं कीटों के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं इस रोगाणु रोधक ''नासापैड'' प्रयोग में लाना।
- आश्रय स्थलों को समुचित प्रतिरोधक बनाना एवं दूंषित वस्तुओं की सूची बताते हुए उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध की चेतावनी देना।

- चिकित्सा विभाग औषधियों के समुचित वितरण एवं भण्डारण के लिए योजना बनाकर कार्यवाही करना।
- नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार वार्डन के माध्यम से जैव युद्ध एवं उसके बचाव की जानकारी आमजन तक पहुॅचाने का कार्य करेगा।

22.4 जैव युद्ध से मनुष्य, पशुओं व पौधों तथा फसलों पर रोगाणुओं का प्रभाव

| **मनुष्य पर रोगाणुओं का प्रयोग** | **पशुओ पर रोगाणुओ का प्रयोग** | **पौधों और फसलों पर रोगाणुओं का प्रयोग** |
|---|---|---|
| **जीवाणु** :<br>● वैंसीलस एन्थरेसिस (गिलटी)<br>● साल्मोनेलाटाइफॉस (टाइफॉइड)<br>● पास्बुरेलापेस्टिस (प्लेग)<br>● थिब्रियोकॉमा (हैजा)<br>**विषाणु (वाइरस)** :<br>● एन्फ्ल्यूएंजा विषाणु (एन्फयूएंजा)<br>● संक्रमी यकृत शोंध का विषाणु (पीलिया) (वाइरस ऑफ इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस)<br>● मसूरी का विषाणु (चेचक) (वैरिऑला वाइरस)<br>**रिकेट्रिसया** : रिकेट्रिसयल प्रीवेजकी (महामारी वाला टाइफस)<br><br>**जीवविष (टॉक्सिन)** :<br>● बॉटुलियन जीवविष (बाटुलिज्म)<br>● स्टेफिलोकॉक सजीव विष (अन्न विषाक्तता) | **जीवाणु** :<br>● वैसीलब एन्थेसिए (गिलटी)<br>● ब्रुसेलाग्रुप ब्रेसेला रूग्णता (ब्रेसेलोसिस)<br><br>**विषाणु (वाइरस)** :<br>● मुख पादरोग विषाणु<br>● पशुप्लेग विषाणु (कैटल प्लेग) (रिंडरपेस्ट वाइरस) | ● हैलमिन्थो स्पोरयम ऑरिजेई (चावल पर)<br>● पाइरिकुलेरिया ऑरिजेई (चावल पर)<br>● कार्नी लैक्टीयरियम सेपेडॉनिकम (आलू पर) |

23. **परमाणु युद्ध (Nuclear Warfare)**–परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जब न्यटानों से बमबारी की जाती है तो उसमें से ऊष्मान गामा किरणों, एक्स किरणों और कौंध के रुप में दिखाई देने वाले प्रकाश के रुप में बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु निकलती हैं। तापमान लगभग दस मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पंहुच जाता है, जो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तुको वास्तव में पिघला देता है और कई मिलियन वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। परमाणु बम के विष्फोट से प्रकाश और ऊष्मा विकिरण, विष्फोट एवं तत्काल और विलंबित विकिरण इत्यादि प्रकट होते हैं।

23.1 **ऊष्मा के प्रभाव**–जब कोई न्यूक्लीय अस्त्र अधिस्फोटित होता है तो कुल ऊर्जा का 35 प्रतिशत तेज ऊष्मा और प्रकाश के रुप में निकलता है। यह ऊर्जा आग के गोले के रुप में निकलती है। किसी भी परमाणु बम ऊष्मा की लहर लगभग 1, 1/2 सैकंड तक रहती है पर बड़ी क्षति पहले आधे सैकंड के दौरान होती है। यह कौंध के रुप में होती है और इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ऊष्मा की लहर के बनेरहने की अवधि अनुमाप विधि के अनुसार बढ़ती है। किसी 10 मेगाटन के बम से

निकलने वाली ऊष्मा 20 सैकंड तक रहती है और इसके कारण बड़ी क्षति पहले 10 सैकंड के दौरान होती है।

23.2 **प्रारंभिक और द्वितीयक आग**– घटना स्थल के आसपास कुछ दूरी तक प्रत्येक वस्तु आग द्वारा पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इससे लगभग 01 मील क्षेत्र में आग लग जाती है, जिसे प्रारम्भिक आग के रुप में जाना जाता है। द्वितीयक आग की स्थिति में इमारतें गिरने, घरेलु आग लगने, गैस के पाइप फटने और बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट हो जाने इत्यादि कारणों से आग लग जाती है।

23.3 **परमाणुबम के विष्फोट का प्रभाव**–

- इससे कुल ऊर्जा का 45 प्रतिशत विष्फोट झटके के रुप में होना।
- उक्त झटके दो चरणों में होते हैं– 1. दाब और 2. चूषण।
- इमारत का विष्फोट के झटके सहन करने का सामर्थ्य जिसमें इमारत की मजबूती, आकार और खुले भागों (दरवाजे व खिड़कियां आदि) पर निर्भर करता है।
- The effects of Nuclear explosion can conveniently be divided into followings: -
  (a) Blast effect -45%
  (b) Heat effect -35%
  (c) Radiation effect -20% (5% Initial & 15% Residual Radiation)

| Three Friends of Nuclear Warfare | Three Rules for Protection Against External Radiation | Three Rules to Prevent Intake of Radioactive Materials. | Effects on Human Body | Full Turnout Gear. |
|---|---|---|---|---|
| • Time<br>• Distance<br>• Radiation | • Time - Keep exposure time as short as possible<br>• Distance - Keep as far away as possible from the source<br>• Source - Shield body from source wherever possible | • Use B. A. (Breathing Apparatus) sets<br>• Do not eat, drink & smoke in contaminated area<br>• Withdraw from radiation area if you sustain open wounds | • Radiation sickness<br>• Delayed effects<br>• Long term effects<br>• Genetic effects | • Helmet<br>• B.A. (Breathing Apparatus) set.<br>• Turnout coat.<br>• Gloves.<br>• Turnout paint.<br>• Rubber boots.<br>• Radiation Survey Meters.<br>• Eye shield. |

23.4 **मनुष्य के शरीर पर विष्फोट के प्रभाव**–मानव शरीर इमारतों की तुलना में दाब को अधिक शक्ति के साथ सहन कर सकता है, जिससे सीधे विष्फोट के कारण लोगों को अधिक चोट नहीं पंहुचेगी पर विष्फोट के अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण कई लोगों को चोट लगेगी, जैसे–इमारतें ढ़हना, मलवा गिरना, शीशे के टुकड़ों का उड़ना इत्यादि। इससे लगभग 02 मील के क्षेत्र में प्रभाव होंगे।

23.5 **परमाणु युद्ध –विकिरण प्रभाव**–जमीन पर या जमीन के निकट किसी भी परमाणु अस्त्र के अधिस्फोटित होने पर ऊपर उठने वाला आग का गोला जमीन से बहुत सारी मिटटी और अन्य सामग्री अपने साथ ऊपर ले जाता है। यह समस्त सामग्री रेडियोधर्मी हो जाती है और किसी ऐसे बड़े क्षेत्र में गिरती है जिसके ऊपर छत्रक रुपी बादल चलते रहते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री के गिरने से उसके बड़ी मात्रा में फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

23.6 **मनुष्यों पर विकिरणों का प्रभाव**–परमाणु विकिरणें मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को मारकर उसके शरीर को हानि पंहुचाती हैं। मनुष्य के समस्त शरीर पर होने वाले विकिरण के जैविक प्रभाव क्रमशः निम्नलिखित चार दशाओं में स्पष्ट हो जायेंगे :–

- **विकिरण के कारण बीमार पड़ जाना**– इसमें थकावट, मतली, अपाचन, भूख न लगना आदि इसके प्रारम्भिक लक्षण होते हैं जो उल्टी, अतिसार (दस्त की बीमारी) का रुप ले सकती है।
- **विलंबित प्रभाव**–त्वचा के नीचे रक्त स्राव होने के कारण रक्त के दाग उभर आने से शरीर से बालों का झड़ना जैसे विलंबित प्रभाव लगभग चार सप्ताह तक होते हैं।
- **दीर्घकालिक हानियां**–अरक्तता (अनीमिया), रक्त कैंसर, अस्थि या ऊतक विकिरण कैंसर और टयूमर इत्यादि जो सामान्यतः विकिरण होने के कई वर्ष बाद होती है। इसमें मनुष्य आयु से पहले वृद्ध हो सकता है।
- **आनुवांशिक हानि**– यदि जननें–द्रिया और जनन कोशिकाएं जो आने वाली पीढ़ियों की वंशागत विशेषता को आगे बढ़ाती हैं, विकिरण से प्रभावित होती हैं व आनुवंशिक हानि होती है।

23.7 परमाणुबम के विष्फोट के कारण विकिरण से उत्पन्न होने वाले खतरे

- **प्रारम्भिक विकिरण**–ये विष्फोट के केन्द्र से गामा किरणों के रुप में बाहर निकलती हैं व भेदक होती हैं :–

| खाली जमीन (ग्राउण्ड जीरो से दूरी) | कुल मात्रा | मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव |
|---|---|---|
| 1/2 मील पर | 5000 आर | यह स्थिति निश्चित रुप से विघातक होती है। |
| 3/4 मील पर | 500 आर | 50 प्रतिशत घातक। |
| 1 मीलपर | 100 आर | 1 प्रतिशत लोगों का बीमार पड़ना। |
| 1–1/2 मील पर | 5 आर | कोई प्रभाव नहीं |

- **अवशिष्ट विकिरण**–उसका अवपात (फाल आउट) –परमाणु बम के हवा में विष्फोट होने के बजाय यदि वह भूमि तल के निकट विष्फोटित होता है तो रेडियोधर्मी कण मिटटी आदि के बड़े और भारी कणों को संदूषित कर देते हैं और ये तेजी से जमीन पर जमा हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीर या कपड़ों के

संपर्क में आने से त्वचा जल सकती है। सांस लेने या अंतग्रहण द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर घातक विष का कार्य करती है, जिससे तेज विकिरण रोग, आनुवंशिक रोग या मृत्यु हो जायेगी। जमीन पर जमा रेडियोधर्मीकण खुले खाद्य पदार्थों, पानी और फसलों को संदूषित कर सकते हैं।

23.8 रेडियोधर्मी सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए संरक्षण–

- **समय**–रेडियोधर्मिता तेजी से क्षीण हो जातीहै। यह लगभग 2 दिन के अंदर इसके मान का 1/100 भाग हो जाती है।
- **दूरी**–किसी भी एक समान संदूषित क्षेत्र से कुल मात्रा का 1/3 भाग 12–1/2 फुट के घेरे से प्राप्त होता है, कुल मात्रा का आधा भाग 25 फुट के घेरे से प्राप्त होता है और कुल मात्रा का 3/4 भाग 100 फुट के घेरे से प्राप्त होता है। यदि इन घेरों के भीतर दीवारें, रुकावटें या अन्य होतो यह मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए भीतर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होगा।
- **आड़ बनाना**–रेडियोधर्मिता की मात्रा कम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की व्यवस्था उन सामग्रियों के घनत्व के आधार पर की जाती है। 2.2 इंच कंकरीट इस मात्रा को आधा कम कर देती है।

## 23.9 जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) की भूमिका

| | |
|---|---|
| **1.शांति काल के दौरान (During Peace Conditions)** | • प्रभावों का आकलनः– किसी संभावित हमले के दौरान होने वाले प्रभावों और नुकसान का अनुमान लगाना।<br>• टीमों का गठनः– आपदा के समय काम करने के लिए विशेष टीमों को तैयार करना।<br>• जन जागरूकताः–आम जनता को आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के प्रति शिक्षित करना।<br>• संसाधनों का मूल्यांकनः– जिले में उपलब्ध मौजूदा संसाधनों की समीक्षा करना।<br>• अतिरिक्त संसाधनों की मांगरू आवश्यकतानुसार सरकार से अतिरिक्त संसाधनों की मांग करना।<br>• आपदा प्रबंधन प्रशिक्षणः– जिले के भीतर के अधिकारियों और कर्मियों की टीमों को आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करना।<br>• समन्वय (Liaison):– पड़ोसी जिलों और राज्यों के साथ निरंतर संपर्क और समन्वय बनाए रखना।<br>• निकासी योजना (Evacuation Plans):– संकट के समय लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की योजनाएँ तैयार करना।<br>• समय–समय पर पूर्वाभ्यास (Rehearsals):–आपदा प्रबंधन योजनाओं की प्रभावशीलता जांचने के लिए समय–समय पर मॉक ड्रिल या रिहर्सल करना। |
| **2. हमले के दौरान (During an Attack)** | • सटीक चेतावनी प्रणालीः– लोगों को सचेत करने के लिए सही और त्वरित चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित करना।<br>• आश्रय दिलानाः– लोगों को सुरक्षित स्थानों या शेल्टर होम में पहुँचाना।<br>• प्राथमिक चिकित्साः– प्रभावित पीड़ितों के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) की व्यवस्था करना।<br>• अफवाहों पर नियंत्रणः– अफवाहों को फैलने से रोकना और जनता तक सटीक व सकारात्मक जानकारी पहुँचाना।<br>• NBC किट की व्यवस्थाः– परमाणु, जैविक या रासायनिक (NBC) प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाली टीमों के लिए उचित NBC सुरक्षा किट की व्यवस्था करना। |
| **3. हमले के बाद (After the Attack)** | • रेडियोधर्मी प्रभाव (Fallout) से सुरक्षाः– धमाके की लहर (Blast wave) गुजरने के बाद, रेडियोधर्मी कणों के गिरने की शुरुआत होने में कुछ समय (बड़े बम के मामले में लगभग आधा घंटा) मिलता है। इस दौरान लोगों को पहले से तैयार सुरक्षित आश्रयों (Refuge) में जाने के निर्देश देना।<br>• इमारतों की सीलिंगः– धमाके की लहर गुजरने के बाद, लोगों को तुरंत अपने घर या इमारत के सभी कमरों और छत के नीचे के स्थानों की जांच करनी चाहिए ताकि वे ठीक से बंद (Seal) हों।<br>• आग बुझानाः– लोगों को सलाह देना कि धमाके की लहर शांत होते ही वे तुरंत घरों या आसपास लगी आग को बुझाएं।<br>• शवों का निस्तारणः– जयपुर नगर निगम और कस्बों की नगर परिषदध्नगर पालिका स्थानीय लोगों की मदद से शवों के अंतिम संस्कारधनिस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।<br>• आपातकालीन मरम्मतः– ऐसी आवश्यक मरम्मत या मौसम से बचाव के इंतजाम करना जो आधे घंटे के भीतर पूरे हो सकें। टूटी हुई खिड़कियों पर पर्दे या चादरें लगा देनी चाहिए ताकि रेडियोधर्मी धूल भारी मात्रा में कमरों के भीतर न आए। यदि सुरक्षित कमरे (Refuge room) में रखे भोजन या पानी में धूल नहीं मिलती है, तो घर के क्षतिग्रस्त हिस्सों में थोड़ी–बहुत धूल आने पर घबराने की जरूरत नहीं है। यदि बाद में किसी कमरे में धूल दिखाई दे, तो उसे झाड़ू से साफ कर बाहर फेंक देना चाहिए।<br>• पड़ोसियों की मददः– परमाणु विस्फोट से प्रभावित मुख्य क्षेत्र को छोड़कर, अन्य जगहों पर रेडियोधर्मी विकिरण (Fallout) की चेतावनी दी जाएगी ताकि पता चल सके कि खतरा करीब है। धमाके की लहर गुजरने के बाद और अगली चेतावनी मिलने तक, पड़ोसियों को हर संभव मदद और प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए। |
| **4. रेडियोलॉजिकल और विसंक्रमण यूनिट** | • कपड़े बदलना और सुरक्षित रखनाः– अपने सभी बाहरी कपड़े उतारकर उन्हें सुरक्षित कमरे (Refuge room) से अलग किसी अन्य कमरे या अलमारी में रख दें। इन दूषित कपड़ों को |

| | |
|---|---|
| **का कार्य (Decontamination unit)** | पॉलिथीन या इसी तरह के बैग में रखना उपयोगी होगा ताकि बाद में उन्हें छूने पर संक्रमण फैलने का खतरा कम से कम हो। बाहरी कपड़े उतारते समय उन्हें झटकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे रेडियोधर्मी धूल हवा में फैल सकती है।<br>• हाथ–पैर और शरीर की सफाईः– इसके बाद हाथों, सिर और गर्दन को वॉश बेसिन के ऊपर साबुन और गुनगुने पानी से अच्छी तरह धोना और रगड़ना चाहिए। इस प्रक्रिया को कम से कम एक बार और दोहराएं और नाखूनों को ब्रश से अच्छी तरह साफ करें।<br>• वैक्यूम क्लीनर का उपयोगरू एक कुशल घरेलू वैक्यूम क्लीनर की मदद से कपड़ों से धूल हटाना।<br>• कपड़ों की धुलाईः– कपड़ों को घरेलू डिटर्जेंट के घोल में भिगोकर साफ करनाकृया तो वाशिंग मशीन में 5 मिनट तक चलाएं या किसी बाल्टीध्टब में उपयुक्त छड़ी (Stick) की मदद से 5 मिनट तक तेजी से हिलाएं, और फिर साफ पानी से अच्छी तरह खंगाल लें। |
| **5. मौसम विज्ञान विभाग की भूमिका (Meteorological Department)** | • आश्रय में बने रहनाः– विस्फोट के बाद पहले 2 दिनों तक या जब तक आपको यह न बताया जाए कि आपका जिला रेडियोधर्मी प्रभाव से मुक्त है, तब तक अपने सुरक्षित आश्रय (Refuge) में ही रहें। यदि आपको कोई निर्देश नहीं मिलता है, तो भी जब तक संभव हो अपने आश्रय में ही रहें (यानी घर के अन्य हिस्सों में जरूरत से ज्यादा समय न बिताएं)। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगला निर्देश मिलने तक घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। इस दौरान एक छोटा ट्रांजिस्टर (रेडियो) बहुत उपयोगी साबित हो सकता है।<br>• उच्च विकिरण क्षेत्र की स्थितिः– यदि तीसरे दिन के अंत तक भी आपको कोई निर्देश नहीं मिलता है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आप उच्च विकिरण (High dose rate) वाले क्षेत्र में हैं। ऐसी स्थिति में, आपके और आपके परिवार के लिए अपने सुरक्षित कमरे में ही रहना, घर के अन्य हिस्सों में कम से कम समय बिताना और बाहर जाने से बचना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।<br>• सुरक्षित निकासी (Evacuation):– यदि आपके क्षेत्र में विकिरण की मात्रा एक निश्चित सीमा से अधिक है, तो आपको स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि आपको कब और कहाँ से सुरक्षित निकाला (Collect) जाएगा। आपको तय समय और स्थान पर बिल्कुल तैयार रहना होगाय अन्यथा आप न केवल अपनी जान जोखिम में डालेंगे, बल्कि उन लोगों की जान भी खतरे में डालेंगे जो समय की गणना करके आपको और आपके पड़ोसियों को बचाने का बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। |

**अ. परमाणु हमले के खिलाफ निकासी** (EVACUATION AGAINST A NUCLEAR ATTACK)

वर्तमान समय में परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता को देखते हुए, परमाणु हमले से सुरक्षा के लिए सभी संभावित उपायों का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। जनता को शिक्षित करना, आश्रय स्थलों (Shelters) में सर्वोत्तम सुरक्षा कारक (Protection factor) प्राप्त करना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early warning system) और लक्षित क्षेत्रों (Target areas) से आबादी को सुरक्षित बाहर निकालना इस सुरक्षा के मुख्य स्तंभ हैं। इस पूरी प्रक्रिया में यातायात की समस्याएं और परिवहन के साधन सबसे कठिन चुनौती पेश करते हैं। इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं की समीक्षा की जानी चाहिएः–

(क) अलग–अलग बदलती परिस्थितियों में व्यावहारिक स्थानों पर ले जाए जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान।

(ख) आबादी के सुरक्षित आवागमन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक नियंत्रण, पर्यवेक्षण (Supervision) और प्रबंधन की तकनीकें तथा उपाय।

(ग) निकासी की गति को तेज करने के उद्देश्य से उपलब्ध सुविधाओं में सुधार के लिए विशिष्ट सिफारिशें।

(घ) अन्य समुदायों या क्षेत्रों में इसी तरह के अध्ययन आयोजित करने के लिए एक प्रोटोटाइप (Prototype) के रूप में उपयोग की जाने वाली सुझाई गई प्रक्रिया और मानक।

## ब. बुनियादी आवश्यकताएं और धारणाएं (BASIC REQUIREMENTS AND ASSUMPTIONS)

### 1. मानचित्र अध्ययन (Map Study)

निकासी की समस्याओं पर विचार करने के लिए संबंधित शहर और क्षेत्र का विस्तृत मानचित्र अध्ययन प्रशासनिक कर्मचारियों का तार्किक प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए। इसके माध्यम से स्थलाकृति (Topography) की उन विशेषताओं की पहचान की जाएगी जो यातायात में बाधा डाल सकती हैं, साथ ही उन प्राकृतिक बाधाओं का भी पता लगाया जाएगा जो दिशा को सीमित करती हैं। राजमार्गों (Highways) के मार्गों को विस्तार से दिखाया जाना चाहिए और निकासी के लिए उनकी अनुकूलता के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आस–पास के शहर, जो संभावित निशाने (Targets) हो सकते हैं, उन्हें भी इस क्षेत्र से संबद्ध किया जाना चाहिए। सभी संबंधित स्टाफ सदस्यों को इस मानचित्र अध्ययन की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

### 2. निकासी क्षेत्र की परिभाषा (Definition of Evacuation Area)

किसी शहरी लक्षित क्षेत्र और उसके आसपास खाली कराए जाने वाले क्षेत्र का आकार, उस लक्ष्य के आकार और उसके महत्व पर निर्भर करता है। निकासी की गतिशीलता का अध्ययन संभावित नुकसान के वास्तविक अनुमान पर आधारित होना चाहिए। इसलिए, एक निकासी क्षेत्र के अंतर्गत लक्षित क्षेत्र (Target area) और उसके प्रवासियों (Evacuees) को आश्रय देने के लिए आवश्यक श्स्वागत क्षेत्रश (Reception area) दोनों शामिल होंगे।

### 3. संवेदनशील शहरी जिला (Vulnerable Urban District)

एक संवेदनशील शहरी जिला तब माना जाता है जब वहां औद्योगिकीकरण या आबादी की निम्नलिखित में से कोई भी एक स्थिति मौजूद होरू

**(क) औद्योगिकीकरण (Industrialization):–**

निरंतर आपस में जुड़े 4–मील व्यास वाले वृत्तों (ब्यतबसमे) के केंद्रों से होकर खींची गई रेखा से घिरा वह क्षेत्र, जिसमें से प्रत्येक वृत्त में पर्याप्त औद्योगिक कारखाने हों (जिनमें सभी शिफ्टों को मिलाकर कुल 100 या अधिक श्रमिक हों) और जिनकी कुल संयुक्त रोजगार संख्या 16,000 श्रमिक हो।

**(ख) आबादी (Population):** निरंतर आपस में जुड़े 4–मील व्यास वाले वृत्तों के केंद्रों से होकर खींची गई रेखा से घिरा वह क्षेत्र, जिसमें से प्रत्येक वृत्त में रहने वाली या दिन के समय की आबादी 2,00,000 (दो लाख) व्यक्ति हो।
नोटः– संवेदनशील शहरी जिले के बाहर और उसके चारों ओर स्थित 10–मील के बफर जोन (Buffer zone) के भीतर, नए अस्पतालों के लिए सुरक्षात्मक निर्माण (Protective construction) करना अनिवार्य है।

### 4. स्वागत क्षेत्र (Reception Area)

वे क्षेत्र जहाँ लोगों को ले जाया जाना है, वे निकासी क्षेत्र की बाहरी सीमाओं से परे होने चाहिए। स्वागत क्षेत्रों की योजना बनाना यातायात आवागमन अध्ययन के दायरे से बाहर है और जैसा कि पहले बताया गया है, यह काम संबंधित शहर और राज्य की नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) एजेंसियों द्वारा सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है जो स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी हैं। हालांकि, यातायात आवागमन योजना में स्वागत क्षेत्रों की कुछ आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, निकासी मार्गों की जांच और निर्धारण सुरक्षित क्षेत्र में इतनी दूर तक किया जाना चाहिए कि एक पर्याप्त राजमार्ग प्रणाली से उसका जुड़ाव सुनिश्चित हो सके। यह निकासी यातायात के रेडियल (Radial) या पार्श्व (Lateral) माध्यमिक आवागमन को सुगम बनाता है। आवागमन अध्ययन में समग्र स्वागत क्षेत्र में लोगों को छोड़े जाने वाले स्थानों और उनकी मात्रा (Volume) का डेटा भी शामिल होना चाहिए, जिस पर विस्तृत सहायता योजना आधारित हो सके।

### 5. मनोवैज्ञानिक धारणाएं (Psychological Assumptions)

निकासी के दौरान लोग कैसा व्यवहार करेंगे, यह काफी अटकलों का विषय रहा है। अक्सर उठने वाले सवाल हैंरू क्या सभी लोग शहर छोड़ने के लिए तैयार होंगे? यदि लोग अपने परिवारों से अलग हो जाते हैं, तो क्या वे शहर छोड़ेंगे? क्या वाहन चालकों का व्यवहार विवेकपूर्ण होगा? अमेरिका की नेशनल रिसर्च काउंसिल की श्डिजास्टर स्टडीज कमेटीश आपदा के समय मानवीय व्यवहार का अध्ययन कर रही है। इसके तहत यह माना

गया है कि यदि निकासी यातायात की योजना को अपनाया जाता है और उसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है, तो आम तौर पर लोग योजना का पालन करेंगे। हालांकि, अभी तक इस निष्कर्ष का कोई ठोस आधार नहीं है कि आपातकालीन स्थितियां लोगों की सामान्य क्षमताओं और कौशल में वृद्धि करेंगी।

### 6. प्रभावशीलता (Effectiveness)

निकासी योजना के शुरुआती चरण में ही, विकसित की गई योजना की प्रभावशीलता को मापने के साधन की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। मूल्यांकन का ऐसा आधार प्रभावशीलता का एक सूचकांक (Effectiveness indeÛ) प्रदान करता है। इस सूचकांक द्वारा जांची जाने वाली बुनियादी राशियाँ समय, दूरी और लोग हैं। सामान्य परिस्थितियों में लोगों का वितरण, सुरक्षा तक पहुँचने के लिए आवश्यक आवागमन की दूरी और आवागमन की गति की दर इसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। चूंकि हमले की चेतावनी का समय अज्ञात होता है, इसलिए समय के पूरे दायरे को शून्य (हमले में पूरी तरह से अचानक होने की स्थिति में) से लेकर सुरक्षित क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए आवश्यक समय तक ग्राफ पर प्लॉट किया जाना चाहिए। सूचकांक बनाने में कई कारक प्रभावित करते हैंः–

पहला, कारकों की गणना या अनुमान लगाने के लिए आवश्यक जानकारी की उपलब्धता।

दूसरा, अन्य निकासी अध्ययनों में उपयोग किया जाने वाला सूचकांकय यदि कई शहरों की निकासी योजना के सूचकांक समान (Common indices) हों, तो उनकी प्रभावशीलता की तुलना करना अधिक आसान होता है।

नागरिक सुरक्षा के व्यक्तिगत कार्य जैसे बचाव, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और कल्याण विभाग परिचालन के विवरण की योजना बनाने में इन सूचकांकों में दी गई विशेष जानकारी को उपयोगी पा सकते हैं। प्रभावशीलता के कुछ सूचकांक नीचे सूचीबद्ध हैंः–

(क) चेतावनी के समय (यानी चेतावनी से लेकर विस्फोट तक का समय) के कार्य के रूप में व्यक्त जीवित बचे लोगों की कुल संख्या (या प्रतिशत)।

(ख) सुरक्षित क्षेत्र में पहुँचने वाले व्यक्तियों की संख्या, जो चेतावनी के समय के कार्य के रूप में व्यक्त हो।

(ग) प्रत्येक क्षति क्षेत्र (Damage zone) में मौजूद व्यक्तियों की संख्या, जो चेतावनी के समय के कार्य के रूप में व्यक्त हो।

(घ) बिना चोट लगे जीवित बचे लोगों की संख्या, जो चेतावनी के समय के कार्य के रूप में व्यक्त हो।

(ड़) बिना चोट लगे जीवित बचे लोगों की संख्या, जो विस्फोट के कुछ स्वेच्छा से चुने गए समय (जैसे दो घंटे) के बाद सुरक्षित क्षेत्र में होंगे।

### 7. पूर्व–अनुकूलन (Preconditioning)

यह मान लिया गया है कि सिविल डिफेंस चेतावनी प्रणाली प्रभावी है या होगी, निकासी क्षेत्र के भीतर सभी जिम्मेदार व्यक्ति चेतावनी प्रणाली से परिचित हैं, और लोग जानते हैं कि उन्हें किसी भी दिए गए समय पर निकासी योजना के तहत क्या करना चाहिए। इसका तात्पर्य एक सरल, अच्छी तरह से प्रचारित योजना के अस्तित्व से है, जिसमें मार्ग संकेतक (Route markers) और आवश्यक नियंत्रण बिंदु (Control points) पर्याप्त रूप से तैनात कर्मियों के साथ मौजूद हों।

### 8. विलंब का समय (Delay Time)

यह माना जाता है कि चेतावनी संकेत मिलने और निकासी आंदोलन के पूर्ण रूप से प्रभावी होने के बीच कुछ समय, संभवतः आधे घंटे से कम का समय बीत जाता है। इस अवधि के दौरान लोग अपनी सामान्य गतिविधियों को रोक देंगे, अपने घरों या रोजगार के स्थानों को छोड़ देंगे और अपने निर्दिष्ट परिवहन की ओर बढ़ेंगे।

### 9. आवागमन की दिशा (Direction of Movement)

मौसम विज्ञान विभाग (डमजमवतवसवहपबंस क्मचंतजउमदज) से प्राप्त हवा की दिशाध्मौसम की रिपोर्ट के अनुसार निकासी के दौरान आवागमन के लिए निर्देश देने की जिम्मेदारी जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की होगी।

### 10. यातायात निकासी क्षेत्र (Traffic Drainage Areas)

यह माना जाता है कि शहर से स्वागत क्षेत्र (Reception zone) में जाने वाले प्रत्येक एकतरफा निकासी मार्ग के लिए एक संबंधित निकासी–क्षेत्र (Drainage&area) या शहर का क्षेत्र (Sector) होता है, जिसका यातायात उस मार्ग पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला यातायात मार्ग की क्षमता के भीतर हो। दूसरे शब्दों में, निकासी क्षेत्रों को इस तरह नामित किया जाना चाहिए कि सभी मार्गों पर समान रूप से भार (Overload) पड़े। इससे मार्ग प्रणाली का सबसे कुशल उपयोग होगा। अधिकृत आपातकालीन वाहनों को छोड़कर, न तो निकासी मार्गों को और न ही निकासी क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को पार किया जाना चाहिए। यह प्राथमिक मार्गों के अलावा अन्य मार्गों (यानी निकासी क्षेत्र से अंतिम निकास के अलावा अन्य सड़कों) द्वारा ए और बी (A & B) जोन से सी और डी (C & D) जोन या उससे आगे वाहनों के आवागमन को नहीं रोकता है, जिससे कुल आबादी के एक बड़े हिस्से को प्राथमिक हथियारों के प्रभाव से कम खतरे वाले क्षेत्रों में ले जाया जा सके।

### 11. मार्ग क्षमता (Route Capacity)

यह माना जाता है कि आदर्श परिस्थितियों में मार्ग की क्षमता प्रति लेन 1,000 वाहन प्रति घंटा है, औसत परिस्थितियों में संभावित क्षमता प्रति लेन 800 वाहन प्रति घंटा है, और आपातकालीन परिस्थितियों में ऐसी क्षमता घटकर प्रति लेन 500 वाहन प्रति घंटा रह जाएगी। अलग–अलग मार्गों के लिए, सड़क और यातायात की विभिन्न स्थितियों के आधार पर क्षमता व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। क्षमता, यातायात के घनत्व (Traffic density) और आवागमन की गति का गुणनफल होती है। संभावित क्षमता को वाहनों की अधिकतम संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है जो प्रचलित सड़क या यातायात स्थितियों के तहत 1 घंटे के दौरान एक लेन या सड़क पर एक निश्चित बिंदु से गुजर सकते हैं। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आदर्श परिस्थितियों में, एक ही यातायात लेन में एक के पीछे एक गुजरने वाले वाहनों की सबसे बड़ी संख्या 2,000 से 2,200 यात्री कारों के बीच होती है। इस सीमा में निरंतर प्रति घंटा वॉल्यूम शायद ही कभी देखा गया है, हालांकि कई अवसरों पर यातायात की मांग इनसे अधिक रही है। इस आदर्श क्षमता तक केवल निम्नलिखित शर्तों के तहत ही पहुँचा जा सकता हैरू

(क) एक दिशा में यात्रा करने वाले वाहनों के विशेष उपयोग के लिए कम से कम 2 लेन हों।

(ख) सभी वाहन 30 से 40 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हों।

(ग) यातायात लेन, शोल्डर (सड़क के किनारे) की पर्याप्त चौड़ाई हो और ऊर्ध्वाधर बाधाओं (Vertical obstruction) से स्पष्ट दूरी हो।

(घ) कोई प्रतिबंधात्मक दृश्य दूरी (Restrictive sight distances), तीव्र ढाल (Grades), अनुचित रूप से उन्नत मोड़ (Improperly super elevated curve), चौराहे (Inter&sections) या पैदल यात्रियों द्वारा कोई हस्तक्षेप न हो।

### 12. परिस्थितियाँ (Conditions)

निकासी यातायात आवागमन योजना किसी भी समय लागू किए जाने पर प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए, इसे विभिन्न परिस्थितियों को कवर करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, जिसमें वे परिस्थितियाँ भी शामिल हैं जब चेतावनी प्राप्त होने की संभावना हो। कई बदलती परिस्थितियों के आलोक में योजना की जांच करने से विशेष प्रावधानों या योजना में पूर्ण परिवर्तनों की आवश्यकता का पता चल सकता है।

### 13. समय (Time)

दिन और रात के समय लोगों के क्षेत्रों में आने–जाने के कारण, लोगों और वाहनों दोनों के वितरण की जांच की जानी चाहिए। शहर के जिन क्षेत्रों में इन दोनों में से किसी भी समय परिवहन की कमी है, उन्हें योजना के तहत पूरक व्यवस्था (Supplemental arrangements) दी जानी चाहिए।

### 14. रणनीतिक निकासी (Strategic Evacuation)

हमले के खतरे के मामले में स्थानीय सरकारों द्वारा अनुशंसित सीमित पैमाने पर व्यक्ति स्वेच्छा से इस प्रकार की निकासी कर सकते हैं।

### 15. मार्ग सुधार (Route Improvements)

राजमार्ग मार्गों में सुधार करके किसी क्षेत्र से निकासी को तेज किया जा सकता है। सुधार के विभिन्न चरणों की उम्मीद की जा सकती है। उनकी सीमा और प्रभावशीलता का एक मात्रात्मक मूल्यांकन यह संकेत देगा कि वे योजना में निकासी को कितनी गति प्रदान करते हैं।

### 16. हवा की दिशाएं (Wind Directions)

मौसम विज्ञान विभाग प्रशासनिक प्राधिकरण (Administrative Authority) और शेल्टर मैनेजर को नियमित रूप से हवा की दिशाओं के बारे में सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

## भाग–VI

**25.** जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची :–

| S.No. | Name of VA/VPs | Name of Area | No. Of VA/VPs | Assessed Priority |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Common Nodes Postal/Telegraph/Telephones key Point | | | |
| 2 | TV & Radio Stations | Aakshvani Kendra FM 89.6 | 1 | __ |
| 3 | Bridges/Rope-Way/Railway Station | Roadway Bus Station | 1 | |
| | | Road N.H.-113 | 1 | |
| 4 | Petroleum & Natural Gas | Petol Pumps | 45 | __ |
| 5 | Mines & Gas works | Gas Agencies District HQ and Block HQ | 13 | |
| 6 | Electric Power Station/Grid Sub Staton | AVVNL Pratapgarh 400KV | | |
| | | AVVNL Pratapgarh 220KV | | |
| | | AVVNL Pratapgarh 220KV | | |
| | | Wind Power Sub Station | | |
| 7 | Water Supply/Sewage Key points | PHED Pratapgarh | | |
| 8 | Internment Camps | __ | __ | __ |
| 9 | Civil Airfields &Est. | Air Trafic Control/Command Center | 1 | A |
| 10 | Govt. Factories/Industrial Installations | __ | __ | __ |
| 11 | Food & Oil Storage Depots | Food Corparation of India Pratapgarh | 2 | |
| 12 | Dams, Barrages | DAMs in Pratapgarh District Big & Small | 2 Major and 16 Minor Dams | |
| 13 | Treasuries/Banks/Commercial Markets | Treasury | 1 | |
| | | Sub Treasury | 5 | |
| | | All Types Bank | | |
| 14 | Pvt Factories/Industrial Installations | __ | __ | __ |
| 15 | Facilities of the Department of Space | __ | __ | __ |

## 26.नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची

| क्र.स. | नाम स्वंय सेवक | पता | मोबाईल नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री हरिओम तेली पिता श्री मुकनलाल तेली | सिद्वपुरा | 7742202481 |
| 2 | श्री विनोद कुमार बंजारा पिता श्री मांगीलाल बंजारा | सिद्वपुरा | 9983847562 |
| 3 | श्री कपिल साहु पिता श्री राजाराम साहु | प्रतापगढ | 9664078665 |
| 4 | श्री उमेश कुमार रैदास पिता श्री केला ाचन्द्र रैदास | प्रतापगढ | 8955551955 |
| 5 | श्री भगतराम पाटीदार पिता श्री बंशीलाल पाटीदार | जाजली | |
| 6 | श्री कमलेश खारोल पिता श्री भेरूलाल खारोल | जाजली | 9928618185 |
| 7 | श्री मुकेश कुमार पिता श्री रमे ाचन्द्र प्रजापत | जाजली | 9636154449 |
| 8 | श्री चन्द्रशेखर सुथार पिता श्री नानुराम सुथार | सोहनपुर | |
| 9 | श्री दिपेन्द्र सिंह पुरावत पिता श्री नागेन्द्र सिंह पुरावत | प्रतापगढ़ | |
| 10 | श्री ऋतुराज सिंह पुरावत पिता श्री विजेन्द्र सिंह पुरावत | झासडी | 9680681749 |
| 11 | श्री नरेन्द्र कुमावत पिता श्री हिम्मत राम कुमावत | जाजली | |
| 12 | श्री लक्ष्मण मीणा पिता श्री थावरा मीणा | गादोला | 8306523895 |
| 13 | श्री रोशनलाल मीणा पिता श्री जगदीश मीणा | अम्बामाता | |
| 14 | श्री फतेहशंकर रैदास पिता श्री किशन लाल रैदास | जाजली | 9982063062 |
| 15 | श्री भारत मेघवाल पिता श्री नाथुलाल मेघवाल | कडियावद | 7073702585 |
| 16 | श्री रविन्द्र सिंह पुरावत पिता श्री गोपाल सिंह पुरावत | प्रतापगढ | |
| 17 | श्री मोहनलाल मीणा पिता श्री जगदीश मीणा | अम्बामाता | 8000318445 |
| 18 | श्री प्रदीप पाटीदार पिता श्री कंवरलाल पाटीदार | गादोला | 8890768575 |
| 19 | श्री देवीलाल मीणा पिता श्री मोहनलाल मीणा | चौकडी | 9680208078 |
| 20 | श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ पिता श्री विजेन्द्र सिंह राठौड़ | प्रतापगढ | 9950496541 |
| 21 | श्री इन्द्रमल मीणा पिता श्री लक्ष्मण मीणा | प्रतापगढ | 7023009471 |
| 22 | श्री विरमलाल मीणा पिता श्री नानुराम मीणा | कडियावद | 7742520255 |
| 23 | श्री सोमेन्द्र सिंह पुरावत पिता श्री गोपाल सिंह पुरावत | कडियावद | 9772186678 |
| 24 | श्री मनसुख मीणा पिता श्री किशनलाल मीणा | प्रतापगढ | 8696727256 |
| 25 | श्री शिवलाल पिता रामचन्द्र रैदास | प्रतपगढ़ | 9024191133 |
| 26 | श्री कन्हैयालाल पिता मगनलाल रैदास | कुलमीपुरा | |
| 27 | श्री गोपाल लाल पिता प्रभुलाल पाटीदार | गादोला | 9799411814 |
| 28 | श्री बलवन्त पिता छत्रसिंह देवड़ा | धमोत्तर | 96366150101 |
| 29 | श्री राकेश वैष्णव पिता श्री राधेश्याम वैष्णव | जांजली | 90015449018 |
| 30 | श्री विजय सिहं पिता मांगीलाल बंजारा | बगवास, | 8963827474 |
| 31 | श्री दिनेश पिता भंवरलाल गायरी | झासड़ी | 9166728274 |
| 32 | श्री राजपाल सिंह पिता श्री भंवर सिंह | जांजली | 7568482410 |
| 33 | श्री मोहम्मद रईस पिता मोहम्मद सोहब | बसाड | 8003325982 |
| 34 | श्री डाडम पिता नानुराम मीणा | परपतीया, | |
| 35 | श्री रोहित पिता लक्ष्मण मालवीय | प्रतापगढ़ | 9887789841 |
| 36 | श्री मुकेश कुमार पिता रतनलाल राव | धमोत्तर | 9352780488 |
| 37 | श्री अंकित पिता श्री गोरीशंकर राठौड़ | अरनोद | 9079143160 |
| 38 | श्री देवेन्द्र पिता गणेश मीणा | प्रतापगढ़ | |
| 39 | श्री बंशीलाल पिता अर्जुनलाल मीणा | पीपलखुंट | |
| 40 | श्री मनोज कुमार पिता श्री बंशीलाल सुथार | जांजली, अरनोद | |
| 41 | श्री विजय सिंह पिता शंकर सिंह दरोगा | सोहनपुरप्रतापगढ | 9660075144 |
| 42 | श्री राजेन्द्र पिता ओम प्रकाश पाटीदार | सिद्वपुरा, | 9413641721 |
| 43 | श्री सुमेर सिहं पिता प्रहलाद बंजारा | चौकडीप्रतापगढ | 7668623844 |
| 44 | श्री अजित पिता कैलाश चन्द्र टांक | झासडीप्रतापगढ | 9799824442 |
| 45 | श्रीमती उमा पत्नि कन्हैयाला रैदास | कुलमीपुरा, | 9166419030 |
| 46 | श्री गोपाल सिंह पिता देवी सिंह दरोगा | सोहनपुरप्रतापगढ | 9571307896 |
| 47 | श्री देवीलाल पिता श्री गोपाल कुमावत | जांजली, अरनोद | 9784291965 |
| 48 | श्री अंकित पिता हरी प्रसाद मीणा | अंबामाताप्रतापगढ | 9928445311 |
| 49 | श्री पप्पू सिंह पिता बलवन्त सिंह | राजौरा, प्रतापगढ़ | 7891752396 |
| 50 | श्री जयसिंह पिता चांदीदान रावल | सोहनपुरप्रतापगढ | 7727819031 |
| 51 | श्री विनोद भोई पिता मन्नालाल भोई | बसाड़, प्रतापगढ़ | 9057220742 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 52 | श्री कानसिंह पिता गोविन्द सिंह | प्रतापगढ़ | 8502094974 |
| 53 | श्रीमती प्रेमलता पत्नि राधेश्याम रैदास | प्रतापगढ | 8696483571 |
| 54 | श्री भुपेंद्र सिंह पिता विरेंद्र सिंह राजपुत | जांजली, अरनोद | 9783593819 |
| 55 | श्री ईशवरलाल पिता चुन्नीलाल मीणा | मानपुराप्रतापगढ़ | 9571083685 |
| 56 | श्री कारूलाल पिता गणेशलाल लबाना | टाण्डा, प्रतापगढ़ | |
| 57 | श्री अजयराज पिता गजराज सिहं सिसोदिया | कुलथाना | |
| 58 | श्रीमती आंनद कुवंर पत्नि निर्भय सिंह | बगवास, | |
| 59 | श्री सत्यनारायण पिता रतनलाल मीणा | मोबाखेड़ा, | 9602653637 |
| 60 | श्री राधेश्याम पिता डालचन्द शर्मा, | बम्बोरी, | 9672187787 |
| 61 | श्री हितेश कुमावत पिता ओमप्रकाश | प्रतापगढ़ | 9983806845 |
| 62 | श्री जगदीश चन्द पिता भेरूलाल ढोली | पीपलखूंट | |
| 63 | श्री कमल सिंह पिता विक्रम सिंह सिसोदिया | लालपुरा, | 9521013058 |
| 64 | श्री लखन कुमावत पिता श्री दिनेश कुमावत | जांजली, अरनोद | 8504036930 |
| 65 | श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री भैरूसिंह राजपुत | हड़मतियाकुण्डाल | 9571952640 |
| 66 | श्री दीपक पिता विष्णुलाल मेधववाल | डाबडाप्रतापगढ | 9829986344 |
| 67 | श्री राहुल पिता मानसिंह आंजना | वरमण्डल | 9636872103 |
| 68 | श्री कुलदीप पिता मनोहरलाल टेलर | प्रतापगढ़ | 9302675129 |
| 69 | श्री गेन्दालाल पिता देवीलाल मेघवाल | कडीयावद | 9829426363 |
| 70 | श्री मनोज पिता अम्बालाल मेघवाल | अरनोद | 7742041574 |
| 71 | श्री मुकेश पिता रतनलाल रैदास | प्रतापगढ़ | 8290491207 |
| 72 | श्री रमेश चन्द्र पिता कचरूलाल रैदास | रजौराप्रतापगढ | 9571069313 |
| 73 | श्री भरत राठोर पिता श्री गोपाल राठोर | अरनोद | 9785656501 |
| 74 | श्री समरथलाल पिता भेरूलाल रैदास | असावताप्रतापगढ | 8107796524 |
| 75 | श्री विरेन्द्र पिता चंपालाल मेघवाल | धमोतरप्रतापगढ | 6377844086 |
| 76 | श्री कारूलाल पिता लालुराम राणा | वार्डनं. 08 अरनोद | 9001717744 |
| 77 | श्री समरथमल पिता मोहनलाल मीणा | झासडी | 9950354665 |
| 78 | श्रीमती इन्द्रा पिता नारायण निवासी प्रतापगढ | घासखेडा | 7568871898 |
| 79 | श्री कुशालसिंह पिता बलवन्त सिंह | राजौराप्रतापगढ | 8003510758 |
| 80 | श्री दिलिप सिंह पिता कैलाशचन्द्र राव | अवलेवरप्रतापगढ | 9636193971 |
| 81 | सुश्री कान्ता पुत्री गोतमलाल मीणा | प्रतापगढ़ | 7426874986 |
| 82 | श्री सचिन पिता सुखलाल ग्वाला | प्रतापगढ, | 9352283522 |
| 83 | श्री कनिया पिता रकमा मीणा | बोरी–अपीपलखुंट | 8955498326 |
| 84 | श्री रीतुराजसिंह पिता नागेंद्रसिंह राजपुत | जांजली | |
| 85 | श्री निलम तेली पिता गोवर्धन तेली | अरनोद | 8003173460 |
| 86 | श्री विक्रम पिता देवीलाल मीणा | खेरमगरीप्रतापगढ | 7728864579 |
| 87 | श्री महेश पिता हीरा मीणा | रजौराप्रतापगढ | 9784213411 |
| 88 | श्री पंकज पिता मुकंद मेघवाल | विरावली, अरनोद | 7230924418 |
| 89 | श्री मुकेश पिता श्यामलाल बंजारा | प्रतापगढ़ | 8875138835 |
| 90 | श्री प्रकाश सिह पिता लक्षमण सिंह राजपुत | छोटीसादड़ी | 9784409512 |
| 91 | श्री देवेन्द्र पिता शिवलाल मीणा | प्रतापगढ़ | 9636921837 |
| 92 | श्री कन्हैयालाल पिता बाबुलाल राव | प्रतापगढ़ | 9929102327 |
| 93 | श्री कवंरलाल पिता चर्तुरभुज रैदास | प्रतापगढ़ | 9660163541 |
| 94 | श्री बद्रीलाल पिता श्री मगनलाल मीणा | प्रतापगढ़ | 7568871898 |
| 95 | श्री दीपक पिता मेहताब राव | प्रतापगढ़ | 9660413625 |
| 96 | श्री दिलखुश पिता गोपाल लाल नाई | पानमोडीप्रतापगढ | 6367523883 |
| 97 | श्री हीरालाल पिता रामचन्द्र मीणा | पीपलखुंट | 6367088572 |
| 98 | श्री सुरजमल पिता मन्नलाल राणा | अरनोद | 8003814255 |
| 99 | श्री शोभागमल पिता धार मीणा | प्रतापगढ | 9928459115 |
| 100 | श्री विरेन्द्र सिंह पिता श्री नरेन्द्र सिंह | अरनोद | 9799499661 |
| 101 | श्री महेन्द्र पिता मिठठुसिंह राजपुत | अरनोद | 7665527760 |
| 102 | श्री भंवरलाल पिता सालगराम रैदास | प्रतापगढ़ | 9680323608 |
| 103 | सुश्री सुनिता पिता अमृतराम रैदास | अरनोद | 9079790302 |
| 104 | श्री कुलदीप पिता राजेन्द्र राव मराठा | छोटीसादड़ी | 7611921856 |

| 105 | श्री राजेश पिता संतोष कुमावत | जाजली, अरनोद | 8769253939 |
|---|---|---|---|
| 106 | श्री नागुलाल पिता गंगाराम मीणा | सालरापाडा, | |
| 107 | श्री राजमल पिता कारूलाल मीणा | अचलावदा | 9680209450 |
| 108 | श्री प्रेमचन्द्र पिता उदयलाल निनामा | खडियावानी | 7976925673 |
| 109 | श्री मनीष कुमार पिता बालुराम मीणा | अरनोद | |
| 110 | श्री पप्पू सिंह पिता भंवर सिंह | कडीयावद, | |
| 111 | श्री विजय पिता नाथूलाल रैदास | झासडीप्रतापगढ | 9166775085 |
| 112 | श्री दिनेश पिता रामेशवर लाल जाट | पलथान, | 8890174472 |
| 113 | श्री रमेश पिता निम्बालाल खराड़ी | उगमनापाड़ा | 9772428451 |
| 114 | श्री रविराजसिंह पिता राजेन्द्र सिसोदिया | प्रतापगढ़ | 8209894942 |
| 115 | श्री रितिक पिता दीपक दर्जी | धरियावद | |
| 116 | श्री रामप्रसाद पिता नाथूलाल मीणा | कीटखेडी | 9928603729 |
| 117 | श्री सीताराम पिता श्री भैरूलाल मीणा | मचलाना अरनोद | 8769449915 |
| 118 | श्री होकमसिंह पिता मांगु सिहं | झासडी, | 8949252691 |
| 119 | श्री पीरू पिता विष्णुलाल खारोल | गादोला, | 9680430482 |
| 120 | श्री रविराज पिता श्री मनोहर सिंह | जांजली, अरनोद | |
| 121 | श्री प्रवीण पिता कारूलाल गायरी | वरमण्डल, | 9001100506 |
| 122 | श्री गोवर्धन पिता श्री लक्ष्मीचन्द तेली | अरनोद | 9928980274 |
| 123 | श्री मनोहरलाल पिता शिवलाल मीणा | उन्हेल, अरनोद | 8107978258 |
| 124 | श्री दिनेश मीणा पिता धारजी मीणा | अरनोद | 9928070802 |
| 125 | श्री अम्बालाल पिता दल्ला मीणा | घासखेड़ा, | 9119195473 |
| 126 | श्री लालुप्रशाद पिता धारजी मीणा | भमेड़ी, पीपलखुट | |
| 127 | श्री महेश पिता मुरली वल्लभ शर्मा | बसाड़ प्रतापगढ | 9649531918 |
| 128 | श्री गंगाराम पिता मोहनलाल मीणा | घासखेडा | 9887635936 |
| 129 | श्री गंगाराम पिता नानुराम मीणा | कडियावद | 8306176094 |
| 130 | श्री समरथ पिता कनीराम लबाना | अखेपुर | 9001340643 |
| 131 | श्री पुष्पेंद्र पिता भगवतीलाल डागर | अरनोद | 6376559556 |
| 132 | श्री दिलीप कुमार पिता लक्ष्मी नारायण | अमलावद | 8107427076 |
| 133 | श्री भगवानलाल पिता डालुराम रैदास | झासडी | 9950067784 |
| 134 | श्री रमेश पिता लसिया मीणा | धारणा, | 9784967640 |
| 135 | श्री गणेशलाल पिता देवीलाल मीणा | रूपपुरिया | |
| 136 | श्री विकास पिता किशनलाल मेघववाल | डाबडा, | 9340800073 |
| 137 | श्री शुभम पिता मांगीलाल चन्देल | कुलथाना, | 8290992761 |
| 138 | श्री शंकरलाल पिता रूपलाल मीणा | धरियावद | 7568673804 |
| 139 | श्री ओमप्रकाश पिता रकमा ढोली | खेमपुरीय, | |
| 140 | श्री जुगल किशोर पिता अर्जुनलाल शर्मा | बसेड़ीकुण्डाल, | 9799804541 |
| 141 | श्री श्यामलाल पिता खानुराम मीणा | चिकलाड | 7727021927 |
| 142 | श्री विकास पिता लक्ष्मण ढोली | सुहागपुरा | 7073702767 |
| 143 | श्री कचरूलाल रैदास पिता श्री राधु रैदास | आम्बीरामा | 7597175618 |
| 144 | श्री जीवनलाल पिता सुरजमल मीणा | राजारूण्डी | 8741926003 |
| 145 | श्री राजमल पिता मोतीलाल पटेल | बावड़ीपीपलखुंट | 8209949747 |
| 146 | श्री नवल किशोर पिता भोगजी | नायनपीपलखुंट | 9610216010 |
| 147 | श्री रामचन्द्र पिता कानजी मीणा | पीपलखुंट | 7568704820 |
| 148 | श्री मुकेश चन्द्र पिता धुलीयाजी डिण्डौर | रेलपाड़ा, | |
| 149 | श्री सुशील पिता रामगोपाल मेघवाल | डाबडा | 9799107506 |
| 150 | श्री मनोज पिता मदनलाल साहु | झासड़ी, | 9680407139 |
| 151 | श्री बसंतीलाल पिता भंवरलाल रैदास | झासडीप्रतापगढ | 9680948325 |
| 152 | श्री हीरालाल पिता जगदीश मीणा | कड़ीयावद | 8290114675 |
| 153 | श्री रंगलाल पिता नारूलाल मीणा | पीपलखुंट | 8209546236 |
| 154 | श्री रोशनलाल पिता गोपीलाल बंजारा | चौकडीप्रतापगढ | 9928591567 |
| 155 | श्री शंकरलाल पिता रूपलाल मीणा | पिपलीपठार, | 8239993644 |
| 156 | श्री जगदीश पिता उदयलाल मीणा | प्रतापपुराअरनोद | 9660010648 |
| 157 | श्री विक्रम पिता चन्दुलाल बंजारा | चौकडीप्रतापगढ | 7877829430 |

| 158 | श्री नितेश पिता प्रभुलाल गुर्जर | छायण, प्रतापगढ़ | 9983877181 |
|---|---|---|---|
| 159 | श्री जिवराज पिता श्री मांगीलाल | चुपना | 8003578891 |
| 160 | श्री प्रभुलाल पिता नारजी मीणा | खेंमावतो, | 9610067122 |
| 161 | श्री राहूल पिता बाबूलाल जाट | प्रतापगढ | 9982748575 |
| 162 | श्री पुष्कर राठोर पिता शंकरलाल राठौर | धारजीचौक, | 9587723839 |
| 163 | श्री हरलाल मीणा धुलजी मीणा | अरनोद | 9950066059 |
| 164 | श्री दिलीप पिता श्री मांगीलाल रैदास | अरनोद | 9680338439 |
| 165 | श्री विजय पिता कन्हैयालाल कुमावत | छोटीसादड़ी | 9571831766 |
| 166 | श्री दलजीत पिता नारायणलाल मीणा | दीपाखेड़ा | 7073314285 |
| 167 | श्री सुनील मीणा पिता बालुराम मीणा | अरनोद | |
| 168 | श्री राधवेन्द्र सिहं पिता गजराज सिंह | कुलथाना | |
| 169 | श्री गोरव चौहान पिता विराजी चौहान | अरनोद | 9928505903 |
| 170 | श्री सत्यनारायण मीणा पिता लक्ष्मण मीणा | कडियावद | 9680201559 |
| 171 | श्री अजय पिता बालुराम बलाई | जांजली, अरनोद | 8005549848 |
| 172 | श्री शंकरलाल पिता रकमा मीणा | बोरी–अपीपलखुंट | 7742400422 |
| 173 | श्री भंवरलाल पिता श्री देवीलाल बलाई | जाजली, अरनोद | 8769093754 |
| 174 | श्री राजेश पिता गोपाल सेन | पानमोडी, | 7976350789 |
| 175 | श्री सोहनलाल पिता शिवलाल मीणा | सेवनाप्रतापगढ़ | |
| 176 | श्री हरिश व्यास श्री रमेश व्यास | अरनोद | 9784212801 |
| 177 | श्री महीपाल पिता रामलाल निनामा | धारणा, | 9549182805 |
| 178 | श्री राजमल पिता भैरूलाल मीणा | बारावरदा | 9982738180 |
| 179 | श्री मनोज पिता सोहनलाल मीणा | पीपलखुंट | 9649857213 |
| 180 | श्री विकास कुमार पिता जीवनलाल मीणा | पीपलखुंट | 7877941911 |
| 181 | श्री बद्रीलाल पिता शंकरलाल गायरी | जांजली, अरनोद | 9587315254 |
| 182 | श्री ईश्वर पिता रामप्रसाद रैदास | विरावली, अरनोद | |
| 183 | श्री रामलाल पिता पांचीया मीणा | धारणी प्रतापगढ़ | 8209459976 |
| 184 | श्री दशरथ पिता मानसिंह मीणा | प्रतापपुरा, | 8769114574 |
| 185 | श्री गोविंद सिंह पिता श्री शिवनारायण सिंह | अरनोद | 8239613116 |
| 186 | श्री गोपाल पिता फुला मीणा | प्रतापगढ़ | 6378794063 |
| 187 | श्री कालुलाल पिता शंकरलाल | धरियावद | 7339808739 |
| 188 | श्री लोकेश पिता बलराम मीणा | धरियावद | 7742118995 |
| 189 | श्री रमेश चन्द्र पिता प्रभुलाल रैदास | झाासडीप्रतापगढ | 9983100600 |
| 190 | श्री हरिशचन्द्र पिता खातु राम मईडा | पीपलखुंट | 6378898752 |
| 191 | श्री गोपाललाल पिता नंदलाल तैली | प्रतापगढ | 9468785453 |
| 192 | श्री हीरालाल पिता शिवलाल मीणा | चनीयाखेड़ी | 8290114675 |
| 193 | श्री प्रशांत पिता अम्बालाल | जांजली | 8290541221 |
| 194 | श्री राधेश्याम पिता श्री जगदीश राठौर | अरनोद | 9413043840 |
| 195 | श्री राजेश पिता मांगीलाल चन्देल | कुलथाना | 9785723151 |
| 196 | श्री हरिश पिता सालगराम मेघवाल | भुवासिया | 8290311702 |
| 197 | श्री मोहम्मद अनवर पिता श्रीमोहम्मद अमजद खान | सियाखेड़ी | 8619317852 |
| 198 | श्री गोविन्द गुर्जर पिता श्री प्रभुलाल | नकोर | 7878720282 |
| 199 | श्री प्रियका कुमारी पति श्री ओमप्रकाश रैदास | प्रतापगढ़ | 8690127732 |
| 200 | श्री कृष्णा पिता सत्यनारायण सावरिया | प्रतापगढ | 8306861375 |
| 201 | श्री दीपक पिता दिनेश शर्मा | प्रतापगढ | 9928143159 |
| 202 | श्री मदनलाल प्रजापत पिता श्री गणपत लाल | वरमण्डल | 8290756761 |
| 203 | श्री करण लबाना पिता श्री पारसमल लबाना | टाण्डा | 9929083701 |
| 204 | श्री सत्यनारायण पिता श्री भैरूलाल कुमावत | प्रतापगढ | 8003774723 |
| 205 | श्री प्रियका पिता श्री केसरीमल मालवीय | प्रतापगढ | 9784767079 |
| 206 | श्री सविता पिता श्री नवीन यादव | प्रतापगढ | 7597380274 |
| 207 | श्री भूर सिंह पिता श्री भगवत सिंह चौहान | चरलिया | 7728881835 |
| 208 | श्री दिव्या दमामी पिता श्री नाथु लाल जी | रजोरा | 6376259077 |
| 209 | श्री युवराज सिंह पिता श्री विक्रम सिंह | अमलावद | 9116521307 |
| 210 | श्री अजली पिता श्री अरविन्द गेहलोत | प्रतापगढ | 6376738334 |

| 211 | श्री धनराज पिता बद्रीलाल कलाल | प्रतापगढ | 9928040840 |
|---|---|---|---|
| 212 | श्री ललित पिता श्री दशरथ कुमावत | प्रतापगढ | 7073785603 |
| 213 | श्री प्रदीप धोबी पिता श्री अम्बालाल धोबी | प्रतापगढ | 8505067568 |
| 214 | श्री सुनिल सुथार पिता श्री मुकेश सुथार | प्रतापगढ | 8209795122 |
| 215 | श्री पुष्पा सुर्यवंशी पिता श्री पुनमचन्द्र सुर्यवंशी | प्रतापगढ | 8955551955 |
| 216 | श्री लोकेश कुमार पिता श्री श्यामलाल लखारा | प्रतापगढ | 7427050559 |
| 217 | श्री पंकज कुमार मीणा पिता श्री रामलाल | सीतामगरी | 8209709408 |
| 218 | श्री गोपाल लाल पिता श्री धनश्याम लबाना | सिद्वपुरा | 7023830071 |
| 219 | श्री रोहित लबाना  पिता श्री रमेश लबाना | टाण्डा | 9649925706 |
| 220 | श्री अनुपम पिता श्री समरथमल कुमावत | प्रतापगढ | 9950508210 |
| 221 | श्री कमलेश पिता श्यामलाल गुर्जर | प्रतापगढ | 8619537986 |
| 222 | श्री अलका पिता श्री केसरीमल मालवीय | प्रतापगढ | 9950636879 |
| 223 | श्री दीपक कुमार पिता श्री ओमप्रकाश शर्मा | प्रतापगढ | 7976475723 |
| 224 | श्री पुष्कर पिता श्री समरथ कुमावत | प्रतापगढ | 9929377332 |
| 225 | श्री ऐश्वर्या पिता श्री राधेयाम रैदास | प्रतापगढ | 8696483571 |
| 226 | श्री पांचुराम मीणा पिता श्रीमेघराज मीणा | भाण्डला | 9173264062 |
| 227 | श्री मुकेश मीणा पिता श्री लक्ष्मण | पाडलिया | 8003586406 |
| 228 | श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री हीरालाल डामोर | सोबनिया | 9571577204 |
| 229 | जमना कुमारी पिता सुन्दरलाल | खडियावानी | 8302469326 |
| 230 | श्री कृष्ण पाल टेलरपिता श्री यशपाल टेलर | छोटीसादड़ी | 7611921860 |
| 231 | श्री राहुल मालवीय  पिता श्री राजेन्द्र मालवीय | रठांजना | 8696826028 |
| 232 | श्री अरविन्द हरीजन पिता श्री राजमल हरिजन | डाबडा | 7340567743 |
| 233 | श्री पिन्टु लबाना पिता श्री लक्ष्मण लबाना | ढलमु मानपुरा | 6350649786 |
| 234 | श्री विजय कुमार पिता श्री मुकेश जटिया | असावता | 8302870284 |
| 235 | श्री गौरव पिता श्री कैलाश रैदास | प्रतापगढ | 8619260613 |
| 236 | श्री श्रद्वा पिता श्री  शम्भुलाल शर्मा | प्रतापगढ | 9772940756 |
| 237 | श्री भूषण कुमार पिता श्री पुष्करलाल यादव | प्रतापगढ | 9929249530 |
| 238 | श्री अंजना पिता श्री घनश्याम कुमावत | प्रतापगढ | 9079849048 |
| 239 | सुश्री चम्पा पिता श्री अम्बालाल खटीक | प्रतापगढ | 7372992101 |
| 240 | श्री ग्यारसी कुमारी पिता श्री नानुराम मीणा | प्रतापगढ | 7296805044 |
| 241 | श्री कमलेश पिता श्री जगदीश मीणा | प्रतापगढ | 8854887193 |
| 242 | श्री पंकज पिता श्री पारसमल जैन | प्रतापगढ़ | 9549734193 |
| 243 | श्री हिना बानू पिता श्री शेरखान | धरियावद | 8742029253 |
| 244 | श्री सोनूगिरी पिता श्री कैलाशगिरी गोस्वामी | धरियावद | 7357656613 |
| 245 | श्री कुदंन शर्मापिता श्री मून्नालाल शर्मा | गागरोल | 6376498748 |
| 246 | श्री अमन यादव पिता श्री महेश यादव | छोटीसादड़ी | 7568711836 |
| 247 | श्री शिवानी जाटवपिता श्री मनाहेर लाल | छोटीसादड़ी | 8233102091 |
| 248 | श्री हिमांशु पुरी गोस्वामीपिता श्री कैलाश पुरी | छोटीसादड़ी | 8949520948 |
| 249 | श्री सुमन गेहलोतपिता श्री राकेश गेहलोत | कुलथाना | 8827416625 |
| 250 | श्री ओम प्रकाश मीणा पिता श्री प्रभुलाल मीणा | बावडीखेडा | 9166357775 |
| 251 | श्री मोईन शेख पिता श्री अयुब | कल्याणपुरा | 7014596920 |
| 252 | श्री पियुष पिता श्री महेश कुमार शर्मा | प्रतापगढ | 8619465132 |
| 253 | श्री पीरूलाल पिता श्री श्यामलाल वरगुंडा | प्रतापगढ | 8302286729 |
| 254 | श्री कन्हैयालाल पिता श्री गोपाल लौहार | प्रतापगढ | 9672660207 |
| 255 | श्री विनोद कुमार पिता श्री लक्ष्मणलाल मीणा | हजारीगुडा | 9001889060 |
| 256 | श्री दिनेश कुमार पिता श्री कानिया मीणा | खुन्ता | 9887705581 |
| 257 | श्री बालुराम पिता श्री प्रभुलाल मीणा | पण्डावा | 7665101163 |
| 258 | श्री लालुप्रसाद पिता श्री जगदीश कुमावत | जाजली | 9649048779 |
| 259 | श्री आशीष निनामा पिता श्री मणीलाल निनामा | बोरी पी | 6378535567 |
| 260 | श्री दिनेश निनामा पिता श्री हीरालाल निनामा | बोरी पी | 7340186331 |
| 261 | श्री संतोष कुमार निनामा पिता श्री हरीशंकर | घंटाली | 8239390261 |
| 262 | श्री ममता जाटवपिता श्री मनोहर लाल | छोटीसादड़ी | 7023060449 |
| 263 | श्री मोनिका सेन पिता श्री दिलखुश नाई | पानमोडी | 9079689949 |

| 264 | श्री प्रहलाद सेन पिता श्री हरिराम सेन | कल्याणपुरा | 6376557582 |
|---|---|---|---|
| 265 | श्री गोपाल सिंह  पिता श्री राधेश्याम सिंह | घोडावद | 9784031920 |
| 266 | श्री लोकेश सिंह पिता श्री भंवर सिंह रावल | संचई | 9571143626 |
| 267 | श्री नवीन पिता श्री जीवन लाल सुथार | प्रतापगढ | 7665950981 |
| 268 | श्री अमित पिता श्री अनिल कुमावत | प्रतापगढ | 9521363936 |
| 269 | श्री विशाल पिता श्री महावीर दास वैष्णव | प्रतापगढ | 8949013057 |
| 270 | श्री बहादूरसिंह डिंडोर पिता श्री जीवा | मुण्डीखेडा | 9549524031 |
| 271 | श्री पुष्कर निनामा पिता श्री धनेश्वर | कटारों का खेडा | 7357334562 |
| 272 | सुश्री अंगुरबाला पिता श्री करण मीणा | धारियाखेडी | 8769775292 |
| 273 | श्री दिनेश कुमार पिता श्री मोहनलाल मीणा | अचलावदा | 8824743209 |
| 274 | श्री रमेश चन्द पिता श्री  मागीलाल मीणा | जाम्बुरेल | 8003102684 |
| 275 | श्री  शैलेन्द्र सिंह पिता श्री चेतन सिह | कोटडी | 8947044645 |
| 276 | श्री अशोक कुमार पिता श्री बाबुलाल मीणा | अरनोद | 8883815971 |
| 277 | श्री मनीष मीणा पिता श्री प्रभुलाल | खरखड़ा | 8905682151 |
| 278 | श्री  शुभम खटीक पिता श्री मोहनलाल | चिकलाड़ | 9166441986 |
| 279 | श्री टीना पिता श्री स्व. मुकेश खटीक | प्रतापगढ | 8279148056 |
| 280 | श्री समीरहुसैन पिता श्रीशकीलअहमद अजमेरी | प्रतापगढ | 9166811086 |
| 281 | श्री सोहेल हुसेन पिता श्री  शकील अहमद | प्रतापगढ | 7878977041 |
| 282 | श्री रवि सिंह पिता श्री अमर सिंह | प्रतापगढ | 7976931831 |
| 283 | श्री भगवत पिता श्री सत्यनारायण मीणा | मानपुरा प्रतापगढ | 7014340993 |
| 284 | श्री विकास पिता श्री विष्णुदास वैरागी | प्रतापगढ | 6378620404 |
| 285 | श्री राजेन्द कुमार पिता श्री भेरूलाल मीणा | कल्याणपुरा | 8003092389 |
| 286 | श्रीमती तुलसी कुमारी पिता श्री जीवनलाल | मोटा धामनिया | 8107037427 |
| 287 | श्री गणेश मीणा पिता  श्रीअम्बालाल | मूल्याखेडा | 9024286684 |
| 288 | श्री सुन्दरलाल मीणा पिता श्री वेलुराम | बडायला | 9950596010 |
| 289 | श्री मुकेश कुमार मीणा पिता श्री नारायणलाल | पण्डावा | 7357544895 |
| 290 | श्री कपील पाटीदारपिता श्री  गोपाल पाटीदार | छोटीसादड़ी | 7062492015 |
| 291 | श्री कमलेश कुमावत पिता श्री दिनेश कुमावत | सेमलोपुर | 6378219389 |
| 292 | श्री देवधर लखारा पितायामलाल लखारा | प्रतापगढ | 6376501388 |
| 293 | श्री अपरोज खान पिता श्री एजाजुदिन खान | प्रतापगढ | 9783588919 |
| 294 | श्री अगुर बाला पिता श्री रामचन्द्र रैदास | प्रतापगढ | 8290194065 |
| 295 | श्रीमती रेखा कुमारी पिता श्री बहादूरसिंह | मुण्डीखेडा | 9549524031 |
| 296 | श्री पुजा मीणा  पिता श्री  अनोखीलाल | हिगलाट | 9001499224 |
| 297 | श्री दिपिका राठौड़ पिता श्री किशोर राठौड़ | अरनोद | 9001010728 |
| 298 | श्री विजेश नाथ पिता श्री दिलिप नाथ | अरनोद | 7877074125 |
| 299 | श्री राहुल मेघवालपिता श्री देवीलाल मेघवाल | गोमाना | 6376652357 |
| 300 | श्री कन्हैयालाल मीणापिता श्री  मोहनलाल | अंबावली | 7849839510 |
| 301 | श्री टीना तेलीपिता श्री अर्जुनलाल तैली | छोटीसादड़ी | 9001918589 |
| 302 | श्री अंबालाल मीणापिता श्री राधेश्याम | अंबावली | 9784654795 |
| 303 | श्री घनश्याम पिता श्री भैरूलाल कुमावत | रठांजना | 7425845403 |
| 304 | श्री राजेश  पिता श्री सुरेश चन्द्र | धमोतर | 9829029417 |
| 305 | श्री मोहम्मद फीरोज पिता श्री मोहम्मद सलीम | प्रतापगढ | 7568915858 |
| 306 | श्री अतिक सब्जीफरोस पिता श्री लालमोहम्मद | प्रतापगढ | 9571154459 |
| 307 | श्री गोविन्द पिता श्री कारूलाल मीणा | प्रतापगढ | 9636837460 |
| 308 | श्री रोहित पिता श्री पुष्कर कुमावत | प्रतापगढ | 8385825882 |
| 309 | श्री काजल पिता श्री दयानन्द खटीक | प्रतापगढ | 8619496444 |
| 310 | श्री नारायण पिता श्री जगदीशलाल मीणा | प्रतापगढ | 9001550751 |
| 311 | श्री कालुराम पिता श्री लक्ष्मण | सोडलपुर | 9672292823 |
| 312 | श्री राजमल मेघवाल पिता  श्री रूप | डांगपुरा | 8239075937 |
| 313 | श्री गणेशलाल निनामा पिता श्री नाकुराम | हिम्मतों की हरवर | 8696594052 |
| 314 | श्री चोधमल मीणा पिता श्री वीरुलाल | लालपुरा | 8302600460 |
| 315 | श्री दीपक राठौड़ पिता श्री अशोक राठौड़ | नागदेड़ा | 6367144873 |
| 316 | श्री नरेश कुमार निनामा पिता विजयपाल | महुवाल | 7726035140 |

| 317 | श्री रमेशचन्द्र पिता रायचन्द्र | डुंगलावानी | 7412096565 |
|---|---|---|---|
| 318 | श्री नितेश कुमावतपिता श्री नरेन्द्र कुमावत | छोटीसादड़ी | 7728055717 |
| 319 | श्री जसंवतपिता श्री दलीचंद कुमावत | बसेड़ी कुण्डाल | 9950399121 |
| 320 | श्री विरेन्द्र तेली पिता श्री प्रहलालद तेली | छोटीसादड़ी | 7742334040 |
| 321 | श्री आयुषी शिन्दे पिता श्री अशोक राव | छोटीसादड़ी | 9352415877 |
| 322 | श्री अजय मेघवाल पिता श्री हेमराज मेघवाल | रठांजना | 8529753616 |
| 323 | श्री मुकेश मीणा पिता श्री रायाजी मीणा | खेरियादो | 7023033775 |
| 324 | श्री महेश मेघवाल पिता श्री मदनलाल मेघवाल | रठांजना | 9950346684 |
| 325 | श्री करण मीणा पिता श्री अर्जुन लाल | गोपालपुरा | 6377082771 |
| 326 | श्री पंकज सेन पिता श्री राजेन्द्र सेन | धमोतर | 7665891480 |
| 327 | श्री आशीष कुमार पिता श्री स्व.शिवप्रसाद शर्मा | प्रतापगढ | 9414872154 |
| 328 | श्री आदित्य पिता श्री मोहनलाल कुमावत | प्रतापगढ | 7073168145 |
| 329 | श्री नितिन सिंह पिता श्री कैलाश सिंह | प्रतापगढ | 8426008180 |
| 330 | श्री सपना जोगेन्द्र पिता श्री मदनलाल जोगेन्द्र | प्रतापगढ | 8302954848 |
| 331 | श्री जितेन्द्र पिता श्री जगदीश मेघवाल | प्रतापगढ | 9468628073 |
| 332 | श्री .धीरज पिता श्री सत्यनारायण खटीक | प्रतापगढ | 9983875411 |
| 333 | श्री घनश्याम धोबी पिता श्री भैरूलाल धोबी | प्रतापगढ | 8239712358 |
| 334 | श्री हेमन्त पिता भैरूलाल मीणा | प्रतापगढ | 9079941404 |
| 335 | श्री रेखा मेघवाल पिता श्री रमेश मेघवाल | नयाबोरिया | 7976789427 |
| 336 | श्री जीतमल मीणा पिता श्री उदयलाल | मोटी पुटवास | 7357748130 |
| 337 | श्री सुन्दरलाल मीणा पिता श्री डाडमचंद | भूरीघाटी | 7339765917 |
| 338 | श्री सुरजमल मीणा पिता श्री बाबुलाल | मोखा का टोंक | 8824112978 |
| 339 | श्री पुष्करलाल पिता श्री गणपतलाल रैदास | बेडमा | 7742646932 |
| 340 | श्री पप्पुलाल पिता श्री गोपाल जी गायरी | मोवाई | 961369196 |
| 341 | श्री अजय पिता श्री मुकेश कुमार चनाल | छोटीसादड़ी | 6377902396 |
| 342 | श्री संजय पिता श्री दिनेश कुमार पाटीदार | छोटीसादड़ी | 7427059472 |
| 343 | श्री अजय कुमार पिता श्री बापूलाल | मानपूरा खालसा | 8000898776 |
| 344 | श्री मीना तेलीपिता श्री अर्जुनलाल तैली | छोटीसादड़ी | 7665736596 |
| 345 | श्री नन्दकिशोर पिता श्री लक्ष्मणलाल मीणा | आमलीखेडा | 9119190347 |
| 346 | श्री नितेश पिता श्री ईमामसिंह सिसोदिया | प्रतापगढ | 8690301133 |
| 347 | श्री ईश्वरलाल पिता श्री कारूलाल मीणा | प्रतापगढ | 8239929478 |
| 348 | श्री निरजंन पिता श्री भगवतीलाल कुमावत | प्रतापगढ | 9950495494 |
| 349 | श्री सीता तेली पिता श्री प्रेमचन्द्र तेली | प्रतापगढ | 9783862114 |
| 350 | श्री नरेश पिता श्री ईश्वरलाल मेघवाल | बगवास | 7413988106 |
| 351 | श्री थावरचन्द मीणा पिता श्री नाथू मीणा | नवाघर भोजपुर | 9929655439 |
| 352 | श्री मोहन कुमार मीणा पिता श्री डाडमचंद | भूरीघाटी | 7073318468 |
| 353 | श्री दिनेशचन्द्र पिता श्री जगनलाल मीणा | कुम्हारीयो का पटार | 7976555816 |
| 354 | श्री जीवनलाल पिता धुलचन्द निनामा | बदलीखेरा | 8949603931 |
| 355 | सुश्री कलाकुमारी पिता केसरिया | नयन | 7357323897 |
| 356 | श्री सुनील कुमार पिता श्री भैरूलाल शर्मा | बसेड़ी कुण्डाल | 9982051100 |
| 357 | श्री विक्रम पिता श्री सूरजमल पाटीदार | छोटीसादड़ी | 7014264870 |
| 358 | श्री महेश गायरी पिता श्री रमेश गायरी | रठांजना | 6378391834 |
| 359 | श्री ओमप्रकाश पिता श्री रामगोपाल रैदास | प्रतापगढ | 9829666971 |
| 360 | श्री जयप्रकाश पिता श्री ठाकुरलाल तम्बोली | प्रतापगढ | 8209275151 |
| 361 | श्री नानुराम मीणा पिता श्री हामजी | हिम्मतों की हरवर | 9549667428 |
| 362 | श्री दीपक मीणा पिता श्री रामचंद्र | पाडलिया | 9166356730 |
| 363 | श्री कृष्णपालसिह पिता श्री करणसिंह झाला | मण्डावरा | 7742386523 |
| 364 | श्री भैरूलाल पिता तोलाराम | जामली | 9783887614 |
| 365 | श्री राजु पिता मोहनलाल निनामा | बोरखेड़ा | 9587331113 |
| 366 | श्री वासुराम पिता बहादुर निनामा | धारना बोरी–पी | 9672125976 |
| 367 | श्री अर्जुन मालीपिता श्री ंकरलाल माली | छोटीसादड़ी | 9057093099 |
| 368 | श्री गुणवन्त राव पिता श्री राजेन्द्र राव मराठा | छोटीसादड़ी | 8005866510 |
| 369 | श्री धारा सिंह  पिता श्री सत्यनारायण सिंह | अरनिया | 9001582943 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 370 | श्री लोकेश बंजारा  पिता श्री गोपाल बंजारा | चोकडी | 9636202799 |
| 371 | श्री दीलीप मीणा पिता श्री कारूलाल मीणा | पॉचईमली | 9079368060 |
| 372 | श्री कुलदीप पिता श्री समरथ मीणा | प्रतापगढ | 7300192630 |
| 373 | श्री तुलसीराम पिता श्री हरीराम मीणा | प्रतापगढ | 9352459049 |
| 374 | श्री दीपा पति श्री संजय शर्मा | प्रतापगढ | 8504937532 |
| 375 | श्री तेजकरण पिता श्री देवीलाल धोबी | प्रतापगढ | 9799072108 |
| 376 | श्री राजकुमार पिता श्री सुखलाल सालवी | धरियावद | 8003456953 |
| 377 | श्री मनोज मीणा पिता श्री नारायण मीणा | माण्डकला, | 7073635862 |
| 378 | श्री शांतिलाल मीणा पिता  श्री गुलाब | बानघाटी | 9660754836 |
| 379 | श्री श्रवण कुमार पिता श्री लालुराम मीणा | कडवामोदा | 7742016657 |
| 380 | श्री लक्ष्मी कुमारी पिता श्री प्रतापसिंह | हिगलाट | 6378741450 |
| 381 | श्री सुरेशचन्द्र पिता श्री मांगीलाल मीणा | जिरावता | 8107945722 |
| 382 | श्री तरुण पिता श्री शिवलाल बागड़ी | अरनोद | 9352356033 |
| 383 | श्री कचरूलाल पिता रामलाल निनामा | मोरवानिया | 7413046259 |
| 384 | सुश्री अन्तरकुमारी पिता रकमाजी | नायन | 9950864682 |
| 385 | श्री शुभम कुमारपिता श्री मुकेश कुमार | छोटीसादड़ी | 6377337308 |
| 386 | श्री गोविन्द शर्मा पिता श्री मुकेश शर्मा | बसेड़ी कुण्डाल | 8209383368 |
| 387 | श्री राहुल कुमावत पिता श्री राधा किशन | चमलावदा | 9783895982 |
| 388 | श्री दिनेश नाई पिता श्री घनश्याम नाई | वरमण्डल | 7727965995 |
| 389 | श्री वासुदेव पिता श्री मनोज कजानी | प्रतापगढ | 8890647153 |
| 390 | श्री संजु पिता श्री गोविन्द मीणा | प्रतापगढ | 8824013741 |
| 391 | श्री दीपक पिता श्री नाथुलाल मीणा | प्रतापगढ | 7851072969 |
| 392 | श्री शैलेन्द्र कलाल पिता श्री किशोर चौधरी | बगवास | 8769431533 |
| 393 | श्री दामलाल मीणा पिता श्री राया मीणा | खून्ता | 9602541871 |
| 394 | श्री हरिराम मीणा पिता श्री मानाराम मीणा | केसरपुरा | 9660602986 |
| 395 | श्री जयश्री हरिजन पिता श्री भगवती लाल | अरनोद | 7742793537 |
| 396 | श्री अर्जुन लाल पिता श्री प्रभुलाल मीणा | पडाव कचनारा | 9680859038 |
| 397 | श्री समरथ पिता श्री रामचन्द्र कुमावत | जाजली | 9001920100 |
| 398 | सुश्री संगीता कुमारी पिता जीवनलाल मीणा | जेथलिया | 8239079669 |
| 399 | श्री हुकुम सिंहपिता श्री पप्पू सिंह | अंबावली | 6350030453 |
| 400 | श्री किरण कुमारी पिता श्री अम्बालाल मीणा | करोली | 9376229317 |
| 401 | श्री सुनिल कुमार मीणा पिता श्री बालुराम मीणा | छोटा मजेसरीया | 8290739964 |
| 402 | श्री पियुष  पिता श्री सुरेश कुमावत | प्रतापगढ | 9521305860 |
| 403 | श्री निरजन पिता श्री दुर्गेश गिरी गोस्वामी | प्रतापगढ | 7073847899 |
| 404 | श्री कुलदीप पिता श्री राजेश प्रजापत | प्रतापगढ | 7726040794 |
| 405 | श्री जीतमल मीणा पिता श्री इन्दरमल | रामपुरिया | 8000192308 |
| 406 | श्री कैलाशचंद्र मीणा पिता श्री दितीया | जुनी बगडावद | 9783526804 |
| 407 | श्री मुकेश कुमार पिता श्री नानुराम मीणा | लालगड | 6376323453 |
| 408 | श्री रामलाल मीणा पिता श्री  लक्ष्मण | नागदी | 9929652386 |
| 409 | श्री बपुलाल पिता श्री वरसिंग डामोर | सोबनिया | 7724036235 |
| 410 | श्री दिनेश कुमार पिता रामाजी | नयन | 6375979823 |
| 411 | श्री पवन तेली पिता श्री कारूलाल तेली | छोटीसादड़ी | 9602365155 |
| 412 | श्री अजुन लाल पिता श्री कारूलाल तेली | छोटीसादड़ी | 8949005230 |
| 413 | श्री गजेन्द्र पिता श्री अम्बालाल बोईवाल | प्रतापगढ | 9950503600 |
| 414 | श्री जितेन्द्र पिता श्री रामचन्द्र मीणा | प्रतापगढ | 7891374625 |
| 415 | श्री भूपेन्द्रसिंह पिता श्रीविजयसिंह सिसोदिया | प्रतापगढ | 9610561208 |
| 416 | श्री हिम्मत पिता श्री रामलालजी ढोली भील | प्रतापगढ | 6376523624 |
| 417 | श्री भागीरथ पिता श्री खेमराज मोची | प्रतापगढ | 9950162131 |
| 418 | श्री विकास भाम्भी पिता राधेश्याम भम्भी | प्रतापगढ | 8949475723 |
| 419 | श्री गौमत मीणा पिता श्री दिलीप मीणा | जवाहर नगर–3 | 9660455295 |
| 420 | श्री प्रकाश चन्द पिता श्री रामा मीणा | जगलावदा | 9660116664 |
| 421 | श्री जगदीश पिता श्री बद्रीलाल दमामी | सातसज्जा | 8824631001 |
| 422 | श्री दीपक गायरी पिता श्री कचरु गायरी | अरनोद | 9680944927 |

| 423 | श्री नैत्रपाल सिंह पिता श्री विक्रम सिह | मण्डावरा | 9950355524 |
|---|---|---|---|
| 424 | श्री अंकित डागी पिता श्री दशरथ जी | पडुनी | 7014730101 |
| 425 | श्री फुलचन्द पिता बापुलाल | डूंगलावानी | 8949370571 |
| 426 | श्री चेतनलाल पिता कचरू निनामा | पीपलखुंट | 7340503586 |
| 427 | श्री हरलालपिता श्री नारायण लाल | ईटो का तालाब | 8278615575 |
| 428 | श्री पुष्कर रैदास पिता श्री किशन लाल | गन्धेर | 9509627621 |
| 429 | श्री तेजपाल सिह पिता श्री उम्मेद सिह | रठांजना | 9549754518 |
| 430 | श्री प्रवीणदास पिता श्री गोपाल दास बेरागी | संचई | 9024849718 |
| 431 | श्री शैतान सिह पिता श्री प्रकाश सिंह | सोहनपुर | 7976326403 |
| 432 | श्री गोपाल गायरी पिता श्री प्रभुलाल | रठाजना | 7568853028 |
| 433 | श्री भारत मीणा पिता श्री कारूलाल मीणा | प्रतापगढ | 8302816433 |
| 434 | श्री प्रवीण पिता श्री मोहनलाल चौहान | प्रतापगढ | 8504955913 |
| 435 | श्री उमेशसिंह पिता श्री गोपालसिंह राजपुत | प्रतापगढ | 7734951040 |
| 436 | श्री नरसिंग मीणा पिता श्री शंकरलाल | बडी अम्बेली | 8890878834 |
| 437 | श्री लालुराम मीणा पिता श्री रामलाल | तलांया | 9636135792 |
| 438 | श्री पियुष राठोड पिता श्री राजकुमार | अरनोद | 9799488853 |
| 439 | श्री सीमा कुमारी पिता श्री गेबीलाल मीणा | धनीयारूण्डी | 9784595825 |
| 440 | श्री राजाराम पिता श्री मगनलाल मीणा | बडवासकला | 7878794110 |
| 441 | श्री विजयराज पिता श्री सुखदेव बलाई | मोवाई | 7568451731 |
| 442 | श्री कमलकिशोर पिता श्री रमेश चन्द | पठार– सुहागपुरा | 7850051416 |
| 443 | श्री ईश्वरलाल पिता श्री रामलाल | अरनोद | 6377120980 |
| 444 | श्री केसरीमल पिता नगजी डामोर | बावड़ी नायन | 9602726396 |
| 445 | श्री नारूलाल पिता सानिया | डूंगलावानी | 7849931370 |
| 446 | श्री धनराज पिता लक्ष्मण | बोरी–पी | 7568662638 |
| 447 | श्री शेलेन्द्र पिता श्री अशोक कुमार सोलंकी | प्रतापगढ | 9887207552 |
| 448 | श्री हर्षित पिता श्री नारायण लाल भटट | प्रतापगढ | 8949884390 |
| 449 | श्री वर्षा पिता श्री रवि कजानी | प्रतापगढ | 9509668077 |
| 450 | श्री शालु राजपुत पिता श्री कुलदीप परिहार | प्रतापगढ | 7734050716 |
| 451 | श्री सावरलाल पिता श्रीराम लाल मीणा | चितोडिया | 9653706056 |
| 452 | श्री दिनेश कुमार पिता श्री प्रभुलाल मीणा | कुण्डल गणावा | 9079240899 |
| 453 | श्री रामचंद्र मीणा पिता श्री कालुराम | खेमावतो का खेडा | 8107450272 |
| 454 | श्री अनिल मीणा पिता श्री शिवलाल | बाण्डीखाली | 7976030216 |
| 455 | श्री शंकरलाल पिता श्री भगत जी मीणा | रातडीया | 7357908637 |
| 456 | श्री प्रियंका पिता श्री गोतमलाल मीणा | अचलावदा | 7851986919 |
| 457 | सुश्री रेखा कुमारी पिता कैलाश डिंडोर | डूंगलावानी | 6268760587 |
| 458 | श्री पूजा कुमारी पिता श्री भारत लाल मीणा | घासखेडा | 9664372837 |
| 459 | श्री जसपाल प्रजापत पिता श्री गणपत लाल | वरमण्डल | 8290756761 |
| 460 | श्री दिपेश पिता श्री चन्द शेखर चनाल | प्रतापगढ | 7627000120 |
| 461 | श्री ज्योति कुमारी पिता श्री यशवन्त मीणा | जवाहर नगर–3 | 8003032793 |
| 462 | श्री कारूलाल मीणा पिता श्री गोपाललाल | खेमावतो का खेडा | 6375205919 |
| 463 | श्री हीरालाल पिता श्री मोहनलाल | रामपुरिया | 8905976355 |
| 464 | श्री कन्हैयालाल पिता श्री लक्ष्मीनारायण कुमावत | अचनारा | 9950534454 |
| 465 | श्री भेरुलाल डांगी पिता श्री रमेश चन्द | खरखडा | 9571437535 |
| 466 | श्री दिनेश पिता श्री तोलीराम मीणा | कनाड | 9166148853 |
| 467 | श्री विक्रम सिंह पिता श्री भरत सिंह | अरनोद | 7073498422 |
| 468 | श्री शिवराज पिता रामा मईड़ा | नायन | 9024143122 |
| 469 | श्री राजमल पिता मदन | हकराखोरा डुंगलावानी | 6350675294 |
| 470 | श्री सुरजमल पिता कचरू निनामा | धारणा बोरी–पी | 8955885411 |
| 471 | श्री सुखलाल पिता तोलाराम मईड़ा | बावड़ी | 9983661276 |
| 472 | श्री महेन्द मेघवालपिता श्री देवीलाल मेघवाल | गोमाना | 9352367115 |
| 473 | श्री सूरज गांछापिता श्री बंसतिलाल | छोटीसादड़ी | 8529736397 |
| 474 | श्री ललिताकुमारी पिता श्री धन्नालाल मीणा | प्रतापगढ | 9782024320 |

| 475 | श्री कुन्दनकुमारी पिता श्री प्रकाशचन्द्र मीणा | जगलावदा | 9783807212 |
|---|---|---|---|
| 476 | श्री प्रकाश चन्द मीणा पिता श्री चमना जी | बिलकावास | 7568558252 |
| 477 | श्री दशरथ मीणा पिता श्री होमजी | खेमावतो का खेडा | 7979197663 |
| 478 | श्री इन्दरमल मीणा पिता श्री रामलाल | खेमावतो का खेडा | 7297973236 |
| 479 | श्रीमती गीता मीणा पिता श्री भीमराज | लाम्बाडाबरा | 9587952095 |
| 480 | श्री नारायणलाल पिता नाकला निनामा | पावटीपाड़ा | 7878841813 |
| 481 | श्री कनिष्क कुमार पिता मोतीलाल मईड़ा | ठाकरा प्रतापपुरा | 9636433868 |
| 482 | श्री दिनेश मीणापिता श्री गुलाबचन्द | बरखेड़ा | 9680025735 |
| 483 | श्री महेश कुमावत पिता श्री दिनेश कुमावत | देवद | 6376815896 |
| 484 | श्री नानूराम मीणा पिता श्री पॉचुराम मीणा | देवगढ | 7427818562 |
| 485 | श्री अर्जुन कुमावत पिता श्री घनश्याम कुमावत | चमलावदा | 9352383745 |
| 486 | श्री गौरव पिता श्री सत्यनारायण गुर्जर | प्रतापगढ | 8209877820 |
| 487 | श्री हेमन्त पिता श्री कैलाश चन्द्र तिवारी | प्रतापगढ | 7737161224 |
| 488 | श्री दुर्गा कुमारी राव पिता श्री धुल जी राव | प्रतापगढ | 9784767689 |
| 489 | श्री पियुष पिता श्री ईश्वर धोबी | प्रतापगढ | 7877452615 |
| 490 | श्री अम्बालाल पिता श्री समरथलाल कुमावत | प्रतापगढ़ | 8890324399 |
| 491 | श्री महेन्द्र कुमार पिता श्रीलक्ष्मणलाल मीणा | गुमानपुरा | 9660306063 |
| 492 | श्री मनीष मीणा पिता श्री रतनलाल | धारियाखेडी | 8003713902 |
| 493 | श्री जयप्रकाश मीणा पिता श्री मोहनलाल | मोटा मायंगा | 9116427664 |
| 494 | श्री प्रभुलाल पिता श्री भगुडा मीणा | रातडीया | 8107814275 |
| 495 | श्री कैलाश्सचन्द्र पिता सोहनलाल | डूंगलावानी | 8955846465 |
| 496 | श्री धीरजमल पिता कचरू मीणा | सोबनिया | 8239347395 |
| 497 | श्री गोतमलाल पिता देवीलाल खराड़ी | ठेचला | 8696494913 |
| 498 | श्री अभिषेक शर्मापिता श्री मुकेश कुमार | छोटीसादड़ी | 9521411931 |
| 499 | श्री राज कुमावतपिता श्री दिनेश कुमावत | गाडरियावास | 9571231723 |
| 500 | श्री प्रध्युमन धोबी पिता ईश्वर धोबी | प्रतापगढ | 9511580339 |
| 501 | श्री अशोक कुमार पिता श्री रघुनाथ सोनी | प्रतापगढ़ | 8290909306 |
| 502 | श्री थावरचन्द पिता श्री रामलाल मीणा | बिजाणिया | 9660242059 |
| 503 | श्री प्रभुलाल गायरी पिता श्री लक्ष्मण गायरी | गाडरीयावास | 7073204761 |
| 504 | श्री पुष्करलाल पिता श्री होमला मीणा | केसरपुरा | 8529176831 |
| 505 | श्री कमलेश मीणा पिता श्री परशुराम मीणा | माण्डकला, | 8003335443 |
| 506 | श्री गणतललाल मीणा पिता श्री नंदलाल | सुरपुर | 9929011485 |
| 507 | श्री कैलाशचंद्र मीणा पिता श्री भुवाना | सिडडी महुडी | 9649860105 |
| 508 | श्री सुरजमल मीणा पिता श्री भवंरलाल | अचलपुरिया | 9571240574 |
| 509 | श्री अनिता मीणा पिता श्री नारायण | उठेल | 8890772154 |
| 510 | श्री राजु पिता गोतम पण्डोर | पीपलखुंट | 7690060042 |
| 511 | श्री देवीलाल पिता श्री शंकर लाल अहारी | जवाहर नगर–3 | 9829957167 |
| 512 | श्री गुड्डुसिंह मीणा पिता श्री जालुराम | आंकडियो का माल | 8529637106 |
| 513 | श्री मोहनलाल मीणा पिता श्री अमरू | तलांया | 9352444071 |
| 514 | श्री कुलदीप पिता श्री गेबीलाल रैदास | नौगावा | 7357383106 |
| 515 | श्री कालुराम पिता धुलिया | डूंगलावानी | 9772063471 |
| 516 | श्री शंकरलाल पिता रामलाल मईड़ा | पीपलखुंट | 911938303 |
| 517 | श्री राहुल कुमावतपिता श्री बालमुकन | नाराणी | 9079731292 |
| 518 | श्री सनी हरिजनपिता श्री लालाराम | छोटीसादड़ी | 8690504775 |
| 519 | श्री हीरालाल पिता श्री लक्ष्मण लाल गायरी | गाडरीयावास | 9521083090 |
| 520 | श्री कैलाश गायरी पिता श्रीभगाना गायरी | वगतपुरा | 9982787431 |
| 521 | श्री पेमाराम मीणा पिता श्री हरजी मीणा | भाण्डला | 9660629982 |
| 522 | श्री खानी कुमारी पति स्व. भैरूलाल मीणा | घाटी फला नाड | 8000509196 |
| 523 | श्री देवीलाल मीणा पिता श्री होमजी | मोटीखेडी | 9571385560 |
| 524 | श्री मनीष मीणा पिता श्री गणेश लाल | बनेडिया कला | 9653721725 |
| 525 | श्री बगदीराम पिता श्री सीताराम बलाई | अरनोद | 6367916902 |
| 526 | श्री नितेश पिता रकमा मईड़ा | रोहनिया | 7850928322 |
| 527 | श्री श्यामा कुमारी पिता श्री मोहनलाल मीणा | ग्यासपुर | 9116713910 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 528 | श्री विकास पिता श्री सत्यनारायण गाछा | प्रतापगढ | 9799088746 |
| 529 | श्री अविनाश पिता श्री प्रहलाद चनाल | प्रतापगढ | 7976791919 |
| 530 | श्री नारायण लाल पिता श्री पांचुराम मीणा | बिजाणिया | 8619571263 |
| 531 | श्री पंकज कुमार पिता श्री हुरजी मीणा | कराडिया | 9352031070 |
| 532 | श्री रमेश पिता गोतमलाल | मोरवानिया | 8441937365 |
| 533 | श्री लता कुमावतपिता श्री नन्दलाल | नाराणी | 6377302776 |
| 534 | श्री अनिल कुमार मीणापिता श्री राधेश्याम | अंबावली | 9257278517 |
| 535 | श्री मांगीलाल पिता श्री रघुजी गायरी | गाडरीयावास | 7742195859 |
| 536 | श्री मुकेश मीणा पिता श्री अर्जुन मीणा | माण्डकला, | 8003747764 |
| 537 | श्री राजु मीणा पिता श्री गोतम लाल | अरनोद | 9636239037 |
| 538 | श्री आकाश पिता श्री राजु सरसवाल | प्रतापगढ | 7568492233 |
| 539 | श्री मनोज पिता श्री रमेश धोबी | प्रतापगढ | 7726842492 |
| 540 | श्री चमनलाल पिता श्री बलराम कुमावत | बसेड़ी कुण्डाल | 9571519359 |
| 541 | श्री दिपक कुमार पिता श्री कना गायरी | गाडरीयावास | 9509696995 |
| 542 | श्री डुंगरमल पिता श्री गौतम | मधुरा तालाब | 9983528340 |
| 543 | श्री शीवा पिता श्री राजु सरसवाल | प्रतापगढ | 7357491172 |

## 27.जिले में नागरिक सुरक्षा उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची

| क्र.स. | सामग्री का नाम | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | Hand Tool Set | 2 |
| 2 | Life Jacket | 29 |
| 3 | Extention Leder | 1 |
| 4 | Emergency/Searh Light | 8 |
| 5 | Megha Phone | 7 |
| 6 | Face Mask | 7 |
| 7 | Full Face Mask With Chemical Cartarege | 7 |
| 8 | Spead | 5 |
| 9 | Pick Axe | 5 |
| 10 | Strchers | 3 |
| 11 | Strchers Folding D Type | 11 |
| 12 | Strchers Spine Board | 7 |
| 13 | Blankets red | 16 |
| 14 | BOB Rope 180mtr Role | 4 |
| 15 | Fiber Rope | 1 |
| 16 | Ceramental Rope | 1 |
| 17 | Nylone Rope | 2 |
| 18 | Repling/Climing Rope | 2 |
| 19 | Manila Rope | 2 |
| 20 | Tent Cenwas | 2 |
| 21 | First Aid Box | 6 |
| 22 | Safety Helmet | 22 |
| 23 | LifeBoy | 17 |
| 24 | Pulies single | 4 |
| 25 | Pulies single | 2 |
| 26 | Gum Boot | 35 |
| 27 | Hand Gloves | 48 |
| 28 | Hand Gloves RED | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 29 | Hand Gloves Rubber | 26 |
| 30 | Heavy Chain | 2 |
| 31 | Portable Inflatable Light system-Aska | 1 |
| 32 | Storage Box | 1 |
| 33 | Rain Protection Cover | 1 |
| 34 | Wind Support | 1 |
| 35 | Tool Kit | 1 |
| 36 | Lamp With Requasite Control Gair | 1 |
| 37 | Blower | 1 |
| 38 | Trolly | 1 |
| 39 | Cerabinar | 7 |
| 40 | Auto Lock Device | 1 |
| 41 | Inflatable Boat With OBM | 1 |
| 42 | Storage Box | 1 |
| 43 | I.M.P. Air Splint | 2 |
| 44 | Full Body Hournes | 5 |
| 45 | Sit Hournes | 2 |
| 46 | Safety Goggles | 26 |
| 47 | Under Water Tourch | 1 |
| 48 | Fire Suit | 2 |
| 49 | Chemical Suit | 1 |
| 50 | Squiba Diving Set | 1 |
| 51 | Drone | 2 |
| 52 | Gas Cutter | 1 |
| 53 | Breating Apetus Set | 1 |
| 54 | Air Compresed Foam Base Fire Extinusher | 5 |

## उपखण्ड करर्यालय कों उपलब्ध कराये गये उपकरणों की सूची

| क्र.स. | सामग्री का नाम | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | Hand Tool Set | 1 |
| 2 | Life Jacket | 3 |
| 3 | Life by Tube | 3 |
| 4 | Search Light | 5 |
| 5 | Megha Phone | 5 |
| 6 | Strechers FOLDING D TYPE | 3 |
| 7 | Spine Board | 1 |
| 8 | Repling Ropes (200 Mtr.) | 1 |
| 9 | Manila Ropes (200 Mtr.) | 1 |
| 10 | Nylone B.O.B. Ropes (200 Mtr.) | 1 |
| 11 | Caromentsl Ropes (200 Mtr.) | 1 |
| 12 | Pullies 1 Single + 1 Double | 2 |
| 13 | First Aid Box | 1 |
| 14 | Safety Helmet | 13 |
| 15 | SAFTY HELMET WITH TOURCH pn542 | 4 |
| 16 | Safty Gloves | 18 Pair |
| 17 | SaftyGogles | 13 |
| 18 | Gumboot | 3 Pair |
| 19 | Full Body Hornes | 1 |
| 20 | Pocket CPR | 3 |
| 21 | FULL FACE MASK WITH CANISTER | 1 |
| 22 | WATER PROOF TENTSIZE 15*15 *6 FEET | 1 |
| 23 | AUTO LOCK DEVICES | 1 |
| 24 | SAFTY NAT | 1 |
| 25 | ROPE LADDERS | 1 |
| 26 | FOLDING LADDERS | 1 |
| 27 | KARABINER(FORGED) | 2 |
| 28 | HYDROLIC TROLLY JACK | 1 |

# जिला प्रतापगढ़ महत्वपूर्ण नम्बर सूची

| *नाम अधिकारी* | पदनाम | मोबाईल नम्बर | अधीनस्थ | कार्यालय | | निवास |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | I | I | II | |
| **श्रीमति शुभम चौधरी** | ***जिला कलेक्टर IP no. 28133*** | 7073877727 | PA (Gajendra Dagariya) 6376411414 | 01478 Fax | 222266 222262 | 222277 294581 |
| श्री बिजयेश पांड्या | अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतापगढ | 9828338371 | PA (Manish Sharma) 8769054652 | 01478 | 222333 | 222344 |
| श्री अश्विन मालू | सहायक कलक्टर | 8005963437 | | | | |
| श्री अश्विन मालू | उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ | 8005963437 | PA (Rakesh nayak) 8003805328 | 01478 | 222026 | 222726 |
| श्री यतीन्द्र पोरवाल | उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी | 8432545622 | PA (Govind Dhakar) 7023116304 | 01473 | 262669 | 263009 |
| विनीत के सुखाड़िया | उपखण्ड अधिकारी धरियावद | 8561057976 | PA (Manoj) 8239377111 | 02950 Fax | | 271013 |
| श्री योगेश देवल | उपखण्ड अधिकारी अरनोद | 8560824344 | Rahul khatik LDC 9950962980 | 01479 | 242830 | 242831 |
| श्री भागीरथ लखावत | उपखण्ड अधिकारी सुहागपुरा | 9601026490 | mhendra singh 9782031788 | | | |
| श्री निलेश जी कलाल | उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट | 7014510879 | Hitesh Kumar LDC 8385972348 | 02961 | 233446 | 233445 |
| श्री हितेश जी सांचीहेर | तहसीलदार निर्वाचन जिला कलक्टर कार्यालय | 9799177680 | | | | |
| श्री रामेश्वरलाल | तहसीलदार प्रतापगढ़ | 9414470102 | | 1478 | 222029 | 222029 |
| श्री नितिन मेरावत | तहसीलदार अरनोद | 7976108437 | | 1479 | 242430 | 242430 |
| श्री सत्यनारायण जी | तहसीलदार दलोट | 9413003635 | | 1479 | 242430 | 242430 |
| श्री मदनलाल | तहसीलदार सुहागपुरा | 9929232470 | | | | |
| श्री राजकुमार सारेल | तहसीलदार छोटीसादड़ी | 8094296524 | | 1473 | 262433 | 262433 |
| श्री संदीप जैन | तहसीलदार धरियावद | 9461138963 | | 2950 | 270031 270080 | 270031 |
| श्री रजनीश व्यास | नायब तहसीलदार धरियावद | 9811338789 | | | | |
| श्री श्यामलाल | तहसीलदार पीपलखूंट | 9602578321 | | 2961 | 233514 | |
| श्री श्यामलाल | नायब तहसीलदार पीपलखूंट | 9602578321 | | | | |
| श्री नवीन कुमार जैन | नायब तहसीलदार मुंगाणा | 9602424426 | | | | |
| श्री संदीप मेघवाल | नायब तहसीलदार देवगढ़ | 9001959918 | | | | |
| श्री परवत सिंह जी चूण्डावत | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 9414660116 | PA (vishal kumar ) 9983317453 | 01478 | 220007 | 220006 |
| श्री धनदन जी देथा | अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 6350455277 | | | | |
| श्री अशोक कुमार डिण्डोर | अति. विकास अधिकारी अरनोद | 7742817775 | | 01479 | 242228 | |
| श्री जगदीश चन्द्र | विकास अधिकारी प्रतापगढ़ | 9414386285 6350239644 | | | | |
| श्री सुनील कुमार जोशी | विकास अधिकारी धरियावद | 9783060464 | | 02950 | 270022 | |
| श्री दिनेशचन्द्र मेघवाल | विकास अधिकारी छोटीसादड़ी | 9772186814 | | | | |
| श्री नरेन्द्र तेली | विकास अधिकारी पीपलखूंट | 9001945068 | | 02950 | 233308 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्री अशोक कुमार | विकास अधिकारी धमोत्तर | 7742817775 | | | | |
| श्री फिरोज़ अहमद | विकास अधिकारी दलोट | 9414256083 | | | | |
| श्री जितेन्द्र चौधरी | विकास अधिकारी सुहागपुरा | 9660386056 | | | | |
| श्री सुरेश जी अग्रवाल | उप वन संरक्षक | 9929460267 | | 01478 | 222004 | 222114 |
| श्री विक्रम सिंह राठौर | | 8561090823 | | 01478 | 222004 | 222114 |
| श्री दिलीप सिंह | रेंजर, प्रतापगढ़ | | | | | |
| श्री चन्द्रेश अग्रवाल | XEN watershed | 9414165343 | | | | |
| रिक्त | अधिक्षण अभियंता वाटर शेड | | | 01478 | 220004 | |
| श्री उम्मेद अली | | 7568891024 | | | | |
| श्री त्रिलोकचन्द्र | जिला आयोजना अधिकारी | 9928784006 | | | | |
| डॉ. टी.आर आमेटा | परियोजना प्रबंधक<br>अनुसूचित जाति विकास निगम | 9828621972<br>9887883475 | | | | |
| डॉ. टी.आर आमेटा | सहायक निदेशक<br>एस.जे.ई.डी. | 9828621972<br>9887883475 | | | | |
| श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा | | 9928730287 | | 01478 | 220002 | |
| श्री नीता वसीटा | उपायुक्त, टीएडी | 9799100120 | Rajkumar<br>7727964169 | 01478 | 222154 | |
| श्री जितेन्द्र मीणा | कोषाधिकारी | 9891636867 | | 01478 | 223099 | |
| श्री जितेन्द्र मीणा | आयुक्त नगर परिषद् | 9891636867 | | | | |
| श्री मुकेश मोहिल | अधिशाषी अधिकारी छोटीसादड़ी | 9414618848 | | | | |
| श्री सुरेन्द्र मीणा | अधिशाषी अधिकारी धरियावद | 9887337938 | | | | |
| श्री आर.के. अग्रवाल | अधिक्षण अभियंता | 7976703422 | | | | |
| श्री हुकम चंद बैरवा | अधिक्षण अभियंता | 9414360493<br>7357370492 | | | | |
| श्री कमलेश मीणा | अधिक्षण अभियंता | | | | | |
| श्री रूपा डिण्डोर | सहायक निदेशक | 9461378681 | Javed<br>701934780 | 01478 | 222249 | |
| श्री रामचन्द्र शेरावत | जिला रसद अधिकारी | 8890621588 | Vikas Meena LDC<br>9588057007 | 01478 | 223164 | |
| श्री शिवदयाल मीणा | अधिक्षण अभियंता | 7737960906 | | 01478 | 222162 | |
| श्री एनएन शाह | जिला परिवहन अधिकारी | 7597587575 | Vijay Kumar IA<br>9680504642 | | | |
| डॉ हिमांश राजौरा | जिला खेल अधिकारी | 9928313090 | | | | |
| | आयुर्वेद अधिकारी | | | | | |
| डॉ. डी.एस. चन्द्रावत | आयुर्वेद अधिकारी | 9001409576 | | | | |
| श्री शकील अहमद | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी | 9414239579 | | 01478 | 220158 | |
| श्री अनिल जोशी | जिला मत्स्य अधिकारी | 8209492725<br>8949862015 | | | | |
| रिक्त | जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी | | | | | |
| श्रीमती नवधा परदेशी | अति.जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी | 9983694887 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्री अभिषेक मीणा | उपनिदेशक | 9461347652 | | | | |
| श्री मनीष जोशी | डिपो मैनेजर | 9549653330 | | | | |
| श्री बनवारीलाल मीणा | प्राचार्य पीजी कॉलेज | 8290622355 | | | | |
| श्री अनिल पोरवाल | मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ | 9414858509 | | | | |
| श्री शत्रुघ्न शर्मा | अति. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी | 9828814196 | | | | |
| एम आर व्यास | | 9166656400 | | | | |
| श्री लालु राम जयसवाल | जिला शिक्षा अधिकारीमाध्यमिक | 9571865449 | | | | |
| श्री रामप्रसाद जी | जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक | 9414778000 | | | | |
| श्री मंजुलता जी | प्रिंसिपल नवोदय विद्यालय | 9837042129 | | | | |
| श्री रवि मीणा | प्रिंसिपल केवी विद्यालय | 9837042129 | | | | |
| श्री योगेश श्रीवास्तव | जिला अफीम अधिकारी | 9414155826<br>8302178556 | | | | |
| श्री आशीष भटनागर | जिला अफीम अधिकारी | 9827299744 | | | | |
| श्री एलसी पंवार | जिला अफीम अधिकारी | 9079050664 | | | | |
| श्री लोकेश पालीवाल | जिला पुस्तकालय प्रतापगढ़ | 94604.04989<br>97990.78258 | | | | |
| श्री कमलेश कुमार तेतरवाल अति. चार्ज | जिला रोजगार अधिकारी | 94145<br>40322 | Kamal<br>9950299733 | | | |
| श्री बन्शीधर मीणा | उपनिदेशक कृषि | 9413370026 | | | | |
| श्री शुभेन्द्र | | 9414286009 | | | | |
| श्री सुमन्त | | 7597174929 | | | | |
| श्री दिपक जैन | XEN, प्रतापगढ़ | 8619700038 | | | | |
| सांवरिया मीणा | XEN, जल संसाधन धरियावद जॉखम | 9829498719 | | | | |
| श्री अकरम | | 9036670588 | | 01478 | 222162 | |
| श्री पुष्पेन्द्र कुमार | | | | 01478 | 222162 | |
| श्री करणीसिंह | वाणिज्यकर अधिकारी | 9414164019 | | 01478 | 222118 | |
| श्री प्रकाश मेघवाल | | 9413391971<br>7014501691 | | | | |
| श्री विनोद खांट अति. चार्ज | | 9549268665 | | | | |
| श्री सुनील कुमार पामेचा | | 9460894410 | | | | |
| डॉ. आलोक यादव अति. चार्ज | प्रमुख चिकित्सा अधिकारी | 9414420357<br>9783382091 | | 01478 | 222939 | |
| श्री निवास सावले | उप निदेशक,पशुपालन | 9983895392<br>8107511947 | Tejpal Singh<br>9414736171 | 01478 | 222615 | |
| श्री करण सिंह डामोर | उपनिदेशक आईसीडीएस | 9413811528 | | 01478 | 220229 | |
| नेहा माथूर | सहायक निदेशक | 9166517000 | | | | |
| श्री रामकिशन वर्मा | सहायक निदेशक उद्यानिकी | 9414103268 | Nand Kishor<br>9001652141 | 01478 | 220014 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्री रमेश डामोर | वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी कृषि वि0 केन्द्र प्रतापगढ़ kvk | 9983231320 | | 01478 | 220054 | 222382 |
| श्री मुकेश गुर्जर | RSLDC manger distric | 9785552344 | | 01478 | 220116 | |
| श्री किशनलाल मीणा | | 9664221944<br>9314583468 | | 01478 | 222074 | |
| श्री जयपाल सिंह | | 8207477574 | | | | |
| श्री मंजु माली | | 9001835901 | | 01478 | 220074 | |
| श्री ए एस बैरवा | जिला सांख्यिकी अधि. | 9413749583 | | 01478 | 220052 | |
| श्री अंकीत पण्ड्या | खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड LDC | 95878.20855 | | | | |
| श्री उज्जवल जैन | क.लि.कृषि उपज मण्डी | 90017.05787 | | | | |
| रिक्त | खनिज अभियन्ता | | | 01472 | 240307 | |
| श्री नारायण लाल गमेती | सहायक खनिज अभियन्ता | 9950450607 | | | | |
| श्री उमेश राईका | जिला श्रम कल्याण अधिकारी | 9468546751 | | 01478 | 220157 | |
| श्री परेश बनर्जी | LDM (BOB) | 8875006664 | | 01478 | 221519 | |
| श्री मुकेश खटीक | रोडवेज डिप्पो मैनेजर | 9950787340 | | | | |
| श्री मुकेश बलाई | AEN(NH) udaipur | 9680474976 | श्री अनील शर्मा<br>77374.94959 | | | |
| श्री गणेश | विश्राम भवन क.लि | 99296.76424 | | 01478 | 221325 | |
| श्री पवन | विश्राम भवन सहायक कर्मचारी | 98297.53904 | | | | |
| श्री रेखा शर्मा | सी.ओ. स्काउट गाईड | 86191.10720 | | | | |
| श्री विवेक जोशी | पर्यटन अधिकारी | 9414156081 | | 01472 | 241089 | |
| श्री रणजीतसिंह | क्लर्क देवस्थान उदयपुर | 92513.42048<br>77372.75450 | | | | |
| श्री योगेन्द्र | SDE | 9429197563 | | 01478 | 223000 | |
| श्री मनीष पारीख | BSNL JTO, | 9413394601 | | 01478 | 221000<br>222000 | |
| श्री सौरभ जी स्वामी | DYSP JAIL | 9024612344<br>7976451123 | | | | |